



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253037  
CG-DL-E-15032024-253037

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

## राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

फा. सं. 3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमईएस.सी.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (घ) एवं (ड.) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (1) एवं और उपधारा (2) के खंड (ध) एवं (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर) विनियम 2013 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों या किए जाने वाले कार्यों के लोप के सिवाय, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

- लघु शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर), विनियम, 2024 कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं: इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षा न की गई हो -
  - “अधिनियम” से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;
  - “परिशिष्ट” से ऐसा परिशिष्ट अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के साथ संलग्न किया गया है;

- (ग) “संबद्ध अस्पताल” से शैक्षणिक (टीचिंग) होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल अभिप्रेत है जो चिकित्सा संस्थान से संबद्ध है;
- (घ) “निदेशक” से चिकित्सा संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;
- (ङ) “प्रभागाध्यक्ष” से वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से विभाग का एक अध्यापक/शिक्षक अभिप्रेत है जो विभाग के अकादमिक/शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है;
- (च) “इन्टर्न” से एक चिकित्सा विद्यार्थी अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम – बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम, 2022 के तहत यथा उपलब्ध प्रशैक्षणिक, “अनिवार्य चक्रिक इन्टर्नशिप” की अवधि से गुज़र रहा है;
- (छ) “नोडल अधिकारी” से एक पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे किसी निश्चित परियोजना अथवा संगठन या संस्थान के भीतर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;
- (ज) “प्राचार्य” से चिकित्सा संस्थान का प्राचार्य अभिप्रेत है;
- (झ) “अनुसूची” से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ञ) “शैक्षणिक अनुभव” से उस संबंधित विषय में प्राप्त पूर्णकालिक शैक्षणिक अनुभव अभिप्रेत है जिसमें उसे केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी चिकित्सा संस्थान में नियुक्त किया जा रहा है;
- (ट) यहां प्रयुक्त एवं अपारिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्ति, जिन्हें अधिनियम में पारिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में उन्हें क्रमशः पारिभाषित किया गया है।

### 3. उद्देश्य- इन विनियमों का उद्देश्य होगा :-

- (क) न्यूनतम आवश्यक मानकों को विनिर्दिष्ट करना;
- (ख) पूर्ण रूप से कार्यशील चिकित्सा संस्थान और उसका शैक्षणिक अस्पताल सुनिश्चित करना;
- (ग) महाविद्यालय के विभिन्न विभागों और संबद्ध अस्पताल और अवसंरचना में स्टाफ (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक); यंत्रों; उपकरण की आवश्यकता का निर्धारण चिकित्सा संस्थान को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की मंजूरी देने अथवा अनुमति को अनुरक्षित करने और उसकी उत्तरोत्तर रेटिंग के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए करना।

### 4. विभाग - (1) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे, नामतः :-

- (क) होम्योपैथिक मैटरिया मेडिका;
- (ख) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन; होम्योपैथिक दर्शनशास्त्र एवं मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत;
- (ग) होम्योपैथिक फॉर्मैसी;
- (घ) होम्योपैथिक रेपटॉरी एवं केस टेकिंग;
- (ङ) मानव शरीर-रचना;
- (च) मानव शरीरक्रिया विज्ञान एवं जैवरसायन विज्ञान;
- (छ) फॉरेंसिक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान;

- (ज) विकृति-विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान;
- (झ) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान/शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी;
- (ञ) शल्यचिकित्सा;
- (ट) स्त्री रोग एवं प्रसूति;
- (ठ) भेषज विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के साथ चिकित्सा का अभ्यास (प्रैक्टिस); और
- (ड) स्वास्थ्यवर्धन के लिए योग।
- (2) उपर्युक्त में उप-विनियम (1) में वर्णित विभागों के अलावा, चिकित्सा संस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक होगा।
- (3) प्रत्येक विभाग निम्नलिखित रजिस्टर अथवा डायरी का रखरखाव करेगा, नामत :-
- (क) गैर-उपभोज्य अथवा डेड स्टॉक रजिस्टर;
- (ख) शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के स्टॉक का रजिस्टर;
- (ग) उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर;
- (घ) शैक्षणिक योजना एवं अनुपालन अथवा शैक्षणिक डायरी;
- (ङ) मांग-पत्र रजिस्टर;
- (च) विभागीय गतिविधि अभिलेख;
- (छ) विभागीय पुस्तकालय रजिस्टर और;
- (ज) 'व्याख्यान एवं गैर-व्याख्यानों' में छात्रों की उपस्थिति के लिए अलग-अलग रजिस्टर।

**5. भूमि की आवश्यकता-** संबद्ध अस्पतालों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 में यथा विनिर्दिष्ट होगी:

परंतु यह कि उक्त भूमि की आवश्यकता शासकीय राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान के लिए लागू नहीं है।

- (क) भूखंड यदि सड़क या नहर या नाले से अलग है लेकिन पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा। आयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के समय पर जिला पंचायत या स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसमें प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के अनुसार अपेक्षित निर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित या अनुमोदित किया गया हो।
- (ख) प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार महाविद्यालय और अस्पताल के लिए एक अलग भवन या इंटरकनेक्टेड भवन निर्मित किया जा सकता है। संबद्ध राज्य द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार भूमि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होनी चाहिए या राज्य के विनियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष या अधिकतम स्वीकार्य अवधि के लिए पट्टे पर होनी चाहिए। पट्टे के नवीनीकरण हेतु अनुमति पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्राप्त की जानी चाहिए।
- (ग) नई महाविद्यालय स्थापनाओं के लिए, किसी व्यक्ति के नाम पर भूमि को अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है:

परंतु यह कि केवल होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल के लिए भूमि के उपयोग हेतु अपरिवर्तनीय प्राधिकार का संकल्प पारित किया गया हो।

- (घ) उक्त पारित संकल्प को उस पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा समवर्ती रूप से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है, जिसके पास आवेदक पंजीकृत है।
- (ङ.) संपत्ति केवल होम्योपैथी शैक्षणिक संस्थान के लिए अनन्य रूप से सीमांकित की जाएगी।
- (च) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित किए गए चिकित्सा संस्थान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे, अर्थात: -
- (i) भूमि के आकार और कब्जे की आवश्यकता के लिए, वर्तमान पट्टा अवधि के अंत में, उक्त चिकित्सा संस्थान या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या उसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष या अधिकतम स्वीकार्य अवधि के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त करनी होगी।
- (ii) यदि ऐसे संस्थान सीटों की मौजूदा संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन जमा करते हैं या उच्चतर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें नए होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि और बुनियादी ढांचे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- परंतु यह कि ये प्रावधान मौजूदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर लागू नहीं होंगे जो अपने मौजूदा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम के लिए नए विषयों को जोड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं।
- (iii) यदि कोई मौजूदा चिकित्सा संस्थान शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो वह विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्मित या बिल्ट अप एरिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पांच कि.मी. से कम की दूरी या पन्द्रह मिनट की यात्रा समय दूरी पर अलग परिसर में एक अस्पताल या महाविद्यालय खोल सकते हैं।
- (छ) विभागीय मापों के साथ भवन योजना को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सुविधाओं के सत्यापन के बाद स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाना होगा।
- (ज) होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के भवन प्रचलित भवन संहिताओं एवं स्थानीय भवन उपविधियों या मानदंडों के अनुरूप होंगे। अस्पतालों में स्थानीय उपविधियों और विनियमों के अनुसार रोगी के निकास की योजनाओं सहित अग्निशामक उपाय होने चाहिए। वे दिव्यांगजनों को पहुंच और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। संस्थान और अस्पताल भवन इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

**6. सीटों की संख्या-** होम्योपैथी डिग्री पाठ्यक्रम, नामतः बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी में एक सौ सीटों तक आवेदन पर विचार किया जाएगा।

**7. सूचना और रिटर्न (विवरणिका) की मांग करने की शक्ति.-** (क) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों को ऐसी सूचना और रिटर्न (विवरणिका) की मांग करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे। विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्थान राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना को प्रस्तुत करेंगे:

परंतु यह कि यदि चिकित्सा संस्थान समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के भीतर सूचना एवं रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग यह मानते हुए कि संबंधित चिकित्सा संस्थान विनियमन का अनुपालन नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए निरीक्षण या मूल्यांकन के दौरान उनके द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचना, दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध करेगा।

**8. अनुपालन में विफलता-** यदि कोई चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे संस्थानों या अस्पतालों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

**9. चिकित्सा संस्थान एवं संबद्ध अस्पताल की आवश्यकता.-** (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में प्रथम अनुसूची में दिए गए अपेक्षित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी, उपकरण होंगे और संबद्ध अस्पताल में द्वितीय अनुसूची में दिए गए अपेक्षित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी और उपकरण होंगे। कर्मचारियों की योग्यता/अर्हता तृतीय अनुसूची में दी गई है।

(ख) एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता वाले सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट बिल्ट अप एरिया या निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

(ग) एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता वाले सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित किया गया है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विभाग-वार आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

### प्रथम अनुसूची

(विनियम 5 के खंड (क) एवं (ख), और विनियमन 9 के खंड (क) का अवलोकन करें)

### होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की आवश्यकताएँ - क. सामान्य :

(1) (क) चिकित्सा संस्थान इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों को समायोजित करने हेतु उपयुक्त बिल्ट-अप स्थान (चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल दोनों में) उपलब्ध कराएगा तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्र, कमरे, छात्रों को सुविधाएं आदि उपलब्ध कराएगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में छात्रों और इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) के लिए चिकित्सा संस्थान या अस्पताल के संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय क्षेत्र के साथ या उसके बिना संबद्ध अस्पताल और छात्रावास सुविधा होगी।

(2) **महाविद्यालय परिषद -** (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में एक महाविद्यालय परिषद होगी जिसमें सदस्य के रूप में सभी विभागों के प्रमुख या चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी इकाई के लिए निर्दिष्ट संकाय सदस्य होंगे तथा उसका अध्यक्ष प्राचार्य या निदेशक होगा।

(ख) पाठ्यचर्या और प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के विवरणों को रूपरेखा देने, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए परिषद एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। सभी बैठकों के कार्यवृत्त उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ग) परिषद संस्थान में अनुसंधान की आवधिक समीक्षा सहित ग्रैंड राउंड, सांख्यिकीय बैठकें और नैदानिक अथवा क्लिनिकल बैठकें जैसी अंतर-विभागीय बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित करेगी।

(3) **बायोमेट्रिक उपस्थिति -** (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान मानव संसाधनों की उपस्थिति को नियमित रूप से दर्ज करने के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित करेंगे और यह अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और आयोग के लिए ऐक्सेस योग्य होगी ताकि शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित हो सके।

- (ख) आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति को चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर और आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित समर्पित पोर्टल पर होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन के लिए मूल्यांकन के दौरान या उसके बाद चिकित्सा संस्थान से उपस्थिति का उक्त रिकॉर्ड मांगेगा।
- (ग) आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और निरंतर सुचारू रूप से कार्यकरण की जिम्मेदारी चिकित्सा संस्थानों की होगी और बायोमेट्रिक प्रणाली के कार्यकरण में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए नामित नोडल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से तुरंत आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सात दिनों के भीतर ठीक करना होगा।
- (घ) आधार सक्षम बायोमेट्रिक मशीन द्वारा न्यूनतम एक वर्ष की उपस्थिति का रिकॉर्ड आयोग या मूल्यांकन टीम को उपलब्ध कराना होगा और महाविद्यालय कम से कम एक वर्ष के संदर्भ में रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा।
- (ङ.) सभी संकाय और आवासीय चिकित्सकों के लिए कुल कार्य दिवसों (छुट्टियों को छोड़कर) में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। छुट्टी की अवधि के दौरान, अस्वस्थता की छुट्टी या आपातकालीन स्थितियों के कारण ली गई छुट्टियों के अलावा, झूटी पर मौजूद संकाय कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। आपातकालीन छुट्टियाँ विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित की जाएंगी।
- (4) **क्लोज सर्किट टेलीविजन- (क)** आयोग को चिकित्सा शिक्षा और प्रदान किए जा रहे प्रशैक्षणिक के मानकों पर निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के परिसर अथवा कैम्पस में क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली स्थापित करनी होगी और वह क्लासरूम अथवा कक्षाओं और संबद्ध अस्पताल की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में उपलब्ध कराएगा, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और आयोग के लिए अनिवार्य रूप से ऐक्ससेबल होगी ताकि आयोग प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा और प्रशैक्षणिक के मानक पर निरंतर निगरानी रख सके।
- (ख) चिकित्सा संस्थानों की निगरानी के लिए महाविद्यालयों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए जाएंगे, जो आयोग या केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर त्वरित संदर्भ के लिए एक महीने की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखेंगे। उसके कार्यकरण या रखरखाव की निगरानी के लिए चिकित्सा संस्थान से एक नोडल अधिकारी को विशेषतया नामित किया जा सकता है।
- (ग) क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और निरंतर सुचारू संचालन की जिम्मेदारी चिकित्सा संस्थानों की होगी और संस्थान द्वारा महसूस की जा रही किसी भी तकनीकी समस्या या खराबी के मामले में, उसकी सूचना तुरंत नोडल अधिकारी के माध्यम से आयोग को देनी होगी, जिसे सात कार्य दिवसों के भीतर दुरुस्त किया जाएगा।
- (घ) व्यापक कवरेज के लिए आवश्यक क्षेत्र और कैमरों की संख्या निम्नलिखित सारणी के अनुसार है, अर्थात: -

#### सारणी

क्र. सं.	क्षेत्र	कैमरों की सं.
1.	कक्षाएं/क्लासरूम (प्रत्येक में एक)	05*
2.	सभी बायोमेट्रिक मशीनों के ऊपर	01
3.	बाह्य-रोगी विभाग भवन के प्रतीक्षालय क्षेत्र में	01
4.	अंतः रोगी विभाग क्षेत्र	01
5.	होम्योपैथिक फॉर्मसी/औषधालय	01
6.	प्रतीक्षालय सहित रोगी का पंजीकरण स्थल	01
7.	अस्पताल की प्रयोगशाला	01

\* स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए अतिरिक्त।

- (5) **शैक्षणिक कक्ष और इंटरनेट सुविधा-** (क) चिकित्सा संस्थानों में प्रति वर्ष न्यूनतम दो स्मार्ट बोर्ड के साथ चरणबद्ध तरीके से कक्षा और व्याख्यान भवन में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से स्मार्ट-बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। प्रदर्शन कक्षों और नैदानिक कक्षाओं में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर और लोक शिकायत प्रणाली जैसी दृश्य-श्रव्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
- (ख) चिकित्सा संस्थानों के पास स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या वायरलेस सुविधा के साथ एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम सेट अप के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित शैक्षणिक सुविधा के साथ-साथ शैक्षणिक खंड, अस्पताल और पुस्तकालय को कवर करने के लिए पर्याप्त गति हो।
- (ग) सभी बाह्य रोगी विभागों में एक लाइसेंस-प्राप्त होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना होगा जिसे रोगी देखभाल के विभिन्न कार्यों के प्रबंधन के लिए अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा सकता है और इसका बैकअप पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- (घ) चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर रोगी की उपस्थिति उपलब्ध कराने के लिए डैशबोर्ड के रखरखाव सहित सभी आवश्यकताओं के सुचारू कामकाज के लिए नवीनतम कॉन्फिगरेशन के साथ पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराना होगा।
- (6) **वेबसाइट -** प्रत्येक चिकित्सा संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, जिन्हें हर महीने के पहले सप्ताह में अद्यतित किया जाना होगा, अर्थात: -
- (क) चिकित्सा संस्थान के निदेशक या प्राचार्य और चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक का विवरण, जिसमें उनका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, योग्यता व अर्हता, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता शामिल हो;
- (ख) संबद्ध विश्वविद्यालय, उसके कुलपति, होम्योपैथी संकाय के डीन (संकायाध्यक्ष) या प्रमुख, परीक्षा नियंत्रक और कुलपति का विवरण तथा उनके नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता हो। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए;
- (ग) आयुष या होम्योपैथी के प्रमुख सचिव या सचिव और आयुक्त या निदेशक का विवरण, जिसमें उनका नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता हो। सचिवालय एवं आयुष होम्योपैथी निदेशालय की वेबसाइट का लिंक चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा;
- (घ) शैक्षणिक कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों का विवरण तथा विभाग में उनकी नियुक्ति की तारीख एवं कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, उनकी तस्वीर, पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, योग्यता व अर्हता, अनुभव, विभाग, प्रकाशनों की संख्या और ऐसे अन्य आवश्यक विवरण, यदि कोई हो, शामिल किए जाने होंगे;
- (ङ) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की विस्तृत स्थिति;
- (च) होम्योपैथी में शैक्षिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृत सीटों की संख्या का विवरण; जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हो;
- (छ) वर्तमान और पिछले शैक्षणिक सत्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए छात्रों की योग्यता-वार, श्रेणी-वार सूची, उनके राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा स्कोर;

- (ज) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीयर या गैर पीयर रिव्यूड जर्नलों में सभी शोध प्रकाशन और कोई अन्य प्रकाशन;
- (झ) संस्थान द्वारा संचालित सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, अनुसंधान पाठ्यक्रम, सम्मेलनों और/या किसी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण;
- (ञ) छात्रों या संकाय या महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा प्राप्त कोई भी पुरस्कार और उपलब्धि का विवरण;
- (ट) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम;
- (ठ) पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क और अन्य लागतों का विवरण;
- (ड) बाह्य रोगी विभाग या अंतरंग विभाग के पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े;
- (ढ) अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग के रोगियों और उपचार क्षेत्र के पंजीकरण की रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी;
- (ण) आयुष मंत्रालय की गतिविधियों की सूचना और उस तक पहुंच के लिए वेबसाइट (<https://main.ayush.gov.in>) पर लिंक उपलब्ध कराना होगा;
- (त) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी संबंधित निकायों के लिए लिंक;
- (थ) वेबसाइट के कार्यकरण या रखरखाव की निगरानी के लिए चिकित्सा संस्थान से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा;
- (द) नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण वेबसाइट मार्गदर्शिका पर उपलब्ध कराना होगा; और
- (ध) कोई अन्य सूचना जो आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।
- (7) **छोटे समूह में शैक्षणिक सुविधाएँ** - शैक्षणिक कक्षों, छात्रों के लिए प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों और व्याख्यान कक्षों और किसी भी अन्य उपलब्ध क्षेत्र के कॉमन संसाधन पूल का उपयोग इन विनियमों में निर्दिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ-साथ छोटे समूह (तीस छात्रों तक) को पढ़ाने और शैक्षणिक विभाग द्वारा साझा करने के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल और इंटरनेट सुविधाएं होंगी।
- (8) **छात्रों के लिए सुविधाएं** - छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं में शौचालय, प्रेक्षागृह, आवधिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों, अंतरंग एवं बाह्य खेल और छात्रों के लिए काउंसिलिंग सेवाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग आम कमरों की सुविधाएं होंगी। महाविद्यालय में बाह्य या अंतरंग खेलों और ट्रैक इवेंट के लिए खेल का मैदान होगा। चिकित्सा संस्थान बाह्य खेल और ट्रैक इवेंट के संचालन के लिए कुछ खेल परिसरों के साथ समझौता ज्ञापन भी कर सकते हैं, यदि ऐसी सुविधाएं उनके अपने परिसर में उपलब्ध न हों।
- (9) **जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन**- होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान को समय-समय पर अधिसूचित जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उनके पास मानव मूल के जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर एक उत्कृष्ट संस्थागत नीति होनी आवश्यक है, जिसमें जैवचिकित्सा कचरे को अलग करने और निपटान की एक सुपारिभाषित व्यवस्था हो। अस्पताल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण कराना होगा।
- (10) सरकारी जल प्राधिकरण के प्रमाणीकरण के तहत चौबीस घंटे पीने योग्य और गैर-पीने योग्य पानी की उपलब्धता की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और तीन महीने में कम से कम एक बार किसी भी अधिकृत जल परीक्षण एजेंसी से समय-समय पर पीने के पानी की जांच करानी होगी तथा उसकी रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।



- (11) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उचित सफाई और स्वच्छता के साथ प्रत्येक मंजिल पर अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय निर्मित करने होंगे। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त सीवेज जल निकासी व्यवस्था या सीवेज शोधन संयंत्र होना आवश्यक है।
- (12) चिकित्सा संस्थान में कर्मचारियों, रोगियों और छात्रों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा होना जरूरी है।
- (13) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा, सार्वजनिक भविष्य निधि, श्रम नियम, निर्माण एवं रखरखाव और ऐसी अन्य संबंधित चीजों से संबंधित सभी आवश्यक सांख्यिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

ख. विभागवार विशिष्ट आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं, नामतः-

(1) होम्योपैथिक मैटिरिया मेडिका विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए अपेक्षित स्थान, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय, और विभागीय पुस्तकालय: पचहत्तर वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारी: तृतीय अनुसूची के अनुसार योग्यता/अर्हता होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामतः -

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	मल्टी-टास्किंग कर्मचारी	01

- (घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ- (i) संग्रहालय में प्रत्येक वर्ष कवर किए गए विषयों पर चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल (चित्र-वार प्रस्तुति) होंगे। चार्ट को हर चार महीने में बदलना होगा। नए महाविद्यालय की स्थापना के मामले में, संग्रहालय में चार्ट की संख्या उनके स्तर (पहले वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष के बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) पाठ्यक्रम के दौरान) के अनुपात में होगी और पांच चार्टों को वार्षिक रूप से जोड़ना होगा। चार्ट छात्रों द्वारा तैयार करने होंगे जिनका रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी रखना होगा। चार्ट निम्नलिखित विषयों पर हो सकते हैं, अर्थातः -

- (क) पादप पारिस्थितिकी/प्लांट किंगडम (10)
- (ख) पशु पारिस्थितिकी/ एनिमल किंगडम (10)
- (ग) खनिज पारिस्थितिकी/मिनरल किंगडम (10)
- (घ) ओफिडिया समूह (05)
- (ङ.) मकड़ी परिवार (02)
- (च) नोसोड्स (01)
- (छ) सारकोड्स (01)
- (ज) इम्पॉन्डरबिलिया (01)

(ii) अन्य रचनात्मक चार्ट (प्रत्येक एक) निम्नलिखित विषयों पर होंगे, अर्थात: -

- (क) गंभीर रोगोपचारों की अभिलाक्षणिकताएं;
- (ख) डीप एक्टिंग कंस्ट्रक्शुनल रोगोपचारों की अभिलाक्षणिकताएं;
- (ग) दुर्लभ चिकित्सा की अभिलाक्षणिकताएं;

(iii) नमूने: सभी पारिस्थितिकियों से पच्चीस अलग-अलग शुष्क और गीले नमूने विभाग में रखे जाएंगे।

(ड.) होम्योपैथी के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर

मैटिरिया मेडिका में जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित करना होगा, अर्थात: -

**सारणी**

क्र. सं.	नामचीन व्यक्ति का नाम
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग
4.	डॉ. टी.एफ.एलन
5.	डॉ. एच.सी.एलन
6.	डॉ. रिचर्ड ह्यूजेस
7.	डॉ.जे.एच.क्लार्क
8.	डॉ. एम.एल. टायलर
9.	डॉ. विलियम बोएरिके
10.	डॉ. सी. डनहम
11.	डॉ. ई.ए. फ्रारिंगटन
12.	डॉ. ई.बी.नैश
13.	डॉ. बी.के.बोस
14.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

(2) आर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान मूल सिद्धांत विभाग

- (क) शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय एवं विभागीय प्रयोगशाला के लिए स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारी अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्न सारणी के अनुसार होगी, नामतः:-

**सारणी**

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02

अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताओं के साथ सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम संवर्ग के एक अलग अभ्यागत संकाय (विजिटिंग फैकल्टी) को मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षणिक के लिए अनुबंधित किया जाएगा।

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) नमूने या तस्वीरें;

(ii) शैक्षणिक सामग्री: गंभीर और असाध्य रोगों सहित प्रसूची/कैटलॉग (बीस गंभीर और दस असाध्य रोग मामले): प्रत्येक की दो प्रतियां।

(iii) ई-सामग्री- सॉफ्टवेयर या वीडियो या पीपीटी या चार्ट

(iv) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल: नीचे उल्लिखित सभी चार्टों में से, पांच चार्ट संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने हैं जिन्हें हर चार महीने के बाद बदलना होगा। चार्ट केवल छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनका रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में रखा जाना है।

(क) चिकित्सा का इतिहास-5 चार्ट;

(ख) होम्योपैथी का इतिहास - 5 चार्ट (विश्व, भारत, राज्य का);

(ग) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन - 15 चार्ट;

(घ) दर्शनशास्त्र - 10 चार्ट;

(ङ.) मनोविज्ञान- 5 चार्ट

(v) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल के लिए विषय इस प्रकार हैं, अर्थात: -

(क) होम्योपैथी क्या है;

(ख) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की अंतर्वस्तु;

(ग) आर्गेनन के विभिन्न संस्करण;

(घ) चिकित्सक (मिशन, उपचार के सिद्धांत, अर्हता);

(ङ.) प्रकृति का चिकित्साविधान नियम;

(च) होम्योपैथी उपचार की कार्यप्रणाली;

(छ) चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों की तुलना;

(ज) रोगों का वर्गीकरण;

(झ) केस टेकिंग के लिए दिशानिर्देश;

(ञ) औषधि प्रमाणन विधियां, प्रमाणक, दिशानिर्देश;

(ट) ड्रग डायनेमाइजेशन की विधियां, पैमाने;

(ठ) क्रोनिक मियास्म की तुलना;

(ड) एक तरफा (वन साइडेड) रोग;

(ढ) मानसिक रोग;

(ण) आंतरायिक रोग;

(त) अनुषंगी उपाय;

(थ) होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांत;

(द) लक्षणों का वर्गीकरण;

(ध) लॉजिक-इंडक्टिव एवं डिडक्टिव;

- (न) संवेदनशीलता;  
 (प) संघटन (स्वभाव, डायथेसिस);  
 (फ) रोगनिदान/प्रॉग्नोसिस (दवा की क्रिया के बाद प्रेक्षण);  
 (ब) विनिर्देश (पहली और उसके बाद के);  
 (भ) अवधारणाओं की तुलना (जे टी केंट, एच ए रॉबर्ट्स, एस.क्लोज़);  
 (म) लक्षण का विश्लेषण या मूल्यांकन;  
 (य) पोज़ोलॉजी;  
 (र) मनोविज्ञान (प्रकार);  
 (ल) व्यक्तित्व (प्रकार);  
 (व) भावनाएँ;  
 (स) व्यवहार और प्रतिक्रियाएँ;  
 (ह) स्मृति और बुद्धि।

(vi) संग्रहालय में अन्य आवश्यकताएँ:-

- (क) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर, जिसमें उनके जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख हो, निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात: -

#### सारणी

क्र. सं.	नामचीन व्यक्ति का नाम
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. स्टुअर्ट क्लोज
4.	डॉ. हर्वट ए रॉबर्ट
5.	डॉ. जे. एच. एलन
6.	डॉ. आर. ई. डुजियॉन
7.	डॉ. महेन्द्र लाल सरकार
8.	डॉ. बाबू राजेन्द्र लाल दत्ता
9.	डॉ. बी.के. सरकार
10.	डॉ. दीवान हरीश चंद
11.	डॉ. के. जी. सक्सेना
12.	डॉ. महेन्द्र सिंह
13.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

#### (3) होम्योपैथी फॉर्मसी विभाग

- (क) शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, संग्रहालय एवं विभागीय प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित स्थान: एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर  
 (ख) कर्मचारी की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।  
 (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्न सारणी के अनुसार होगी, नामतः:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर	01
2.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
3.	प्रयोगशाला सहायक	01
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) फार्माकोपियाज (सभी खंड)

(क) भारत का होम्योपैथिक फार्माकोपिया	-01 सेट
(ख) जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया	-01 सेट
(ग) यूनाइटेड स्टेट का होम्योपैथिक फार्माकोपिया	-01 सेट
(घ) ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया	-01 सेट

- (ii) नमूनों का कैटलॉग जिसमें भेषजीय अथवा फॉर्माकोलॉजीकल कार्टवाइ, सामान्य विशेषताओं और नैदानिक संकेतों को दर्शाया गया हो : 2 प्रतियां।
- (iii) प्रैक्टिकल या क्लिनिकल रिकॉर्ड या हर्बेरियम पर जर्नल का अनुरक्षण करना होगा।
- (iv) विभाग के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित अल्कोहल या स्पिरिट लाइसेंस या उसकी अनुमति एवं उपयोग के रजिस्टर की प्रति अनुरक्षित करनी होगी।
- (v) विद्यार्थियों का फार्माकोपिया प्रयोगशाला या बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाई का दौरा जो सरकार के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होम्योपैथिक दवाइयों के विनिर्माण की प्रथाओं का अनुपालन करते हैं। ऐसे दौरे का प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड तथा उपस्थिति का विवरण रखना होगा।

(ड.) फार्मसी विभाग के लिए उपकरणों की सूची परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

(च) विभाग में निम्नलिखित चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल होना आवश्यक है और चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनके रिकॉर्ड को ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षण किया जाना है।

- (i) होम्योपैथिक फार्माकोपिया (सभी खंड);
- (ii) दवाओं के स्रोत;
- (iii) होम्योपैथिक फार्मास्युटिकल कोडेक्स;
- (iv) दवाओं का मानकीकरण - ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन;
- (v) दवाओं का मानकीकरण - सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन;
- (vi) दवाओं का मानकीकरण - भौतिक मूल्यांकन;
- (vii) दवाओं का मानकीकरण - रासायनिक मूल्यांकन;
- (viii) दवाओं का मानकीकरण - जैविकीय मूल्यांकन;

- (ix) दवाओं और उनकी प्रभावकारिता का संरक्षण;
- (x) वाहन - ठोस पदार्थ परिवहन वाले वाहन;
- (xi) वाहन - तरल पदार्थ परिवहन वाले वाहन;
- (xii) वाहन - अर्ध-ठोस पदार्थ परिवहन वाले वाहन;
- (xiii) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - हैनिमैनियन विधि;
- (xiv) होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण - नई विधि;
- (xv) तनुकरण (पोटेंटाइजेशन) के पैमाने;
- (xvi) तनुकरण की विधियाँ;
- (xvii) पोसोलॉजी (शुद्धमात्रिकी) के सिद्धांत;
- (xviii) निदेश-पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) लेखन;
- (xix) फार्माकोनॉमी;
- (xx) विभिन्न प्रकार के बाह्य अनुप्रयोग;
- (xxi) हैनिमैनियन औषधि प्रमाणन;
- (xxii) होम्योपैथिक रोगजनक परीक्षण;
- (xxiii) पादप-संघटक;
- (xxiv) होम्योपैथिक फार्मैसी अधिनियम और नियम;
- (xxv) विभिन्न प्रकार की औषध अभिक्रियाएं;
- (xxvi) भारतीय औषधियाँ और उनके स्थानीय नाम।

(छ) हर्वेरियम: 20

(ज) औषध स्रोतों की लेमिनेटेड तस्वीरें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होनी चाहिए: -

- (i) वानस्पतिक पारिस्थितिकी;
- (ii) पशु पारिस्थितिकी;
- (iii) खनिज पारिस्थितिकी;
- (iv) नोसोड्स;
- (v) सरकोडेस;
- (vi) इम्पॉन्डरबिलिया;
- (vii) सिंथेटिक स्रोत।

(झ) विभाग में मॉडल निम्न प्रकार होने चाहिए:-

- (i) पोटेंटाइजर;
- (ii) ट्रिक्चूरेटर;
- (iii) ग्लोब्यूल बनाने का पात्र।

(ञ) आवश्यक नमूनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

- (i) वानस्पतिक: क) शुष्क नमूना -50;  
ख) ताज़ा या गीला नमूना-20;
- (ii) पशु - 10;
- (iii) रसायन - 20.

(ट) हर्बल गार्डन में निम्नलिखित होना चाहिए: -

- (i) रोपित प्रजातियों की संख्या-30;
- (ii) गमलों में रोपित पौधे -30;
- (iii) पर्याप्त सिंचाई सुविधा और प्रशिक्षण;

#### (4) रेपटोरी और केस टेकिंग विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामतः -

#### सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

- (घ) संग्रहालय में आवश्यकता:- (i) विभाग दस कंप्यूटरों से सुसज्जित होगा जिन्हें समय-समय पर आवश्यक सहायक उपकरणों से नवीनतम कॉन्फिगरेशन में अपग्रेड किया जाएगा, और पांच अलग-अलग होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर पैकेज होंगे जिनमें केंट, बोगर बोएनिंगहौसेन, बोएरिक, पाठक, सिंथेसिस, मर्फी, कम्प्लीट रेपटोरी आदि जैसे विभिन्न रेपटोरी सन्निहित होंगे।
- (ii) रेपटोरी पर पंद्रह चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटो पैनल (छात्रों द्वारा तैयार किए जाने वाले चार्ट जिनके रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे) निम्नलिखित विषयों पर उपलब्ध कराने होंगे, अर्थातः -

- (क) रेपटोरीज़ का विकास;
- (ख) रेपटोरी की परिभाषा और उसकी आवश्यकता एवं उपयोग;
- (ग) रेपटोरीज़ का वर्गीकरण;
- (घ) क्रॉस रिपटोराइजेशन की प्रक्रिया;
- (ङ) बोएनिंगहाउज़ेन (Boenninghausen) का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;
- (च) केंट का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;
- (छ) बोगर का लक्षणों अथवा उपागम का मूल्यांकन क्रम;
- (ज) केंट के रेपटोरी संस्करण;
- (झ) कार्ड रेपटोरीज़;
- (ञ) रेपटोरियल सिंड्रोम और संभावित भिन्नात्मक क्षेत्र;

- (ट) परिकल्पित छायाचित्र/इमेज;
- (ठ) क्षेत्रीय रिपोर्टरियां;
- (ड) रेपटोरी सॉफ्टवेयर;
- (ढ) लक्षणों का विश्लेषण और मूल्यांकन;
- (ण) केस टेकिंग और रेपटोरी।

(ड.) होम्योपैथी रेपटोरी के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थापकों और योगदानकर्ताओं की तस्वीर, जिसमें उनके जन्म या मृत्यु की तारीख और संक्षिप्त विवरण का उल्लेख हो, निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात: -

सारणी	
क्र. सं.	नामचीन व्यक्ति का नाम
1.	डॉ. सैमुअल हैनीमैन
2.	डॉ. जे. टी. केंट
3.	डॉ. सी. वी. बोएनिंगहोसेन
4.	डॉ. सी. एम. बोजर
5.	डॉ. जी. एच. जाहर
6.	डॉ. एस. आर. पाठक
7.	डॉ. जुगल किशोर
8.	डॉ. रमनलाल पी. पटेल
9.	डॉ. फ्रेडेरिक स्क्रोयेन्स
10.	डॉ. रोजर वेन जेंडवूर्त
11.	डॉ. रॉबिन मर्फी
12.	डॉ. डी. पी. रस्तोगी
13.	स्थानीय या क्षेत्रीय नामचीन होम्योपैथी चिकित्सक

#### (5) मानव शरीर रचना विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, विच्छेदन कक्ष, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान: एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर;
- (ख) लाइसेंस प्रचलित कानूनों के विस्तृत प्रावधानों के अनुसार होगा;
- (ग) कर्मचारियों की अर्हता व योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी;
- (घ) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, नामतः -

#### सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02



अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	प्रयोगशाला सहायक	01
5.	शव-परीक्षण सहायक	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(ड.) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में वॉश बेसिन और शवों के भंडारण के साथ अच्छी तरह हवादार अंग-विच्छेदन हॉल होगा।

(च) संग्रहालय में आवश्यकताएँ: विभाग के पास निम्न को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल, नमूने, हड्डी सेट, आर्टिकुलेटेड कंकाल, हिस्टोलॉजी अर्थात् ऊतक विज्ञान और भ्रूणविज्ञान मॉडल या स्लाइड होने चाहिए-

(i) मॉडलों की संख्या-20;

(ii) चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडीज़ या फोटोपैनल की संख्या-30 (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके रिकॉर्ड ए4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे)।

(iii) ऊतक विज्ञान अथवा हिस्टोलॉजी स्लाइड- 50;

(iv) सभी आंतों का कोमल भाग-प्रणाली-वार-25;

(v) हड्डियाँ

(क) पूर्ण हड्डी सेट (03 पुरुष और 03 महिला) - 06;

(ख) आर्टिकुलेटेड और गैर-आर्टिकुलेटेड कंकाल - 02;

(vi) अनुप्रयुक्त शरीर-रचना के लिए एक्स-रे फिल्में, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, मेग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्टों का नमूना - 25;

(vii) जर्नल: (क) हिस्टोलॉजी जर्नल- सभी हिस्टोलॉजी स्लाइडें और अंग-प्रत्यंग स्लाइडों का विवरण;

(ख) सकल शरीर-रचना जर्नल;

(छ) शरीर-रचना प्रयोगशाला के लिए परिशिष्ट-2 के अनुसार आवश्यक उपकरणों की सूची।

### (6) मानव शरीरक्रिया विज्ञान और जैवरसायन विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात्:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
शैक्षणिक कर्मचारी		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
अशैक्षणिक कर्मचारी		
4.	प्रयोगशाला सहायक	01

5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

घ) शरीरक्रिया विज्ञान अथवा फिजियोलॉजी प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी।

(ड.) जैव रसायन प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट-4 के अनुसार होगी।

**(7) फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग**

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर	01
2.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
3.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

(i) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

- (क) दांत का ऊर्ध्वाधर खंड;
- (ख) बालों की जड़ (हेयर रूट्स);
- (ग) उंगलियों के निशान के पैटर्न;
- (घ) कैडवेरिक स्पैज्म;
- (ड.) मार्बलिंग चिन्ह;
- (च) पैटर्नयुक्त घर्षण;
- (छ) घाव में रंग परिवर्तन;
- (ज) घाव;
- (झ) कटा हुआ घाव;
- (ञ) घाव सृजन;
- (ट) सृजित घाव;
- (ठ) प्रवेशीय घाव और बहिर्वेशित घाव;
- (ड) कूप एवं काउंटरकूप क्षतियां;
- (ढ) अंतरकपालीय अथवा इंद्राक्रानियल रक्तस्राव;
- (ण) फिक्स नाट एवं स्लिप नाट;

(ii) निम्नलिखित के लिए चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल और प्रमाणपत्र प्रारूप (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाएंगे और रिकॉर्ड ए 4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित किया जाएगा) प्रदर्शित करने होंगे, नामतः-

- (क) शवपरीक्षण का प्रयोजन या उद्देश्य;
- (ख) शवपरीक्षण के नियम;
- (ग) शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप;
- (घ) मृत्यु के लक्षण- तत्काल, जल्दी, विलंबित;
- (ङ.) रिगर मोर्टिस- शुरुआत और अवधि;
- (च) चिकित्सा प्रमाणपत्र और पुलिस के पास दर्ज कराई गई सूचना की रिपोर्ट;
- (छ) दुर्घटना रजिस्टर प्रारूप;
- (ज) घाव प्रमाण पत्र;
- (झ) आयु अनुमान प्रारूप;
- (ञ) आयु प्रमाणपत्र;
- (ट) बलात्कार पीड़िता की जांच;
- (ठ) बलात्कार या अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी की जांच;
- (ड) पुरुष की शक्ति या नपुंसकता की जांच के लिए प्रफॉर्मा;
- (ढ) महिला की शक्ति या नपुंसकता का प्रमाण पत्र;
- (ण) चिकित्सा-विधिक मामलों में चिकित्सक के कर्तव्य

(ड.) आविष विज्ञान संबंधी नमूने: 35 (पाठ्यक्रम-विवरण अथवा सिलेबस के अनुसार)

(च) हथियार (कुंद, तेज और नुकीले): 20

(छ) संगत अधिनियमों और विनियमों की पर्याप्त प्रतियां प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में रखी जानी हैं:-

(ज) परिशिष्ट -5 के अनुसार फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी लैब के लिए उपकरणों की सूची।

(झ) अदालती कार्यवाहियों और शवपरीक्षण के लिए जिला अदालतों और अस्पतालों में जाने वाले छात्रों के रिकॉर्ड।

### (8) विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = एक सौ पचहत्तर वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारी की अर्हता/योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		

4.	प्रयोगशाला सहायक	01
5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	01
6.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

- (i) हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइडें - 25;  
(ii) मॉडल - 20

(ड.) परिशिष्ट-6 के अनुसार पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए उपकरणों की सूची।

**(9) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग**

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = एक सौ वर्ग मीटर।  
(ख) कर्मचारी की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।  
(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	सांख्यिकी सहायक	01
5.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

- (क) स्लो सैंड मॉडल;  
(ख) रैपिड सैंड मॉडल;  
(ग) सेनेटरी वेल मॉडल;  
(घ) इनसेनेटरी वेल मॉडल;  
(ड.) रिसर्च कम एक्शन शौचालय मॉडल;  
(च) सेप्टिक टैंक शौचालय मॉडल;  
(छ) 4 प्रकार के मच्छरों के जीवन चक्र का मॉडल;  
(ज) मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का मॉडल;  
(झ) फाइलेरिया के जीवन चक्र का मॉडल;  
(ञ) धुआं रहित चालाह;  
(ट) महत्वपूर्ण हेल्मिथों का जीवन चक्र;  
(ठ) आदर्श वेल मॉडल

(ii) निम्नलिखित के चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल और आरेख (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं जिनका रिकॉर्ड ए 4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करना होगा), अर्थात: -

- (क) स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा;
- (ख) संक्रामक रोगों की जानपदिकता;
- (ग) टीकाकरण और टीकाकरण अनुसूची;
- (घ) होमियोप्रोफिलैक्सिस;
- (ङ.) जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन;
- (च) स्वास्थ्य सूचना और जैव सांख्यिकी;
- (छ) गैर-संक्रामक रोग;
- (ज) सूचना, शिक्षा, संचार और परामर्श;
- (झ) आहार, पोषण और पोषण संबंधी समस्याएं एवं कार्यक्रम;
- (ञ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम;
- (ट) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां;
- (ठ) नॉयज, लाइट, रेडिएशन और मौसम विज्ञान;
- (ड) पर्यावरणीय स्वच्छता, शौचालय;
- (ढ) जल और सीवेज उपचार;
- (ण) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन;
- (त) वेंड की धुलाई, मानक सावधानी, पीपीई;
- (थ) चिकित्सा कीटविज्ञान;
- (द) व्यावसायिक स्वास्थ्य;
- (ध) धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं की लत;
- (न) स्वास्थ्य प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली;
- (प) ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा उपयोग;
- (फ) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण दिन और सप्ताह;
- (ब) रोगों की जांच;
- (भ) संक्रामक रोग, आहार, रोगनिरोधी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित अन्य सामग्री।
- (म) अनुसंधान प्रविधि और जैवसांख्यिकी चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या निम्नलिखित के स्टैंडीज़ या फोटो पैनल, अर्थात: -
  - (i) परिचर्या दिशानिर्देश जांच सूची;
  - (ii) नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक;
  - (iii) नैदानिक अध्ययन रिपोर्टें;
  - (iv) अच्छी नैदानिक प्रथाएँ;
  - (v) फार्माकोविजिलेंस।

(iii) सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर

(iv) होम्योपैथिक स्नातकपूर्व छात्रों के लिए निम्नलिखित दौरे आवश्यक हैं और प्रत्येक दौरे का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

- (क) जल शोधन संयंत्र;
- (ख) दुग्ध पाश्चुरीकरण संयंत्र;

- (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;
- (घ) उप-केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र;
- (ङ.) वृद्धाश्रम;
- (च) औद्योगिक इकाइयाँ;
- (छ) संक्रामक रोग अस्पताल;
- (ज) स्वास्थ्य मेला या स्वास्थ्य जांच शिविर;
- (झ) शारीरिक और मानसिक विकलांगताओं के लिए पुनर्वास केंद्र;
- (ञ) रिमांड होम, शरण, बाल देखभाल केंद्रों सहित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा।

(ड.) सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग में उपकरणों की सूची परिशिष्ट-7 के अनुसार होगी।

### (10) शल्यचिकित्सा विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर
- (ख) तृतीय अनुसूची के अनुसार कर्मचारियों की अर्हता होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

#### सारणी

क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित के चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं और उनका रिकॉर्ड A4 आकार की शीट में भी कायम करना होगा), अर्थात: -

- (क) सूजन का विभेदन निदान या सूजन की जांच;
- (ख) अल्सर के प्रकार या अल्सर का वर्गीकरण;
- (ग) ट्यूमर का वर्गीकरण;
- (घ) हर्निया का वर्गीकरण;
- (ङ.) क्षति के प्रकार;
- (च) साइनस और फिस्टुला;
- (छ) उत्तेजन का वर्गीकरण और उत्तेजन पर नौ नियम;
- (ज) रक्तस्राव के प्रकार;

- (झ) वैरिकाज़ (अपस्फीत) नस;
- (ञ) सदमे के प्रकार;
- (ट) पेप्टिक अल्सर;
- (ठ) गंभीर एपेंडिसाइटिस;
- (ड) गंभीर अग्नाशयशोथ;
- (ढ) गंभीर आंत्र रुकावट;
- (ण) कोलेलिथियसिस के साथ गंभीर कोलेसिस्टिटिस;
- (त) पेट का गंभीर विभेदक निदान;
- (थ) पेट के क्षेत्र के अनुसार पेट दर्द का कारण;
- (द) गुर्दे की पथरी के प्रकार;
- (ध) गुर्दे की पथरी के उपचार;
- (न) इन्गुइनोस्क्रोटल सूजन के प्रकार;
- (प) फ्रैक्चर के प्रकार;
- (फ) घावों के उपचार;
- (ब) ग्लासगो का कोमा स्केल;
- (भ) गर्दन की सूजन के प्रकार;
- (म) सर्जरी में उपकरण।

(ii) निम्नलिखित नमूनों की सूची, अर्थात: -

- (क) लिपोमा;
- (ख) पुटी/सिस्ट;
- (ग) कॉर्न;
- (घ) प्रोस्टेट का ट्रांसुरेथ्रल रिसेक्शन (टर्प);
- (ङ.) कोलेसिस्टेक्टोमी;
- (च) उण्डुक ((अपेन्डिक्स);
- (छ) नाडीग्रन्थि;
- (ज) होम्योपैथी द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज;
- (झ) मूत्राशय की पथरी;
- (ञ) फ्रैक्चर का एक्स-रे;
- (ट) आंतों में रुकावट, साइनसाइटिस, ओए घुटने (नी), स्पोंडिलोसिस और स्पोंडिलोलिथीसिस का एक्स-रे;
- (ठ) निमोनिया, वातस्फीति और ब्रोन्किइक्टेसिस का एक्स-रे

(ड.) परिशिष्ट-8 के अनुसार शल्यचिकित्सा विभाग में छात्रों को प्रदर्शन दिखाने हेतु उपकरणों की सूची।

### (11) स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विभाग

- (क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान = पचहत्तर वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	01
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:-

- (i) परिशिष्ट-9 के अनुसार स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विभाग में आवश्यक उपकरणों की सूची।  
(ii) विभाग में आवश्यक नमूनों का विवरण नीचे दिया गया है, अर्थात:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	सर्विक्स के साथ सामान्य गर्भाशय	01
2.	भ्रूणीय झिल्लियों के साथ प्लसेंटा	01
3.	गर्भाशय फाइब्रॉइड	01
4.	साधारण डिम्बग्रंथीय सिस्ट (पुट्री)	01
5.	चॉकलेट सिस्ट	01
6.	गर्भपात	01

(iii) विभाग में अपेक्षित मॉडल निम्न विवरणों के अनुसार होंगे, नामतः

सारणी		
क्र. सं.	मॉडल	अपेक्षित संख्या
1.	डमी पेल्विस	01
2.	डमी बेबी	01
3.	लेबर मनुवर	01
4.	भ्रूणीय कपाल (स्कल)	01

(12) भेषज विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ चिकित्सा अभ्यास विभाग

(क) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों, प्रदर्शन कक्ष, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और विभागीय पुस्तकालय के लिए स्थान: पचहत्तर वर्ग मीटर।

(ख) कर्मचारियों की अर्हता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।



(ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात:-

सारणी		
क्र. सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
<b>शैक्षणिक कर्मचारी</b>		
1.	प्रोफेसर	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	सहायक प्रोफेसर	02
<b>अशैक्षणिक कर्मचारी</b>		
4.	मल्टी टास्किंग कर्मचारी	01

फार्माकोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम के साथ एक अलग अभ्यागत संकाय अथवा विजिटिंग फैकल्टी को नियुक्त किया जाएगा।

(घ) संग्रहालय में आवश्यकताएँ:- (i) निम्नलिखित में से चार्ट या डिजिटल डिस्प्ले या स्टैंडी या फोटो पैनल (चार्ट छात्रों द्वारा तैयार किए जाने हैं और उनके रिकॉर्ड A4 आकार की शीट में भी अनुरक्षित करने होंगे), अर्थात: -

- (क) सांस फूलने के कारण;
- (ख) बड़बड़ाहट के प्रकार और संबंधित नैदानिक स्थितियां;
- (ग) जठरांत्र परीक्षण के औदरिक तत्व;
- (घ) जठरांत्र परीक्षण में असामान्य श्रवण ध्वनियां;
- (ङ.) ग्लासगो कोमा स्केल;
- (च) चाल-ढाल (गैट) के प्रकार;
- (छ) हृदवाहिका तंत्र (सीवीएस) परीक्षण;
- (ज) श्वसन तंत्र की जांच;
- (झ) औदरिक जांच;
- (ञ) जेनिटोयूरिनरी तंत्र की जांच;
- (ट) तंत्रिका (नर्वस) तंत्र की जांच;
- (ठ) रक्त विकारों का नैदानिक परीक्षण;
- (ड) अंतःस्रावी तंत्र की जांच;
- (ढ) सामान्य रुधिर विज्ञान और जैव रासायनिक मूल्य;
- (ण) पुलमनेरी (फुफ्फुसीय) क्रिया जांच का चार्ट।

(ii) निम्नलिखित के मॉडल, अर्थात: -

- (क) फेफड़े का आकार;
- (ख) नख रोग;
- (ग) एडेमा - प्रकार;
- (घ) हृद वाल्व - और बुदबुदाना;
- (ङ.) श्वसन रोगनिदान - विभेदन;
- (च) श्वसन की आवाज़ - सामान्य और असामान्य;

- (छ) जोड़ी गई ध्वनियाँ - रोगनिदान;
- (ज) श्वास नली - स्थानांतरण, कारण और विभेदन;
- (झ) विलिस का चक्र - मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं से पैथोलॉजिकल संबंध एवं विभेदन;
- (ञ) नेफ्रोपेटिक (वृक्क) और नेफ्रिटिक सिंड्रोम - नैदानिक विभेदन;
- (ट) दाएं हृदय की दुष्क्रिया बनाम बाएं हृदय की दुष्क्रिया।

(iii) निम्नलिखित की एक्स-रे फिल्में, अर्थात: -

(क) छाती/चेस्ट

- (i) सामान्य वक्षस्थल;
- (ii) अंतरालीय फेफड़े में रोग;
- (iii) फेफड़े की एटलेक्टैसिस;
- (iv) फेफड़े की सेग्मेंटल एवं लोबर ओपेसिटीज;
- (v) मल्टीफोकल अपारिभाषित ओपेसिटीज;
- (vi) डिफ्यूज फाइन नोडुलर ओपेसिटीज;
- (vii) फेफड़े में गांठें और द्रव्यमान;
- (viii) फेफड़े के सोलिटरी या मल्टीपल लूसेंट घाव;
- (ix) न्यूमोथोरैक्स;
- (x) फुफफुस बहाव या हेमोथोरैक्स या एम्पाइमा;
- (xi) वातस्फीति;
- (xii) कार्डियोमेगाली।

(ख) उदर

- (i) इंट्रापेरिटोनियल वायु;
- (ii) आंत्र में रुकावट;
- (iii) पथरी;
- (iv) अग्न्याशय का कैल्सीफिकेशन।

(ग) अंतःशिरा पाइलोग्राम

(घ) सर्वाइकल मेरुदंड और पीठ दर्द

(ड.) घुटना और टखना

(iv) सिर का कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन-

- (क) रक्तस्राव - इंट्रा-पैरेन्काइमल, सबराचोनोइड, सबड्यूरल, एपिड्यूरल;
- (ख) अभिघात (ट्रामा);
- (ग) स्ट्रोक - इस्केमिक, रक्तस्रावी;
- (घ) सामूहिक प्रभाव;
- (ड.) हाइड्रोसिफलस।

(v) छाती और वक्षस्थल का कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन

(vi) रिपोर्टें:

- (क) एंडोस्कोपी रिपोर्ट;

(ख) कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट।

(vii) उपकरण:

- (क) फोरसेप्स या एडसन;
- (ख) फोरसेप्स या मस्तिष्क ऊतक या फोरसेप्स या डिबेकी या स्पंज;
- (ग) क्लैप या बुलडॉग या क्राफ़र्ड या हेमोस्टैट या केली;
- (घ) ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब;
- (ङ.) राइल्स ट्यूब;
- (च) अस्थि मज्जा बायोप्सी सुई;
- (छ) यकृत बायोप्सी सुई;
- (ज) लाल रबर कैथेटर;
- (झ) स्पाइरोमीटर - हाथ से पकड़ा जाने वाला;
- (ञ) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन।

### (13) स्वास्थ्य वर्धन हेतु योग

सभी चिकित्सा संस्थानों में एक सुनियोजित योग विभाग उपलब्ध कराना होगा। यह विभाग महाविद्यालय या अस्पताल भवन में स्थित हो सकता है।

- (क) योग शिक्षक/अनुदेशक, सहायक कर्मचारियों और उपकरण के लिए स्थान - चालीस वर्ग मीटर।
- (ख) कर्मचारियों की अर्हता व योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।
- (ग) विभाग के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात: -

#### सारणी

क्र.सं.	पदनाम	अपेक्षित संख्या
1.	योग अनुदेशक/शिक्षक	02 (एक पुरुष एवं एक महिला)
2.	मल्टी-टास्किंग कर्मचारी	01

(घ) स्वास्थ्य वर्धन के लिए योग विभाग में अपेक्षित उपकरण की सूची परिशिष्ट-10 के अनुसार होगी।

ग. इकाइयाँ/एकक -

चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू)

(1) शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए स्थान- चालीस वर्ग मीटर।

संकाय विकास और शैक्षणिक या अधिगम (लर्निंग) संसाधन सामग्री प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू) होगा। इस एकक के लिए आवश्यकताएं इन विनियमों और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। शैक्षणिक प्रदान करने में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पर चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा संकाय को समय-समय पर प्रशैक्षणिक दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रत्येक संकाय की प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र एकक में दर्ज किया जाएगा। प्राचार्य या निदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक का प्रभारी होगा। विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रोफेसरों में से एक को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्राचार्य चक्रिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री या परा क्लिनिकल विभाग से एक संकाय, क्लिनिकल विभाग से एक और होम्योपैथिक विभाग से एक संकाय को सह-चयनित (कोऑप्ट) करेगा। विभाग के कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न प्रकार होंगे, अर्थात:-

- (क) आयोग के निर्देशानुसार पाठ्यचर्या का नियोजन और सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन;

- (ख) शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कार्यक्रम का मूल्यांकन;  
 (ग) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संकाय के लिए कार्यशाला आयोजित करना;  
 (घ) चिकित्सा शिक्षा में अनुसंधान संचालित करना।

(2) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक में आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट 11 के अनुसार होगी।

घ. चिकित्सा संस्थानों की बुनियादी ढांचा आवश्यकताएं:

सारणी		
क्र. सं.	विवरण	बिल्ट अप एरिया (वर्ग मी. में)
(एक सौ संख्या तक छात्रों की संख्या के लिए तथा एक सौ एक से एक सौ पच्चीस तक छात्रों की सीटों की संख्या के लिए लागू, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए दस प्रतिशत सीटों का आरक्षण हो)		
1.	<b>प्रशासनिक क्षेत्र</b> इसमें प्राचार्य का कक्ष, स्वागत कक्ष, आगंतुक कक्ष, समिति कक्ष, प्रशासन और लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सर्वर कक्ष, भवन के प्रत्येक तल पर पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय।	200
2.	<b>व्याख्यान कक्ष-05</b> बिजली, पंखे और कूलर या एयर कंडीशनर सुविधाओं के साथ पांच व्याख्यान कक्ष होंगे (पहाड़ी क्षेत्रों में महाविद्यालयों को छोड़कर) जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल एक सौ पच्चीस वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और वहां ऑडियो-विज़ुअल एवं इंटरनेट सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए तथा ई-लर्निंग के लिए सक्षम होने चाहिए।	625
3.	<b>सेमिनार या परीक्षा कक्ष</b> बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परीक्षा, काउंसिलिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों के संचालन के लिए महाविद्यालय परिसर के भीतर न्यूनतम तीन सौ छात्रों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़ा हॉल उपलब्ध कराना होगा। हॉल में पर्याप्त बिजली और बैठने की व्यवस्था और इंटरनेट सुविधाओं तथा एयर कंडीशनिंग के साथ ऑडियो-विज़ुअल प्रणाली होगी।	250
4.	<b>केंद्रीय पुस्तकालय</b> (क) पुस्तकालय वातानुकूलित होगा (पहाड़ी क्षेत्रों के महाविद्यालयों को छोड़कर) जिसमें बेहतर रोशनी और पुस्तकों और जर्नलों को रखने के लिए पर्याप्त जगह हो।  (ख) पुस्तकालय में कम से कम अस्सी से एक सौ छात्रों के लिए बैठने की क्षमता के साथ वाचनालय अर्थात् रीडिंग रूम, संकाय के लिए वाचनालय, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अलग वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के लिए कमरा, पुरानी पुस्तकों, जर्नलों और पुस्तकालय से संबंधित अन्य सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए कमरा।  (ग) पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष दो सौ अतिरिक्त पुस्तकों को जोड़ने	200

	<p>के साथ निर्दिष्ट विषयों पर कम से कम तीन हजार पुस्तकें होंगी। पुस्तकालय में समाचार पत्र [एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक प्रादेशिक भाषा में] या न्यूजलेटर एवं मुद्रित जर्नल (विशेष रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए) होंगे।</p> <p>(घ) इंटरनेट सुविधाओं के साथ छात्रों के वार्षिक दाखिलों व प्रवेश के कम से कम दस प्रतिशत छात्रों के लिए कंप्यूटर नोड्स वाला एक कंप्यूटर कक्ष।</p> <p>(ङ.) पुस्तक एवं पत्रिकाओं/पीरियोडिकल्स और ई-जर्नल से पहुंच के साथ ई-लाइब्रेरी या डिजिटल रिपॉजिटरी की सुविधा होगी।</p> <p>(च) ई-जर्नल सहित न्यूनतम पांच जर्नलों की पूर्ण वार्षिक अभिदान अर्थात् सब्सक्रिप्शन का प्रमाण होना चाहिए।</p> <p>(छ) पुस्तकालय में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर और स्कैनर होना चाहिए।</p> <p>तृतीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हताओं के अनुसार एक पुस्तकालयाध्यक्ष और एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए।</p>	
5.	<p><b>शैक्षणिक विभाग</b> होम्योपैथी चिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा पाठ्यक्रम स्नातक के लिए तेरह शैक्षणिक विभाग होंगे तथा क्षेत्र-वार आवश्यकता निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-</p>	
	<b>विभाग का नाम</b>	<b>अपेक्षित स्थान (वर्ग मी. में)</b>
(क)	<p>होम्योपैथी मटिरिया मेडिका (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे</p>	75
(ख)	<p>ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे</p>	75
(ग)	<p>होम्योपैथी फॉर्मोसी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय एवं प्रदर्शन कमरे</p>	175
(घ)	<p>होम्योपैथी रेपर्टोरी एवं केस टेकिंग (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं प्रदर्शन कमरे</p>	75
(ङ.)	<p>मानव शरीर-रचना (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) वाश बेसिन के साथ अच्छी हवादार अंग-विच्छेदन हॉल एवं शव के लिए कक्ष</p>	175

	(iii) हिस्टोलॉजी प्रदर्शन की सुविधा के साथ संग्रहालय	
(च)	मानव शरीरक्रिया एवं जैवरासायनिकी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) हेमाटोलॉजी एवं जैवरासायनिकी के लिए अलग प्रयोगशालाएं, (iii) क्लिनिकल फिजियोलॉजी के लिए संग्रहालय एवं प्रदर्शन कक्ष	175
(छ)	फॉरेंसिक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	75
(ज)	विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	175
(झ)	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	100
(ञ)	शल्यचिकित्सा (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ट)	स्त्रीरोग एवं प्रसूति (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ठ)	भेषज विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ चिकित्सा अभ्यास (i) शैक्षणिक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे (ii) संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	75
(ड)	स्वास्थ्य वर्धन के लिए योग (i) योग अनुदेशक एवं सहायक कर्मचारियों के लिए कमरे संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष के साथ प्रयोगशाला	40
6.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक	40
7.	बैठने की उचित व्यवस्थाओं और लॉकर के साथ लड़कों एवं लड़कियों के लिए कॉमन कमरे	60
8.	महाविद्यालय परिसरों में जलपान सुविधा	200
	<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>2940</b>

**नोट:** परंतु यह कि वर्ग मी. में उक्त स्थान की आवश्यकता इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित साठ सीटों वाले महाविद्यालयों के लिए बिंदु 5 (i), (ड) और 6 के सिवाय, लागू नहीं होगी। तथापि, एक सौ सीटों वाले सभी मौजूदा महाविद्यालयों को उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित स्थान संबंधी सभी आवश्यकताओं को इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होगा, बिंदु 5 (i), (ड) और 6 के सिवाय जिन्हें उपर्युक्त में उल्लिखित सभी अन्य सुविधाओं के साथ इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से भरा जाना चाहिए।

ड. चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी (i) प्राचार्य अथवा निदेशक अथवा संकायाध्यक्ष की आवश्यकता निम्नानुसार होगी अर्थात:-

क्र.सं.	पदनाम	100 प्रवेशों/दाखिलों तक
1.	प्राचार्य या निदेशक या संकायाध्यक्ष (डीन) या संस्थान का प्रमुख	01

(2) शैक्षणिक कर्मचारी:-

(क) होम्योपैथी एवं शल्य चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम स्नातक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक कर्मचारी निम्न सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होंगे:-

सारणी

क्र. सं.	विभाग का नाम	100 प्रवेशों तक		
		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर
I	होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका	1	1	2
J 2.	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत	1	1	2
K 3.	होम्योपैथिक फॉर्मोसी	1 या 1		L 1
M 4.	होम्योपैथी रेपर्टोरी एवं केस टेकिंग	1	1	2
N 5.	मानव शरीर-रचना	1	1	2
O 6.	मानव शरीरक्रिया एवं जैवरासायनिकी	1	1	2
P 7.	फॉरेंसिक चिकित्सा एवं आविष विज्ञान	1 या 1		1
Q 8.	सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	1	1	1
R 9.	विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान	1	1	1
S 10.	शल्यचिकित्सा	1	1	1
T 11.	स्त्रीरोग एवं प्रसूति	1	1	1
U 12.	भेषजविज्ञान के मूल सिद्धांतों के साथ चिकित्सा की प्रैक्टिस	1	1	2
V	कुल	40		

नोट: - उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता को इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी मौजूदा महाविद्यालयों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(3) सभी विभागों या विषयों के शैक्षणिक कर्मचारी केवल पूर्णकालिक होंगे तथा निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया जाएगा अर्थात:-

- (क) किसी विभाग में उपलब्ध अतिरिक्त उच्च संवर्ग संकाय पर उसी विभाग में रिक्त निचले संवर्ग के लिए विचार किया जाएगा;
- (ख) अस्थायी आधार पर संविदा नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार (लिएन) के कारण शैक्षणिक संकायों के रिक्त पदों के विपरीत, शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार पर कार्यमुक्ति

- की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति या ग्रहणाधिकार की समान अवधि के लिए की जाएगी;
- (ग) विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी प्रारंभ में संबंधित विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर से नीचे नहीं, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रिक प्रक्रिया में प्रत्यायोजित की जाएगी;
- (घ) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम के साथ एक अलग अभ्यागत संकाय (विजिटिंग फैकल्टी) को आधुनिक फार्माकोलॉजी के विषयों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा;
- (ङ.) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम पदनाम की एक अलग अभ्यागत संकाय को मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षणिक के लिए नियुक्त किया जाएगा;
- (च) होम्योपैथी के संदर्भ में योग के शैक्षणिक के लिए, तृतीय अनुसूची में इन नियमों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ एक पुरुष और महिला योग प्रशिक्षक को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा;
- (छ) इन विनियमों में निर्दिष्ट योग्यता के साथ सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान प्रविधि और जैव सांख्यिकी विभाग में शिक्षकों की सहायता के लिए महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल के सांख्यिकीय कार्य के लिए एक सांख्यिकीय सहायक नियुक्त किया जाएगा;
- (ज) पूर्णकालिक शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों जो उसी पदनाम में आठ वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से रुके हुए हैं, के लिए वित्तीय उन्नयन एवं पदनाम सहित समयबद्ध कैरियर उन्नयन योजना को संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसे संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। वित्तीय और पदनाम उन्नयन इन विनियमों की प्रथम अनुसूची के खंड (ड.) के (5) के अंतर्गत दी गई सारणी के अनुसार होगा।
- (झ) नियुक्ति और पदोन्नति आदेश में पद का विवरण, विभाग का नाम, पदोन्नति की तारीख, नियुक्ति की प्रक्रिया; जैसे कि पूर्णकालिक या अंशकालिक, अतिथि संकाय या अभ्यागत संकाय और नियुक्ति की पदावधि के साथ रोजगार के प्रकार (नियमित या संविदात्मक) के विवरण सन्निहित होंगे।
- (ञ) संकाय या कर्मचारियों को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संविदा या परिवीक्षा पर तैनात किया जाएगा। कोई भी शिक्षक स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने उस श्रेणी में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर ली हो जिसमें उसे नियुक्त किया गया था।

**नोट:** चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को प्रत्येक वर्ष आयोग को सूचित करना होगा। संस्थान से किसी भी कर्मचारी के त्यागपत्र या निष्कासन के मामले में, उसके बारे में उचित दस्तावेजों के साथ आयोग को अधिसूचित एवं सूचित करना होगा। उसके बाद संस्थान द्वारा की गई नई नियुक्ति की सूचना आयोग को नियुक्ति की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दी जाएगी।

**(4) आधुनिक चिकित्सा या होम्योपैथी का व्यवसायी परामर्शदाता:**

- (क) अनुभवी वृत्तिक के साथ छात्रों के एक्सपोजर को सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा और होम्योपैथी से अभ्यागत/ विजिटिंग संकाय के रूप में व्यवसायी परामर्शदाताओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जाए। यह अस्पताल और महाविद्यालय के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के अतिरिक्त होगा;
- (ख) तथापि, इस अभ्यागत संकाय को इन विनियमों में निर्धारित संकाय आवश्यकता के लिए नहीं गिना जाएगा;
- (ग) चिकित्सा संस्थान में छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करने एवं चर्चा करने, संदेहास्पद एवं कठिन मामलों के निदान और प्रबंध के लिए आधुनिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा;
- (घ) छात्रों की उपस्थिति और उनकी प्रतिक्रिया से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य चिकित्सा व्यवसायी विभाग में कायम किए जाएंगे;



- (ड.) चिकित्सा संस्थान संबंधित विषय में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड या बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा या त्वचाविज्ञान, वेनरोलॉजी और कुष्ठ रोग में डिप्लोमा के साथ आधुनिक चिकित्सा में कार्यरत एवं नैदानिक रूप से नामचीन परामर्शदाता नियुक्त करेगा, जिनके पास कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो। जबकि होम्योपैथी के संदर्भ में, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) डिग्री धारकों के लिए न्यूनतम पंद्रह वर्षों और एम.डी. (होमो.) डिग्री धारकों के लिए न्यूनतम दस वर्षों का वृत्तिक अनुभव आवश्यक है;
- (च) व्यवसायी परामर्शदाता होम्योपैथी से होगा, जबकि विशेषज्ञ हृदयरोग, बाल चिकित्सा, मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, नेत्र विज्ञान, रुमेटोलॉजी, दर्द निवारक परिचर्या, जराचिकित्सा, त्वचा विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, सामान्य चिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान, स्त्री रोग, प्रसूति, आपातकालीन चिकित्सा एवं गंभीर परिचर्या, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी से होंगे;

परंतु यह कि हर महीने उपर्युक्त विषयों से कम से कम चार अलग-अलग प्रकार के व्याख्यान या इंटरैक्टिव सत्र की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे इंटरैक्टिव सत्रों और उनमें छात्रों की प्रतिभागिता का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

**(5) शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन:-**

- (क) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी स्वायत्त संस्थान या सरकारी विश्वविद्यालय या केंद्रीय, निजी, मानद विश्वविद्यालय या राज्य निजी, मानद विश्वविद्यालय सहित स्व-वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए, गैर-व्यवसायी भत्ते सहित वेतन और भत्ते का भुगतान क्रमशः नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और चिकित्सा प्रणालियों के बीच वेतन संरचना में कोई विसंगति नहीं होगी। जिन शैक्षणिक और अशैक्षणिक चिकित्सा अधिकारियों को गैर-व्यवसायी भत्ते का भुगतान किया जाता है, वे गैर-महाविद्यालयी घंटों के दौरान नैदानिक अभ्यास नहीं करेंगे।

**सारणी (शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए)**

क्र.सं.	पद	वेतनमान
1.	सहायक प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (56,100- 1,77,500) में लेवल-10
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (78,800- 2,09,200) में लेवल-12
3.	प्रोफेसर	पे मैट्रिक्स (1,23,100- 2,15,900) में लेवल-13
4.	प्राचार्य या संस्थान का प्रमुख	पे मैट्रिक्स (1,31,100- 2,16,600) में लेवल-13A

- (i) **नोट:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा परिभाषित पुस्तकाध्यक्ष पर शैक्षणिक संकाय संवर्ग के अधीन विचार किया जाएगा। केंद्रीय, निजी, समकक्ष विश्वविद्यालय अथवा राज्य निजी, समकक्ष विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक स्व-वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान के लिए संबंधित शैक्षणिक संवर्ग हेतु उपरिउल्लिखित सारणी में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल वेतन उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन होगा तथा यदि इसका भुगतान पहले से ही किया जा रहा है तो यह उससे अधिक वेतन ढांचे के लिए प्रतिबंधित नहीं होगा। तथापि, लागू सभी भत्तों का भुगतान संबद्ध नियोक्ता की नीति तथा संबंधित संवर्ग या पद में एक वर्ष के अनुभव के बारे में वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार ही किया जा सकता है।

**सारणी (अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए)**

पद	वेतन मान
प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय	चिकित्सा संस्थान और अस्पताल के अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन कुशल और अकुशल जनशक्ति के लिए संबंधित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा

अधीक्षक, लेखपाल, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, एक्स-रे तकनीशियन और सहायक, नर्सिंग स्टाफ, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट, ड्रेसर, कार्यालय सहायक / मल्टी - टास्किंग स्टाफ और वार्ड बॉय या आया।	विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा।
---	---

- (ख) तदनु रूप वेतनमान संरचना, यथा लागू, को अंगीकृत किया जाए जब भी केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों को संशोधित किया जाए,-
- (ग) महाविद्यालयी अस्पताल में आवासीय चिकित्सा अधिकारी का वेतन रु.55000/- प्रति माह से कम नहीं होगा और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का रु.65000/- प्रति माह (के समानांतर) से कम नहीं होगा।
- (घ) अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन चिकित्सा संस्थान के समर्पित खाते से बैंक अंतरण के माध्यम से उनके वेतन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा उपदान, छुट्टियों का नकदीकरण जैसी आवश्यक सुविधाएं तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाएं चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करानी होंगी और महाविद्यालय द्वारा अध्यापकों को प्रचलित मानदंडों के अनुसार आयकर कटौती प्रमाणपत्र प्रपत्र 16 या 16ए के रूप में जारी किया जाएगा।

**नोट:** प्रचार्य हस्ताक्षरी प्राधिकारी होगा या चिकित्सा संस्थान के बैंक खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षरी प्राधिकारियों में से एक होगा।

- (6) **शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु:-** (क) शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी। अध्यापकों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त अध्यापकों को पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में पुन-नियोजित किया जा सकता है। तथापि, उक्त पुन-नियोजित अध्यापकों को कोई प्रशासनिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
- (ख) पैंसठ वर्ष की आयु से लेकर सड़सठ वर्ष की आयु तक, अध्यापकों को केवल स्नातकोत्तर शैक्षणिक के लिए पुनःनियोजित किया जा सकता है। तथापि उन्हें तृतीय अनुसूची में उल्लेखित पदनाम के अनुसार अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करना होगा।
- (7) **विशिष्ट अध्यापक संहिता -** (क) सभी पात्र अध्यापकों के लिए एक विशिष्ट अध्यापक संहिता आयोग द्वारा महाविद्यालय में उनकी नियुक्ति के उपरांत पंद्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन संकाय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आवेदन के अनुमोदन के बाद आवंटित किया जाएगा। इसे ऑनलाइन संकाय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निरंतर मॉनीटर किया जाएगा।
- (ख) संबंधित संकाय अपनी स्थिति और योग्यता, पदनाम, तैनाती एवं सेवानिवृत्ति और इस तरह के अन्य विवरणों में परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में प्रोफाइल अपडेट करेगा।
- (ग) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार या यदि शिक्षक किसी भी कारण से पढ़ाना बंद कर देता है या किसी संस्था में पदभार ग्रहण नहीं करता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती या इसी तरह की कोई अन्य मिलती-जुलती या इससे संबंधित अन्य मामले होने पर शिक्षक के कोड को वापस लेने या निलंबित करने या रोकने या रद्द करने की शक्ति होगी। यदि वह बीच में पढ़ाना बंद कर देता है, तो वह राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में नया आवेदन देकर उसी शिक्षक कोड के साथ शैक्षणिक पेशे में फिर से शामिल हो सकता है।
- (8) **तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी:** (1) चिकित्सा संस्थानों के विभिन्न विभागों और इकाइयों में तकनीकी और अन्य कर्मचारी नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:-

## सारणी

क्र.सं.	विभाग	कर्मचारी (तकनीकी और गैर-तकनीकी)	आवश्यक संख्या
1.	शरीर रचना विज्ञान	प्रयोगशाला सहायक	1
		शव सहायक	1
2.	जैव रसायन सहित फिजियोलॉजी	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	1
3.	होम्योपैथिक फार्मैसी	प्रयोगशाला सहायक	1
4.	पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	1
5.	पुस्तकालय	लाइब्रेरियन	1
		पुस्तकालय सहायक	1
6.	प्रशासनिक कर्मचारी	कार्यालय अधीक्षक	1
		लेखाकार	1
		प्रवर श्रेणी लिपिक	1
		अवर श्रेणी लिपिक	1
		डाटा एंट्री ऑपरेटर	1
		प्रशासन अनुभाग में मल्टी-टास्किंग स्टाफ	02
7.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	सभी विभागों में	13

- (2) चिकित्सा संस्थान प्रत्येक विभाग, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रशासनिक अनुभाग में पर्याप्त सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। निगरानी और वार्ड ज्यूटी, परिवहन और स्वच्छता चिकित्सा संस्थान द्वारा आउटसोर्सिंग से या नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

## द्वितीय अनुसूची

(विनियम 5 का खंड (क) और (ख), विनियम 9 का खंड (क) देखें)

## होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल की आवश्यकता

## क. सामान्य

- (1) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के तहत होम्योपैथी चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को स्नातक डिग्री या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सा संस्थान की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से वैध पंजीकरण वाला पूरी तरह कार्यशील एक अस्पताल होगा जो इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक बुनियादी अवसंरचना जैसे बाह्य रोगी विभाग, इनडोर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशालाएं इत्यादि के साथ कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- (2) शैक्षणिक अस्पताल, अस्पताल बनाने और चलाने के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या मंजूरी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को प्रस्तुत करेगा। संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे आवेदक चिकित्सा

संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक वर्ष की वैधता वाली ऐसी अनुमति या मंजूरी की उपलब्धता का सत्यापन करेगा।

- (3) सभी शैक्षणिक होम्योपैथिक अस्पतालों को आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर अस्पतालों की मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में आवेदन करना होगा। अस्पताल को पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर प्रारंभिक स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और प्रारंभिक स्तर का प्रमाणन प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के भीतर पूर्ण मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- (4) बाह्य रोगी विभाग में रिसेप्शन और रोगियों के लिए प्रतीक्षालय हेतु पर्याप्त स्थान, परामर्श या जांच कक्ष होगा। आउटडोर विभाग में एक प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखी जाएगी।

(क) फर्नीचर या फिक्स्चर या उपकरण:- परिशिष्ट-12 के अनुसार बाह्य रोगी विभाग में फर्नीचर या फिक्स्चर या उपकरण की आवश्यकताएं निर्धारित होंगी।

**(ख) परिधीय बाह्य रोगी विभाग:-**

- (i) शैक्षणिक अस्पताल अपने आस-पास की आबादी को प्रभावी, किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने, छात्रों को नैदानिक अनुभव प्रदान करने और शैक्षणिक अस्पताल के लिए माध्यमिक स्तर के रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य अस्पताल से दस से पच्चीस कि.मी. की सीमा के भीतर अधिकतम दस परिधीय बाह्य रोगी विभाग स्थापित कर सकते हैं।
- (ii) दैनिक केंद्रीय बाह्य रोगी विभाग और परिधीय बाह्य रोगी विभाग से रेफरल की संख्या की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और केस रिकॉर्ड को कॉलेजिएट अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों के रिकॉर्ड के साथ रखा और जोड़ा जाएगा।
- (iii) कॉलेजिएट अस्पताल से अन्य आवश्यकताओं और कर्मचारियों का उपयोग परिधीय बाह्य रोगी विभाग के कामकाज के लिए किया जाएगा। परिधीय बाह्य रोगी विभागों के लिए स्वयं के नाम पर या पट्टे पर आवंटित स्थान के संबंध में करारनामा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। न्यूनतम एक वर्ष की कार्यशीलता दर्शाने वाला रिकॉर्ड रखा जाएगा। भवन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और बाह्य रोगी विभाग या अंतः रोगी विभाग के आंकड़े रखे जाएंगे।
- (5) अस्पताल में रिसेप्शन, रोगी प्रतीक्षालय, औषधि वितरण कक्ष (डिस्पेंसिंग रूम), ड्रेसिंग रूम, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी खंड, मेडिकल रिकॉर्ड-रूम, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, स्टोर रूम, पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग वार्ड, डॉक्टरों, नर्सों, अन्य कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रूम और किसी कार्यशील अस्पताल के लिए आवश्यक नैदानिक शैक्षणिक कक्ष के अलावा बाह्य रोगी विभाग और अंतः रोगी विभाग को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा और संबद्ध अस्पताल के निर्मित क्षेत्र का विनिर्देश इन विनियमों में किए गए निर्धारण के अनुसार होगा।

- (6) चिकित्सा संस्थान और अस्पताल बाह्य रोगी विभाग और अंतःरोगी विभाग में रोगियों के रिकॉर्ड रखने के लिए कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली रखेंगे और विभागवार बाह्य रोगी विभाग और अंतःरोगी विभाग के रिकॉर्ड, बाह्य रोगी विभाग और अंतःरोगी विभाग के रोगियों के केस पेपर, प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, औषधि वितरण रजिस्टर, अंतःरोगी विभाग के रोगियों के आहार रजिस्टर, अस्पताल के कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य संबंधित दस्तावेज भी रखेंगे ताकि इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले वास्तव में कार्यशील होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल के दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।
- (7) चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन और निपटान:- (क) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी लागू हो, के मौजूदा नियमों या विनियमों या कानून के अनुसार अनिवार्य सूचना दर्ज की जानी और रखी जानी चाहिए।
- (ख) अंतःरोगियों के कम से कम पिछले दस वर्षों के या उपलब्धता के अनुसार मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहीत किए जाएंगे। भविष्य के लिए, अंतःरोगियों के सभी चिकित्सा रिकॉर्ड को नियमित और सतत आधार पर डिजिटाइज़ किया जाना चाहिए और भविष्य के संदर्भों के लिए अनिश्चित काल तक रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जो अनुसंधान और नीति नियोजन उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है।
- (ग) अस्पताल नीचे उल्लिखित हार्ड कॉपी के रूप में मेडिकल रिकॉर्ड रख सकता है, अर्थात्:-
- (i) अंतः रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड (अर्थात् केस शीट इत्यादि)-पांच वर्ष;
  - (ii) बाह्य रोगी विभाग रिकॉर्ड (बाह्य-रोगी विभाग) रजिस्टर और डुप्लिकेट बाह्य-रोगी विभाग रिकॉर्ड, यदि कोई हो- पांच वर्ष;
  - (iii) मेडिको लीगल रजिस्टर और केस शीट - दस वर्ष या किसी भी न्यायालय में इन रिकॉर्ड से संबंधित चल रहे मामलों के निपटान तक।
- (8) (क) नैदानिक क्षेत्र में छात्रों के अनुभव और ऑपरेटिव सर्जरी एवं ऑपरेटिव स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के साथ-साथ गंभीर और सर्जिकल मामलों के प्रबंधन की गहराई को समझने के प्रयोजन के लिए यदि किसी कॉलेज के संबद्ध अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में गंभीर मामलों को संभालने की सुविधा नहीं है, तो वह कॉलेज सभी आवश्यक सुविधाओं वाले पास के किसी प्रतिष्ठित आधुनिक चिकित्सा बहु-विशेषता (मल्टी-स्पेशियलिटी) अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन करेगा जिसमें दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। बहु-विशेषता (मल्टी-स्पेशियलिटी) वाले अस्पताल में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-
- (i) आपातकालीन मामलों और गंभीर रोगियों के प्रबंधन के लिए ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, गहन चिकित्सा इकाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं;
  - (ii) सभी रेडियोलॉजिकल कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (सीटी स्कैन), मेग्नेटिक रिसोनंस इमेजिंग (एमआरआई) अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) सहित और उन्नत प्रयोगशाला जांच सुविधाएं;
  - (iii) जिस अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त अस्पताल होगा।
- (ख) उक्त क्षेत्र में आवश्यक अनुभव के लिए चिकित्सा संस्थान के छात्रों को कॉलेज के संबंधित शैक्षणिक संकाय की सख्त निगरानी में संबद्ध मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में तैनात किया जाएगा। छात्रों के विजिट का समुचित उपस्थिति रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(9) अंत:रोगी विभाग: -

(क) अंत:रोगी के लिए वार्ड और कमरे विभाग:-

- (i) जनरल मेडिसिन (पुरुष और महिला वार्ड अलग-अलग)
- (ii) बालचिकित्सा;
- (iii) सर्जरी (पुरुष और महिला वार्ड अलग-अलग);
- (iv) प्रसूति एवं स्त्री रोग;
- (v) शौचालय और स्नान गृह (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग)
- (vi) डॉक्टरों का ड्यूटी रूम;
- (vii) नर्सों के लिए नर्सिंग स्टेशन या ड्यूटी रूम;
- (viii) आवश्यक दवाओं के साथ फार्मसी;
- (ix) रिकॉर्ड रूम

(ख) (i) अंत: रोगी विभाग में प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध रहेगा। अस्पताल के अंत:रोगी विभाग (अंत: रोगी विभाग) में अलग-अलग पुरुष और महिला वार्ड होंगे और बिस्तरों का वितरण नीचे दी गई सारणी में किए गए निर्धारण के अनुसार किया जाएगा अर्थात्:-

सारणी

वार्ड	अंत:रोगी विभाग में बिस्तरों का वितरण
जनरल मेडिसिन	50% (तीव्र 10% और क्रोनिक 40%)
शल्य चिकित्सा	20%
प्रसूति एवं स्त्री रोग	20%
बाल चिकित्सा	10%

(ii) परिशिष्ट-13 के अनुसार अंत: रोगी विभाग में फर्नीचर या फिक्स्चर होगा।

(iii) परिशिष्ट-14 के अनुसार अंत: रोगी विभाग (अंत: रोगी विभाग) के लिए उपकरण या औजार होंगे।

(10) (क) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक बिस्तरों की संख्या और बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम उपस्थिति नीचे सारणी में किए गए उल्लेख के अनुसार होगी अर्थात्:

सारणी

प्रति वर्ष क्षमता	अंत:रोगी विभाग में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या	पिछले एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की प्रति दिन न्यूनतम औसत संख्या
60 छात्रों तक	30	180
61-100 छात्र	50	300

(ख) पिछले एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान अंत:रोगी विभाग में बिस्तर के उपयोग की दर 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।  
नोट:- पर्वतीय क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान के लिए बाह्य रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग में दस प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(11) (क) होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल में अपने आउट-डोर और इन-डोर विभागों के लिए अच्छी व्यवस्था वाले अलग-अलग औषधालय होंगे, जिनमें दवा का पर्याप्त भंडार होगा।

(ख) केंद्रीय फार्मसी कॉलेजिएट अस्पताल के भूतल पर बाह्य रोगी विभाग के समीप होना चाहिए। मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और स्वास्थ्य, स्वच्छता पर शिक्षाप्रद पोस्टर और पढ़ने के लिए साहित्य उपलब्ध होने चाहिए।

(ग) आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार होगी:-

(i) भेषज: 01;

(ii) औषधि वितरक: 02

तृतीय अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त कर्मचारियों की योग्यता

(घ) आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरण:-

- (i) उपचार और दवाओं के वितरण के लिए उपयुक्त स्थान;
- (ii) जल आपूर्ति की सुविधा;
- (iii) बोटल धोने के लिए उपयुक्त स्थान;
- (iv) औषधालय के लिए काउंटर;
- (v) स्टोर और औषधालयों के लिए आवश्यक सुविधाएं;
- (vi) कचरे का डिब्बा।

(ङ) गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(12)(क) कॉलेजिएट अस्पताल में पर्याप्त कर्मियों के साथ विशिष्ट आपातकालीन कक्ष होगा। इसमें अधिमानतः बाह्य रोगी विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार से अलग एक प्रवेश द्वार होना चाहिए ताकि अस्पताल में आने वाले हताहतों को तत्काल उपचार देने में बहुत कम समय लगे। वाहनों के आने-जाने के लिए पर्याप्त स्थान और रोगियों के उतरने के लिए कवर किए गए क्षेत्र के साथ एम्बुलेंस के आसानी से पहुंचने के लिए स्थान होना चाहिए। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आपातकाल का साइनेज लगाया जाना चाहिए। अलग से आपातकालीन बिस्तर प्रदान किए जाने चाहिए। आपातकालीन इकाई में रोगी की जांच के लिए आवश्यक सभी बुनियादी उपकरण होंगे जिनमें टॉर्च, थर्मामीटर, टंग डिप्रेसर, नी हैमर, बीपी उपकरण, नेबुलाइज़र, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सुई, सिरिंज, टांके लगाने की सामग्री, स्केलपेल, राइल्स ट्यूब, आईवी सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, साँस लेने के किट के साथ मास्क और सक्शन मशीन शामिल होंगे।

(ख) आपातकालीन इकाई का प्रबंधन तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले सामान्य चिकित्सक की देखरेख में किया जाएगा। डॉक्टरों और नर्सों के लिए ड्यूटी रोस्टर लगाए और रखे जाएंगे।

(ग) परिशिष्ट-15 के अनुसार आपातकालीन उपकरण होंगे।

(घ) दवाइयों में न्यूनतम आवश्यक दवाइयां शामिल हैं जिन्हें सुविधा में रखना होता है।

(i) परिशिष्ट-16 के अनुसार एनेस्थेटिक्स दवाइयां होंगी।

(ii) परिशिष्ट-17 के अनुसार आपातकालीन दवाइयां होंगी।

(13) केंद्रीय प्रयोगशालाएं:-

(क) अस्पताल के आउटडोर और इनडोर विभाग से रेफर किए गए रोगियों की नियमित, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल और हेमेटोलॉजिकल जांच करने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट उचित बुनियादी ढांचे और कर्मियों के साथ सभी सुविधाओं वाली और अद्यतन केंद्रीय प्रयोगशाला होगी। कॉलेजिएट अस्पताल की इस प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। अस्पताल में अनिवार्य रूप से एक्स-रे, ई.सी.जी. की सुविधा होगी। अस्पताल में स्कैनिंग और सोनोग्राफी उपकरण की सुविधा या तो अपने स्वयं के अस्पताल में या पास में स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के तहत होनी चाहिए।

(ख) रोगियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(ग) परिशिष्ट 18 के अनुसार प्रयोगशाला में उपकरणों की सूची होगी।

(14) नैदानिक शैक्षणिक कक्ष - कॉलेजिएट अस्पताल में नैदानिक मामलों पर चर्चा करने या दिखाने के लिए प्रत्येक नैदानिक विभाग में शैक्षणिक कक्ष होगा। नैदानिक कक्ष का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है ताकि छात्र नैदानिक वातावरण के अनुकूल, पेशेवर रूप से विकसित हो सकें, रोगियों के साथ अधिक आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकें, आत्म-चिंतन और मूल्यांकन कौशल विकसित कर सकें।

(15) कौशल प्रयोगशाला -

(क) प्रत्येक होम्योपैथिक शैक्षणिक अस्पताल में एक कौशल प्रयोगशाला होगी जहां छात्र पाठ्यक्रम में पूर्व-निर्धारित कौशल का अभ्यास और सुधार कर सकते हैं। कौशल प्रयोगशाला का उद्देश्य छात्रों को सीखने, अभ्यास करने के लिए सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलों का प्रदर्शन करते हुए देखना है, इस प्रकार पर्याप्त तैयारी और पर्यवेक्षण के बिना सीधे रोगी पर कौशल प्रदर्शन के जोखिमों को कम करना है। कौशल प्रयोगशाला में नैदानिक वातावरण बनाने और उन कार्यों को करने का प्रयास किया जाता है जो भावी स्वास्थ्य कर्मियों को करना है।

(ख) कौशल प्रयोगशाला में होंगे-

- (i) छोटे समूहों को कौशल दिखाने के लिए कमरा;
- (ii) संचायक समन्वयक और सहायक कर्मचारियों के लिए कमरा;
- (iii) पुतला (डमी) या अन्य उपकरणों या औजारों जैसे कि टांके लगाने की सामग्री, सुई, सिरिंज, अंतःशिरा (इंट्रावेनस) सेट, प्लास्टर करने का सांचा, विभिन्न प्रकार के कैथेटर, एनीमा, राइल्स ट्यूब और इस तरह के अन्य औजारों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह;
- (iv) संचार कौशल सिखाने के लिए बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग और समीक्षा करने की सुविधा;
- (v) कॉलेजिएट अस्पताल से जुड़े सामान्य चिकित्सक या आपातकालीन चिकित्सा में पाठ्यक्रम पूरा चुके कर्मचारी और पर्याप्त सहायक कर्मचारी;
- (vi) कौशल प्रयोगशाला के शैक्षणिक स्थानों में दृश्य-श्रव्य और इंटरनेट सुविधाओं का प्रावधान होगा और उन्हें ई-लर्निंग के लिए सक्षम बनाया जाएगा;
- (vii) ट्रेनर सिम्युलेटर या मॉडल या निम्नलिखित के लिए डमी-
  - (क) प्राथमिक चिकित्सा, बैंडिंग, स्प्लिटिंग;
  - (ख) बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस), कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर)
  - (ग) विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन- सबक्यूटेनियस, इंटरा-मस्क्युलर, इंटरा-वेनस;
  - (घ) यूरिन कैथेटर इन्सर्शन;
  - (ङ) त्वचा (स्किन) और प्रावरणी (फेशिया) स्यूचरिंग;
  - (च) स्तन जांच मॉडल;
- (छ) अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) प्रशैक्षणिक मॉडल सहित स्त्री रोग संबंधी जांच मॉडल।

(16) दिन-प्रतिदिन के काम के लिए सभी सुविधाओं वाला और कार्यशील ऑपरेशन थियेटर और लेबर रूम उपलब्ध कराया जाएगा।

(क) परिशिष्ट-19 के अनुसार ऑपरेशन थियेटर के लिए आवश्यक उपकरण होंगे।

(ख) परिशिष्ट-20 के अनुसार एनेस्थिसिया के लिए आवश्यक उपकरण होंगे।



(17) (क) अस्पताल परिसर में फिजियोथेरेपी और योग सहित पुनर्वास के लिए एक अलग इकाई होगी। कॉलेजिएट अस्पताल में पच्चीस योग मैट रखे जाएंगे। अस्पताल में योग आसनों से संबंधित पोस्टर और चार्ट लगाए जाएंगे। छात्रों और रोगियों के लिए आयोजित योग सत्रों का रजिस्टर रखा जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक द्वारा इसे समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा। छात्रों को सप्ताह में एक बार न्यूनतम एक घंटे (वर्षवार) योग में प्रशैक्षणिक दिया जाएगा।

(ख) फिजियोथेरेपी इकाई के लिए उपकरण या औजार नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

- (i) डायथर्मी मशीन-01;
- (ii) कर्षण (ट्रैक्शन) (सर्वाइकल और कमर लुंबर)-01;
- (iii) फिजियोथेरेपी साइकल-01;
- (iv) अल्ट्रासाउंड उपकरण -01;
- (v) इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन-01;
- (vi) ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन-01;
- (vii) उपचार टेबल-01.

(18) परिशिष्ट-21 के अनुसार इमेजिंग उपकरण होंगे।

(19) अस्पताल सुविधाओं के हिस्से के रूप में एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। अस्पताल के पास आपातकालीन मामलों के प्रबंधन के लिए बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस रोगियों को रेफरल अस्पतालों में ले जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(20) बहु-मंजिली इमारत वाले सभी अस्पतालों में उपयुक्त स्थान पर एक स्ट्रेचर लिफ्ट होनी चाहिए।

(21) दिव्यांग रोगियों के लिए रैंप उपलब्ध होगा।

(22) पोर्च या विजिटिंग एरिया में व्हील चेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होंगे।

(23) अस्पताल विभाग और प्रयोगशाला (केंद्रीय प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, फार्मसी, नैदानिक शैक्षणिक कक्ष) में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे अर्थात्:-

- (क) मृतक स्टॉक रजिस्टर;
- (ख) उपकरण या औजार रजिस्टर;
- (ग) इंडेंट रजिस्टर;
- (घ) रसायन या घोल रजिस्टर;
- (ङ) टूट-फूट रजिस्टर;
- (च) दवा स्टोर रजिस्टर;
- (छ) दवा वितरण रजिस्टर;
- (ज) उपस्थिति रजिस्टर।

**ख. आवश्यक बुनियादी ढांचा**

अस्पताल में निर्मित क्षेत्र और बुनियादी ढांचा होगा जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:-

**सारणी**

क्र.सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
		100 (101 से 125*) छात्रों के लिए
1.	अस्पताल प्रशासन खंड	100
	(क) निम्नलिखित के लिए कमरे:	
	(i) अधीक्षक	

	(ii) जनसंपर्क अधिकारी (iii) उप चिकित्सा अधीक्षक (iv) स्टाफ नर्स (ख) रिसेप्शन और पंजीकरण	
2.	<b>बाह्य रोगी विभाग (बाह्य-रोगी विभाग)</b>	220
(क)	(i) जनरल मेडिसिन (ii) स्त्री रोग एवं प्रसूति (iii) शल्यचिकित्सा (iv) बाल रोग और बाल स्वास्थ्य	
(ख)	(i) मरहम पट्टी कक्ष (ii) औषधालय स्टोर (iii) रोगी के लिए प्रतीक्षालय	
3.	<b>नैदानिक शैक्षणिक कक्ष: 04 (प्रत्येक कमरे के लिए क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर)</b>	120
4.	<b>कौशल प्रयोगशाला</b>	100
5.	<b>अंतःरोगी विभाग (अंतः रोगी विभाग)</b> (i) जनरल मेडिसिन (पुरुष और महिला वार्ड/अलग-अलग बिस्तर) (ii) बाल चिकित्सा (iii) शल्यचिकित्सा (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग वार्ड) (iv) प्रसूति एवं स्त्री रोग (v) शौचालय और स्नानगृह (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग) (vi) डॉक्टरों का ड्यूटी कक्ष (vii) नर्सों के लिए नर्सिंग स्टेशन या ड्यूटी कक्ष (viii) फार्मसी (ix) रिकॉर्ड रूम	450
6.	<b>ऑपरेशन थिएटर यूनिट</b> (i) ऑपरेशन थियेटर (ii) तैयारी कक्ष (iii) ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ कक्ष (iv) विसंक्रमित लिनन के लिए जगह (v) प्रसव कक्ष (vi) शल्य चिकित्सक या प्रसूति विशेषज्ञ या सहायकों के लिए कक्ष (vii) नर्सिंग स्टाफ रूम	100
7.	<b>पुनर्वास इकाई</b> (i) फिजियो-थेरेपी (ii) योग क्लिनिक और हॉल (ii) आहार विशेषज्ञ	100

8.	केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला (i) पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी (ii) जैव-रसायन	30
9.	रेडियोलॉजी और सोनोग्राफी खंड एक्स-रे रूम, डार्क रूम, फिल्मों और रसायनों के भंडारण की व्यवस्था	40
10.	फार्मैसी	25
11.	आपातकालीन इकाई	25
12.	अस्पताल की रसोई	30
13.	स्टोर	30
	कुल	1370

\* जिस कॉलेज में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस सीटें हैं।

नोट:- परंतु यह कि बिंदु 3,4,11 को छोड़कर, वर्ग मीटर में स्थान की उक्त आवश्यकता इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित चिकित्सा संस्थानों के लिए पांच वर्ष तक लागू नहीं होगी। हालांकि, ऊपर सारणी में उल्लिखित सभी सुविधाएं सभी मौजूदा कॉलेजों द्वारा पूरी की जाएंगी।

#### ग. अस्पताल के कर्मचारी-

- (1) संबद्ध अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी नीचे सारणी में दिए गए अनुसार होंगे और इसे आवश्यक विस्तारों की संख्या में वृद्धि के अनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों की योग्यता तृतीय अनुसूची के अनुसार होगी।

#### सारणी

क्र.सं.	पद का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51- 100 बिस्तर के लिए
(क)	चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1
(ख)	उप चिकित्सा अधीक्षक*	1	1	1
(ग)	जनरल फिजिशियन** (आपातकालीन चिकित्सा और गहन देखभाल)	1	1	1
(घ)	शल्यचिकित्सक (जनरल सर्जरी)**	1	1	1
(ङ)	प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1	1
(च)	रेडियोलॉजिस्ट	ऑन कॉल	ऑन कॉल	ऑन कॉल
(छ)	पैथोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट**	1	1	1
(ज)	चिकित्सा अधिकारी	2	3	4
(झ)	रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर	1	2	2
(ञ)	अनेस्थिटीस्ट (निश्चेतक)	ऑन कॉल	ऑन कॉल	ऑन कॉल
(ट)	हाउस फिजिशियन (रेजिडेंट) ***	2	5	8
(ठ)	जनसंपर्क अधिकारी या बहुउद्देशीय सामाजिक अधिकारी - कार्यकर्ता	1	1	1
(ड)	भेषजज्ञ	2	3	3
(ढ)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1	2
(ण)	एक्स-रे तकनीशियन या रेडियोग्राफर	ऑन कॉल	1	1

(त)	ड्रेसर	1	1	2
(थ)	एक्स-रे अटेंडेंट	ऑन कॉल	1	1
(द)	नर्सिंग स्टाफ प्रभारी	1	1	1
(ध)	नर्सिंग स्टाफ****	5	6-8	9-16
(न)	ऑपरेशन थिएटर नर्स	1	1	1
(प)	ऑपरेशन थिएटर सहायक	1	1	1
(फ)	वार्ड बॉय या आया	4	7	9
(ब)	स्टोरकीपर	1	1	1
(भ)	पंजीकरण लिपिक या रिसेप्शनिस्ट	1	2	2
(म)	योग प्रशिक्षक या चिकित्सक	1	1	1
(य)	फिज़ियोथेरेपिस्ट	ऑन कॉल	1	1
(यक)	आहार विशेषज्ञ	1	1	1

- (2) प्रत्येक होम्योपैथिक अस्पताल पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी नियुक्त करेगा ताकि अस्पताल को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
- (3) लैब अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट जैसे सहायक कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार होंगे।
- (4) कॉलेज और अस्पताल के प्राधिकारी अस्पताल के परिसर में साफ-सफाई, बागवानी, निगरानी और वार्ड ड्यूटी जैसे कार्यों के लिए या तो अपने स्वयं के पर्याप्त कर्मचारियों से या किसी ठेकेदार के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। सेवाओं के विवरण के साथ एजेंसी के साथ विक्रेता अनुबंध की प्रति रखी जाएगी।
- (5) शैक्षणिक अस्पताल में कपड़े धोने और आहार संबंधी सेवाओं का प्रावधान होगा। इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी या ठेकेदार के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। सेवा प्रदाता और अस्पताल के अधीक्षक के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध जैसे दस्तावेज अस्पताल में रखे जाएंगे। सेवा प्रदाता के साथ समझौता ज्ञापन की न्यूनतम वैधता कम से कम एक वर्ष के लिए होगी।
- (6) अस्पताल का रिसेप्शन, बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण, अंतःरोगी विभाग पंजीकरण, रोकड़ अनुभाग ठीक से संचालित किया जाना चाहिए और अधिमानतः कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

**नोट-** \*प्राचार्य सामान्य परिस्थितियों में संबद्ध होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक होगा। तथापि, यदि प्राचार्य यह पद धारण करने में असमर्थ है तो यह प्रभार उप चिकित्सा अधीक्षक को दिया जाएगा।

\*\* कॉलेज में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, पैथोलॉजी एवं जैव रसायन विभाग में आधुनिक चिकित्सा में आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों के बीच क्रमशः सामान्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, प्रसूति रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट (रोगविज्ञानी) और जैव रसायनज्ञ के रूप में तैनात किया जा सकता है।

\*\*\* स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेजों के लिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) छात्र अपने कॉलेज से जुड़े अस्पताल में हाउस फिजिशियन के रूप में काम करेंगे।

\*\*\*\* उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के मानदंडों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी।

**तृतीय अनुसूची**  
**(विनियम 9 का खंड (क) देखें)**

**चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल के शैक्षणिक, अशैक्षणिक और अस्पताल कर्मचारियों के लिए योग्यता**

**क. सामान्य**

- (1) प्राचार्य या निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज और अस्पताल के कर्मचारियों के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
- (2) इन विनियमों के तहत नियुक्त सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और उनकी स्नातकोत्तर डिग्री पैंतालीस वर्ष की आयु से पहले पूरी की हुई होनी चाहिए। परंतु यह कि पैंतालीस वर्ष का यह आयु मानदंड इस विनियमन से पहले नियुक्त मौजूदा शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- (3) विभिन्न संवर्गों पर एक शिक्षक की प्रथम भर्ती राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी में राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (4) मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के शैक्षणिक अनुभव की ही गणना की जाएगी।
- (5) संबंधित विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव रसायन, कानूनी चिकित्सा, फॉरेंसिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ नियुक्त शिक्षकों की संख्या विशिष्ट विभागों में एक से अधिक नहीं होगी। उन्हें विभाग प्रमुख के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाएगा।
- (6) एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शिक्षक की पदोन्नति या स्थानांतरण उसकी नियुक्ति के समय प्रभावी विनियमन के अनुसार होगा।

परंतु यह कि यदि किसी शिक्षक की शैक्षणिक सेवा की निरंतरता में छह महीने से अधिक अवधि का कोई ब्रेक होता है, तो लागू विनियमन के अनुसार नई नियुक्ति की जाएगी।

**ख. होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारी के लिए योग्यता**

(1) प्राचार्य अथवा निदेशक

(i) अनिवार्य योग्यता:

(क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और

(ख) डिग्री स्तर के मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में शैक्षणिक संवर्ग में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोफेसर से नीचे का पद धारण न किया हो, या

एसोसिएट प्रोफेसर के कैडर में कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और शैक्षणिक अनुभव के साथ एक एसोसिएट प्रोफेसर।

(ग) विभाग प्रमुख या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक या किसी अन्य प्रशासनिक अनुभव के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का प्रशासन में अनुभव होना चाहिए।

(घ) किसी सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम तीन मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

(ii) वांछनीय योग्यता:

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन में डिग्री या डिप्लोमा; और

(ख) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; और

(ग) क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया के साथ पंजीकृत परियोजना में अन्वेषक के रूप में अनुसंधान अनुभव।

**(2) प्रोफेसर**

(क) होम्योपैथिक विषयों अर्थात् होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक रिपोर्टरी और केस टेकिंग में:

**(i) अनिवार्य योग्यता:**

- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री; और
- (ख) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव;
- (ग) किसी सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

**(ii) वांछनीय योग्यता:**

- (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; और
- (ख) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव
- (ग) क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत किसी परियोजना में संबंधित विश्वविद्यालय और या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान का अनुभव।
- (ख) संबद्ध विषयों में, अर्थात्, मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन, फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी, फार्माकोलॉजी की अनिवार्यताओं के साथ चिकित्सा का अभ्यास, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान ।

**(i) अनिवार्य योग्यता:**

- (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, या
- (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, या
- (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फोरेंसिक चिकित्सा) में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ होम्योपैथी में स्नातक डिग्री के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में बारह वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, अथवा
- (घ) शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में या शरीर विज्ञान के लिए शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा या फोरेंसिक चिकित्सा के लिए फोरेंसिक चिकित्सा में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा

संस्थान से पीएचडी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम बारह वर्ष का नियमित शैक्षणिक अनुभव, और

(ङ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों।

**(ii) वांछनीय योग्यता:**

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक या गाइड के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, और

(ख) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, और

(ग) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान अनुभव।

**(3) एसोसिएट प्रोफेसर**

(क) होम्योपैथिक विषयों अर्थात् होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन एंड होमियोपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक फार्मैसी, होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग, फार्माकोलोजी की अनिवार्यता के साथ चिकित्सा में अभ्यास।

**(i) अनिवार्य योग्यता:**

(क) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता;

(ख) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या

(ग) संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों में कम से कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव और सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में कम से कम तीन प्रकाशन और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या

(घ) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित सेवा का पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

**(ii) वांछनीय योग्यता:**

(क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक या गाइड या सह-गाइड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

(ख) संबद्ध विषयों में, अर्थात्, मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीरक्रिया विज्ञान और जैव रसायन, फोरेंसिक चिकित्सा आविष विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति और जैवसांख्यिकी, पैथोलॉजी और सूक्ष्मजीव विज्ञान, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान।

**(i) अनिवार्य योग्यता:**

- (क) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता।
- (ख) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या
- (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में नियमित सेवा में कम से कम पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए।
- (घ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित हुई हो, या
- (ङ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक योग्यता और शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फोरेंसिक चिकित्सा) में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त किसी होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम सात वर्ष का नियमित शैक्षणिक का अनुभव और,
- (च) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में एक लेख प्रकाशित हुआ हो, या
- (छ) शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान अथवा शरीर विज्ञान के लिए जैव रसायन विज्ञान में या फोरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा में या फोरेंसिक चिकित्सा के लिए फोरेंसिक चिकित्सा में या सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से पीएचडी और किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम सात वर्ष का नियमित शैक्षणिक का अनुभव, और
- (ज) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम एक लेख प्रकाशित हुआ हो, या
- (झ) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों के शैक्षणिक संस्थान या अनुसंधान परिषदों में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक अनुसंधान अनुभव के साथ सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हुए हों तथा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।
- (ञ) सूचीबद्ध या अग्रणी समीक्षा पत्रिका में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हों और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या
- (ट) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित सेवा का पूर्णकालिक पांच वर्ष का अनुभव और आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।



**(ii) वांछनीय योग्यता:**

- (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक या गाइड या सह-गाइड के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और
- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में या क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया से पंजीकृत परियोजना में अनुसंधान का अनुभव।

**(4) सहायक प्रोफेसर**

- (क) होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मैसी, रिपर्टरी और चिकित्सा अभ्यास जैसे विषयों में:-

**अनिवार्य योग्यता:**

- (क) संबंधित विषय में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव हो।

- (ख) शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान जैसे विषयों में:-

**अनिवार्य योग्यता:**

- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री; और
- (ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव हो, अथवा
- (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री, और
- (घ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या
- (ङ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक डिग्री और शरीर रचना विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर विज्ञान या जैव रसायन में या फॉरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा (फॉरेंसिक चिकित्सा) में स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (च) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, या
- (छ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से शरीर रचना विज्ञान या शरीर विज्ञान के लिए चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में अथवा शरीर विज्ञान के लिए जैव रसायन विज्ञान में या फॉरेंसिक चिकित्सा और आविष विज्ञान के लिए कानूनी चिकित्सा या फॉरेंसिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (ज) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

## (ग) सामुदायिक चिकित्सा और अनुसंधान पद्धति तथा जैव सांख्यिकीय जैसे विषय में:-

## अनिवार्य योग्यता:

- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (ख) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है।
- (ग) अग्रणी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रमुख या सह-लेखक के रूप में कम से कम दो मूल पुस्तकें प्रकाशित हुई हों, या
- (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक डिग्री और सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (ङ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो, या
- (च) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से पीएचडी के साथ सामुदायिक चिकित्सा के लिए जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री, और
- (छ) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो।

## (घ) मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर

## अनिवार्य योग्यता:

- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और मनोविज्ञान की किसी भी शाखा में परास्नातक डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या
- (ख) मनोचिकित्सा में होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संबद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है, या
- (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास केंद्र सरकार या आयोग द्वारा अनुमत मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव है।

## (ङ) आधुनिक औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी) में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर:

- (क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से औषध विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, या
- (ख) फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त फार्मैसी में मास्टर डिग्री।

## (5) योग प्रशिक्षक

## (i) अनिवार्य योग्यता:

- (क) योग्य डिग्रीधारी (प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक- योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साढ़े पांच वर्ष का नियमित चिकित्सा पाठ्यक्रम) या
- (ख) प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डिप्लोमा। जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल की इन पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकारण का पंजीयन हो।

## (ii) वांछनीय योग्यता:

प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ-साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

## (6) पुस्तकाध्यक्ष

## अनिवार्य योग्यता:

कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री और तीन वर्ष का अनुभव।

## (7) सहायक पुस्तकाध्यक्ष

अनिवार्य योग्यता: कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री।

## ग. अस्पताल कर्मचारियों के लिए योग्यता

## (1) चिकित्सा अधीक्षक

(क) अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और प्रोफेसर कैडर का होना चाहिए।

(ख) वांछनीय योग्यता: केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अस्पताल प्रशासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

## (2) उप चिकित्सा अधीक्षक

(क) अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और एसोसिएट प्रोफेसर कैडर में न्यूनतम दो वर्ष कार्य किया हो।

## (3) आवासीय चिकित्सा अधिकारी

(क) अनिवार्य योग्यता: राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए हाउस फिजिशियन के रूप में अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए।

**(4) चिकित्सा अधिकारी**

(क) अनिवार्य योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में हाउस फिजिशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष की अवधि के अनुभव के साथ होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री।

(5) सर्जन (जनरल सर्जरी), जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, प्रसूति रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट

(क) अनिवार्य योग्यता: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। जनरल फिजिशियन की आपातकालीन चिकित्सा और गहन चिकित्सा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

**(6) हाउस फिजिशियन**

अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री और कम से कम दो वर्ष की अवधि के पेशेवर अनुभव के साथ राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण हो: परंतु यह कि अनुमत स्नातकोत्तर केंद्र में हाउस फिजिशियन (रेज़िडेंट) पद की अलग से आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र अनिवार्य रूप से हाउस जाँब कर रहा होगा।

**(7) प्रयोगशाला तकनीशियन**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के साथ विज्ञान स्नातक की डिग्री।

**(8) वितरक**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नलिखित में से किसी एक के साथ सीनियर सेकंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण की हो: -

(क) संबंधित राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक फार्मैसी में डिप्लोमा; या

(ख) होम्योपैथिक औषधालय या फार्मैसी में होम्योपैथिक दवा वितरित करने का दो वर्ष का अनुभव

**(9) एक्स-रे तकनीशियन या रेडियोग्राफर**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया हो।

**(10) एक्स-रे सहायक या डार्क रूम सहायक**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण की हो और दो वर्ष तक एक्स-रे विभाग में काम करने का अनुभव हो।

**(11) योग चिकित्सक**

(क) अनिवार्य योग्यता:

योग्य डिग्रीधारी (प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान स्नातक - योग और प्राकृतिक चिकित्सा में साढ़े पांच वर्ष का नियमित चिकित्सा पाठ्यक्रम या प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डिप्लोमा) जिसके पास स्वास्थ्य देखभाल की इन प्रणालियों का अभ्यास करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकरणों का पंजीयन है।

(ख) वांछनीय योग्यता:

उपर्युक्त योग्यताओं के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

**(12) फ़िज़ियोथेरापिस्ट**

संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त फ़िज़ियोथेरेपी विषय में डिग्री।

**(13) आहार विशेषज्ञ**

संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त आहार और पोषण विषय में डिग्री।

**(14) ड्रेसर**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी परीक्षा पास हो;

**(15) नर्सिंग स्टाफ प्रभारी**

नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होनी चाहिए और दो वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिल के तहत पंजीकृत हो।

**(16) नर्स****(क) अनिवार्य योग्यता:**

नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री या जनरल नर्सिंग और प्रसूति विद्या (मिडवाइफरी) या सहायक नर्स और मिडवाइफरी हो तथा संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिल के तहत पंजीकृत

**(ख) वांछनीय योग्यता:**

होम्योपैथिक अस्पताल में काम करने का एक वर्ष का अनुभव।

**(17) स्टोर कीपर**

कंप्यूटर के ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण हो।

**(18) पंजीयन लिपिक या रिसेप्शनिस्ट:-****(क) अनिवार्य योग्यता:**

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकंडरी पास हो;
- (ii) क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी का ज्ञान हो और कंप्यूटर चलाने की दक्षता हो।

**(ख) वांछनीय योग्यता:** कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में डिप्लोमा किया हो।

**(19) भेषज (फार्मासिस्ट)**

होम्योपैथिक फार्मसी में काम करने के तीन वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी विषय में स्नातक। फार्मसी में डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

**(20) सचिवालयी और लेखा कर्मचारी :** (क) कार्यालय अधीक्षक -पांच वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातकोत्तर या पूर्व-स्नातक ।

**(ख) प्रवर श्रेणी लिपिक -** कार्यालय कार्य में तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक।

**(ग) अवर श्रेणी लिपिक -** कार्यालय कार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक हो।

**(घ) कार्यालय सहायक-कार्यालय कार्य में एक वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक हो।**

**(ङ) लेखाकार -** लेखा, बहीखाता में पांच वर्ष के अनुभव के साथ बी.कॉम. किया हो, बैंकिंग की जानकारी हो, कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि तथा सभी सरकारी एवं विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों की जानकारी हो,

**(च) डाटा एंट्री ऑपरेटर-बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम और तीस अथवा इससे अधिक की टाइपिंग गति के साथ सीनियर सेकंडरी पास हो,**

(छ) मल्टी टास्किंग स्टाफ-किसी मान्यता प्राप्त सीनियर सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(21) वार्ड ब्वॉय या आया : (क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(ख) वांछनीय: रोगी देखभाल सेवाओं में एक वर्ष का अनुभव हो।

(22) चौकीदार या चपरासी : आठवीं पास।

घ. चिकित्सा संस्थान के गैर-शैक्षणिक (नॉन टीचिंग) कर्मचारियों के लिए योग्यता

(1) प्रयोगशाला सहायक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा पांच वर्ष के अनुभव के साथ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

(2) प्रयोगशाला सहायक : मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

(3) शव सहायक – मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो और स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।

(4) पुस्तकालय सहायक – मान्यता प्राप्त सेकंडरी बोर्ड से मैट्रिक पास हो।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./823/2023-24]

### परिशिष्ट-1

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ – ख के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (ड.) को देखें)

भेषज विभाग के उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	पिल टाइल्स	30
2.	चीनी मिट्टी की तश्तरियां	30
3.	चिमटी सहित भूषा	30
4.	सिलिका भूषा	02
5.	खरल और मूसली (लौह, शीशा, चीनी मिट्टी)	1+1+30
6.	वाटर बाथ (जलोष्पक) धातु अथवा विद्युत	30
7.	सूक्ष्मदर्शी (विद्यार्थी प्रकार का)	05
8.	पतली परत के क्रोमोटोग्राफी उपकरण - यूवी चैम्बर सहित	1
9.	पीएच मीटर	2
10.	स्टाप वाच	25
11.	हाइड्रोमीटर	5
12.	??????????	5
13.	पाइक्रोमीटर	10
14.	वाटर स्टिल (डिस्टिल्ड वाटर प्लांट)	1
15.	परकोलेटर	5
16.	मैसेरेटर	5
17.	मैसेरेटर	10
18.	बोटेनीकल स्लाइड्स	01

19.	स्पेक्ट्रो स्कोप	01
20.	शारीरिक, मॅकेनीकल/विद्युत पोटेन्ट्वाइजर	2/01/01
21.	विद्युतीय तुला	2
22.	डाइसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी	02
23.	आस्वित उपकरण (शीशा)	1 सेट
24.	हॉट एयर ओवन	01
25.	इलैक्ट्रानिक तुला	10
26.	भौतिक तुला	01
27.	मापी ग्लास (क) ग्लास ब्रेकर (100 मि.ली., 250 मि.ली., मि.ली., 500 मि.ली., 1000 मि.ली.) (ख) वोल्यूमेट्रिक सिलिन्डर (250 मि.ली. 500 मि.ली, 1000 मि.ली.) (ग) मापी सिलिन्डर (10 मि.ली., 50 मि.ली., 100 मि.ली., 500 मि.ली., 1000 मि.ली.) (घ) परीक्षण ट्यूब (टैस्ट ट्यूब) (8 मि.ली., 10 मि.ली., 12 मि.ली.) होल्डर सहित (ङ) वाच ग्लास (च) क्रमांकित सूक्ष्म नली (ग्रेजुएटेड पिपेट) (1 मि.ली., 10 मि.ली.)	05 प्रत्येक  05 प्रत्येक 30 प्रत्येक  30 प्रत्येक अपेक्षानुसार
28.	ग्लास रिटोर्ट	02
29.	ग्लास कनेक्शन सहित बनसेन बर्नर	05
30.	विविध (क) रसायन (i) अमोनियम क्लोराइड (ii) अमोनियम ओक्सालेट (iii) बेरियम क्लोराइड (iv) कैल्शियम कार्बाइड (v) कैल्शियम कार्बोनेट (vi) कॉपर सल्फेट (vii) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (viii) आयोडीन (ix) नेसलर्स रीजेंट (x) नाइट्रिक एसिड (xi) पोटेशियम फॅरो सायनाइड (xii) सेलीसाइलिक एसिड (xiii) सिल्वर नाइट्रेट (xiv) सोडियम हाइड्रोक्साइड (xv) सोडियम क्लोराइड (xvi) सल्फर	अपेक्षानुसार





	लिटमस पेपर (नीला)	
36.	ओइन्टमेंट स्लेब	45
37.	वैक्युम सहित फिल्ट्रेशन के लिए गैस उपस्कर	02
38.	चाफिंग बोर्ड	25
39.	चाफिंग चाकू	25
40.	स्पेटुला (हार्न, स्टेनलेस स्टील)	25
41.	बुरेटी (द्रवमापक नली)	5
42.	प्रेस	2
43.	छलनी (सं0.10, 22, 44, 60, 80, 85, 120)	2 प्रत्येक
44.	थर्मोमीटर	2
45.	ग्रेज्युएटेड कोनीकल ग्लास (10, 50, 100 मि.ली.))	15
46.	वायर गेज	5
47.	ट्रिपोड स्टैंड	5
48.	पोर्सीलेन बाउल	25
49.	लैक्ट्रोमीटर	10

## परिशिष्ट - 2

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ -ख के उप-पैराग्राफ (5) के खंड (छ) को देखें)

शरीर-रचना-विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची:

क्र.सं.	मद	सं.
1.	विच्छेदन मेजें जिनका ऊपरी भाग संगमरमर अथवा स्टेनलेस स्टील का हो (6'x 2'x3')	4
2.	स्ट्रेचर - स्टील टाप (6'x'2'x3')	1
3.	पूर्ण विच्छेदन सेट	2
4.	ट्रे (स्टील) औजारों अथवा नमूना प्रदर्शन हेतु	2
5.	शरीर और अंग विच्छेदन के लिए आरी	1
6.	शव रखने की संग्रह टंकी (क) प्लास्टिक अथवा धातु अथवा कंक्रीट (ख) विसरा के लिए कन्टेनर्स (शीशा) तथा प्रदर्शन हेतु विच्छेदित अंश	2 2
7.	शव-संलेपन सामग्री (क) केनुला (ख) IV ट्यूब (ग) फोर्मलिन होल्डिंग ट्यूब (घ) सिरिंज नीडल्स (ङ) नाइलोन धागा	02 02 02 02 02
8.	सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) (चिकित्सा)	35
9.	रिवोल्विंग स्टूल - धातु अथवा लकड़ी	35

10.	एक्स रे व्यूइंग बाक्स	01
11.	रसायन (शव-संलेपन तथा नरम अंग प्रतिरक्षा) (क) फोर्मालिन (ख) ग्लिसरीन (ग) सोडियम क्लोराइड	अपेक्षानुसार
12.	शवः (शव तथा विच्छेदित शरीर अंग चिकित्सा संस्था को मांग-पत्र दिए जाने के बाद ही व्यवहार में लाया जाएगा)	02

**परिशिष्ट - 3**

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ -ख के उप-पैराग्राफ (6) के खंड (घ) को देखें)

शरीर-क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या
1.	आयल इमर्शन के साथ चिकित्सीय सूक्ष्मदर्शी	25
2.	ई.एस.आर. मापन हेतु उपकरण/ई. एस. आर. के लिए स्टैंड पर वेस्ट ग्रेन पिपेट	25 (अतिरिक्त पिपेट सहित)
3.	लोहित कोशिका मापी नलिका (हिमेटोक्रिट ट्यूब)	35
4.	हिमोग्लोबिनो मीटर साहली	35
5.	हिमोसाइटोमीटर	25
6.	स्फीगमोमेनोमीटर	25
7.	आला (स्टेथोस्कोप)	25
8.	नैदानिक थर्मामीटर (डिजिटल अथवा मर्करी)	25
9.	नी हैमर	25
10.	श्रवण परीक्षण के लिए ट्यूटिंग फॉर्क (32-1000 हर्ट्ज)	1 सेट
11.	इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ (विद्युत हृदय लेखी) (ई.सी.जी. मशीन)	1
12.	इलैक्ट्रानिक स्टाप वाच 1/10 सेकेण्ड.	04
13.	दोहरे आसवन के पूर्णतः शीशे के उपस्कर	01
14.	सेंट्रीफ्यूज	01
15.	कैलोरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)	02
16.	पीएच मीटर इलैक्ट्रिक	02
17.	(एड्रिज ग्रीन) रंग बोध लेन्टर्न	01
18.	शैक्षणिक सीडी, डी.बी.डी., फिल्म, स्लाइड, मॉडल, दृश्य श्रवण सामग्री सहित	अपेक्षानुसार
19.	पेरीमीटर	01
20.	स्पाइरोमीटर	01
21.	टोनोमीटर	01
22.	हैंडग्रिप डायनामोमीटर	01
23.	बाइसकिल इर्गोमीटर	01

## परिशिष्ट - 4

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप पैराग्राफ (6) के खंड (ड.) को देखें)

जैव रसायन के लिए आवश्यकता

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	इलेक्ट्रॉनिक अथवा मोनोपैन तुला	01
2.	सेंट्रीफ्यूज	01
3.	तुला, रासायनिक/साधारण	01
4.	ज्योष्मक (वाटर बाथ)	01
5.	यूरीनोमीटर (मूत्र मापी)	25
6.	रसायन: (क) आयोडीन (ख) अमोनियम आक्सोलेट (ग) बेरियम क्लोराइड (घ) सिल्वर नाइट्रेट (ङ) सोडियम हाइड्रोक्साइड (च) मरक्यूरिक सल्फेट (छ) सेलीसाइलिक एसिड	अपेक्षानुसार
7.	हाइड्रोमीटर (0.700 से 1.00)	02
8.	एल्युमिनोमीटर	10
9.	ग्लूकोमीटर	10
10.	थर्मामीटर	10
11.	केलोरीमीटर	01
12.	हॉट एअर ओवन 14"x14"x14" (इलेक्ट्रिक)	01
13.	शीशे के बर्तन जैसे कि पिपेट, बीकर, ब्यूरेट, वायर गॉज, एस्बेस्ट्स सहित सेंटर हॉट प्लेट, स्टोव, सिरिंज, बर्नर, रबर नलिका स्टैंड, क्लैम्प, फ्लैश आदि।	अपेक्षानुसार
14.	पीएच मीटर (हाइड्रोजन की मात्रा मीटर)	1
15.	बाइनोकुलर रिसर्च माइक्रोस्कोप	02
16.	स्टेथोस्कोप : बहु-अंगों के साथ प्रदर्शन	02
17.	आपथोलमोस्कोप	01
18.	ओटोरिन्होलेरिंगोस्कोप	01
19.	रिवोल्विंग स्टूल, धातु	45

## परिशिष्ट – 5

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (7) के खण्ड (ज) को देखें)

न्याय आयुर्विज्ञान और आविष विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	डायल वाली मानव तुला मशीन	01
2.	ऊँचाई नापने के लिए उपकरण	01
3.	वर्नियर कैलिपर स्केल	01
4.	एक्स-रे व्यू बॉक्स वन इन फोर	01
5.	विष-विज्ञान संबंधी विशेषताओं और नैदानिक अनुप्रयोगों एवं अन्य नमूना का उल्लेख करने वाली सूची	02 प्रतियां
6.	विष और विष निवारक औषधियों की सूची, घरेलू, विष-निवारक औषधि की तालिका अथवा सूची	25
7.	(क) हड्डियां; (ख) खोपड़ी; (ग) पेल्विश (कूल्हा) (सेक्रुम, कॉक्सिक्स सहित पूरा)	01 प्रत्येक पुरुष और महिला
8.	(क) बुलेट्स, (गोलियां); (ख) पिस्टल की गोली; (ग) रिवोल्वर की गोली; (घ) बन्दूक (राइफल) की गोली	01 प्रत्येक
9.	शॉटगन कारतूस	01
10.	फिक्स्ड नाँट अथवा लूप, स्लिप नाँट, लूप का नमूना	01 प्रत्येक
11.	पेट की नली	01
12.	हैंड लेंस (फिंगरप्रिंट उद्देश्य से अध्ययन)	02
13.	फिंगरप्रिंट के लिए तुलनात्मक माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शी)	01
14.	अस्थिविकास सेंटर दर्शाते हुए (एक्स-रे फिल्में)	05
	(व्यक्ति विशेष की उम्र और लिंग का निर्धारण करने के लिए विभिन्न अस्थियों की पुरः स्थिति और समेकन)	
15.	पोस्ट मार्टम शैक्षणिक कम्पैक्ट डिस्क अथवा डिजिटल वीडियो डिस्क का दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतीकरण	02

## परिशिष्ट-6

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (8) के खण्ड (ड.) को देखें)

विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) और जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की सूची

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	हाट एअर ओवन (50°c ) विशेष स्टैंडिंग के लिए	1
2.	सेंट्रीफ्यूज मशीन विद्युत रोटोफिक्स	2
3.	वाटर बाथ, इलेक्ट्रिक (विद्युत जलोष्मक)	4
4.	शीशे के बर्तन	अपेक्षानुसार
5.	ब्रेकर 100 मि.ली.	30 नग

6.	ग्लास सिलेंडर 100 मि.ली.	30 नग
7.	परीक्षण नली (6' × ½ ")	100 नग
8.	परीक्षण नली (4" × ½ ")	100 नग
9.	शीशे की छड़ें (1 फीट)	30 नग
10.	ग्लास स्लाइड्स (सूक्ष्मदर्शी)	200 नग
11.	ग्लास कवर स्लिप	300 नग
12.	ग्लास ड्रॉपर	30 नग
13.	कोनिकल फ्लास्क	15 नग
14.	<p>(क) अभिरंजन (स्टेन):-</p> <p>(i) लीसमैन स्टेन</p> <p>(ii) बफर सोल्यूशन</p> <p>(iii) डीआयोनाइज्ड वाटर</p> <p>(ख) ग्राम स्टेन:-</p> <p>(i) क्रिस्टल वायलेट</p> <p>(ii) ग्राम्स आयोडिन</p> <p>(iii) एसीटोन</p> <p>(iv) सेफ्रेनिन</p> <p>(ग) जीलनेलसन स्टेन:-</p> <p>(i) कार्बोल - फ्यूसिन</p> <p>(ii) संकेन्द्रित सल्फ्यूरिक एसिड</p> <p>(iii) मिथाइलीन ब्लू</p> <p>(घ) हीट एण्ड एसेटिक एसिड जाँच:</p> <p>मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति</p> <p>(i) 96% ग्लेशियल एसेटिक एसिड</p> <p>(ii) डी. आयोडाइज्ड वाटर</p> <p>(ड.) बेनीडिक्ट गुणात्मक परीक्षण:-</p> <p>मूत्र में शर्करा की उपस्थिति के लिए</p> <p>(i) बेनीडिक्ट क्वालिटेटिव रीजेंट</p> <p>(च) रोथेरा जाँच:-</p> <p>मूत्र में केटोन बाँडीज की उपस्थिति:</p> <p>(i) अमोनियम सल्फेट</p> <p>(ii) सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड</p> <p>(iii) द्रव अमोनिया</p> <p>(छ) कुल डब्ल्यूबीसी काउंट:-</p> <p>(i) डब्ल्यूबीसी डिल्यूटिंग फ्लूड</p>	अपेक्षानुसार

	(ज) कुल आरबीसी काउंट:- (i) आरबीसी डिल्यूटिंग फ्लूड (झ) कोलोरीमीटर द्वारा हीमोग्लोबिन अनुमान (ञ) ड्रेबकिन घोल (ट) एचबी मानक (ठ) एसिड द्वारा एन/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) (ड) साहली हीमोग्लोबीनोमीटर द्वारा हेमेटिन पद्धति	
15.	रक्त समूह रीजेंट: और एंटी 'ए' एंटी बी, एंटी डी:	अपेक्षानुसार
16.	ओवा, पैरासिट, काइस्ट, लुगोल आयोडिन के लिए मल (स्टूल) की जाँच	अपेक्षानुसार
17.	(क) मीडिया तैयार करने हेतु सामग्री:- (i) न्यूट्रीयंट आगार मीडिया; (ii) मैक्कोनीज मीडिया (iii) लॉनस्टेन जेनसेन मीडिया (एल.जे. मीडिया) (iv) स्टैराइल पेट्री डिश (शीशा अथवा प्लास्टिक); (v) नीक्रोम वायर लूप होल्डर; (vi) डी-आयोनाइज्ड वाटर	अपेक्षानुसार
18.	(क) हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आरक्षित सामग्री :- (i) मैकेनिकल रोटरी माइक्रोटोम (ii) हॉट एअर ओवन (iii) वाटर बाथ (iv) रसायन: (क) एसीटोन (ख) 2- प्रोपेनोल (ग) एक्सीलोन (घ) डीपीएक्स माउन्टेन्ट (ङ) फोर्मल डी हाइड 37% (च) ग्लिसरोल (छ) फोर्मिक एसिड 85% (ज) पपानी सिलिओ सोल्यूशन (झ) मिथाइलीन ब्लू (v) कवर ग्लास स्लिप: 22× 22 मि.मी./18×18 मि.मी. (ख) स्लाइड बाक्स (ग) ड्रापिंग बोतल (घ) डायमंड पेंसिल (ड.) एल. माउल्ड (च) केसेट	01 01 01 अपेक्षानुसार

	(छ) हीमाटोक्सीलिन एवं इओसिन (एच एंड ई): पावर (ज) एचसीएल 35% : 500 मि.ली. (झ) नाइट्रिक एसिड : 500 मि.ली. (ञ) स्लाइडें (ट) लघु चिमटी (दाँत तथा बिना दाँत) : 2 (ठ) इस्पात स्केल (ड) कैंची (ढ) शीशे का जार	अपेक्षानुसार
19.	इन्क्यूबेटर	2
20.	हीमोसाइटोमीटर के साथ आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी पिपेट्स	25
21.	साहली हीमोग्लोबीनोमीटर	25
22.	आटोक्लेव	2
23.	एनाएरोबिक उपस्कर	2
24.	स्टॉप वाच ½ सेकेंड	2
25.	पीएच मीटर	1
26.	आयल इमर्शन लेंस चल स्टेज एवं कंडेन्सर सहित सूक्ष्मदर्शी	45
27.	सेरोलॉजीकल/हीमाटोलॉजिकल कार्य हेतु उच्च शक्ति के सेंट्रीफ्यूज	1
28.	एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अनुमान के लिए वेस्टर ग्रेन्स पिपेट्स	10
29.	एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट तथा पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए विन्ट्रोबिहेमेंट्रोक्रिट ट्यूब	10
30.	कोलोनी काउन्टर	1
31.	कपलिन जार	02
32.	सहायक सामग्री सहित कम्प्यूटर	01
33.	कोलोरीमीटर तथा आटो एनालाइजर	01
34.	सेरोलॉजीकल जाँच हेतु ऐलिसा रीडर	01
35.	विकृति विज्ञान संबंधी नमूने	25
36.	यूरीनोमीटर (मर्करी के अलावा)	02

## परिशिष्ट - 7

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ - ख के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ड.) को देखें)

सामुदायिक औषध, अनुसंधान रीतिविज्ञान बायोसांख्यिकीय विभाग में उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	बैरोमीटर (फोर्टिन)	1
2.	लैक्टोमीटर	1
3.	अल्कोहलमीटर	1
4.	वाटर प्यूरीफायर (जिसमें आरओ, यूवी, टीडीएस रेगुलेटर हो)	1
5.	टोटल डिजोल्वड सालिड्स (टीडीएस) मीटर	2

6.	ग्लूकोमीटर	2
7.	वायु गुणवत्ता मॉनिटर	2
8.	मिड अपर आर्म सरकुमफरेंस मापी टेप	5
9.	प्रदर्शन: टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम, जैव-सांख्यिकीय एवं अनुसंधान प्रविधि, नमूनों, सामाजिक विज्ञान से संबंधित सूचना का प्रदर्शन।	अपेक्षानुसार
10.	रेफ्रिजरेटर	02
11.	हाइड्रोमीटर स्पिरिट-	02
12.	हाइड्रोमीटर मिलक	02
13.	वजन तौलने की मशीन युवा	03
14.	साल्टर्स शिशु वजन मापी मशीन	02
15.	हार्पेडेन स्किनफोल्ड कैलिपर	02
16.	ऊंचाई (लंबाई) मापी स्टैंड	02
17.	वास्तविक रूप में आयोजित विभिन्न परीक्षणों की पद्धतियों, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर संक्षिप्त रूपरेखा संबंधी सूची	02
18.	होरोक्स उपस्कर (जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए अनुमानित अपेक्षित ब्लिचिंग पाउडर)	02
19.	क्लोरोस्कोप (पेयजल में क्लोरीन अवशिष्ट की जांच हेतु)	02

### परिशिष्ट - 8

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (10) के खंड (ड.) को देखें)

शल्य चिकित्सा विभाग में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए उपकरणों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	एलिस टिशू चिमटी	न्यूनतम 2
2.	कार्वड एलिस	न्यूनतम 2
3.	मच्छर चिमटी	न्यूनतम 1
4.	दंत चिमटी	न्यूनतम 4
5.	चित्तल चिमटी	न्यूनतम 1
6.	नीडल होल्डर	न्यूनतम 1
7.	स्पंज होल्डिंग चिमटी	न्यूनतम 1
8.	ऐलिस	न्यूनतम 1
9.	साधारण चिमटी	न्यूनतम 2
10.	रबर की मूत्र नलिका	न्यूनतम 2
11.	फॉली मूत्र नलिका	न्यूनतम 2
12.	केनुला (शलाका नलिका)	न्यूनतम 4
13.	श्वास नलिका ट्यूब	न्यूनतम 2



14.	सीधी कैची	न्यूनतम 4
15.	आर्टरी चिमटी	न्यूनतम 4
16.	कैची	न्यूनतम 4
17.	प्रॉक्टोस्कोप	न्यूनतम 4
18.	सीवन सामग्री	अपेक्षानुसार
19.	ड्रेसिंग सामग्री	अपेक्षानुसार
20.	राइले ट्यूब	न्यूनतम 4
21.	मूत्र नलिका	न्यूनतम 4
22.	ड्रेसिंग ट्रे	न्यूनतम 1
23.	किडनी ट्रे	न्यूनतम 4
24.	ट्रे	न्यूनतम 4
25.	ड्रेसिंग ड्रम	न्यूनतम 1
26.	ऑरोस्कोप	न्यूनतम 3
27.	स्टेथोस्कोप	न्यूनतम 4
28.	मापन टेप	न्यूनतम 4
29.	हथौड़ा	न्यूनतम 4
30.	आप्येलमोस्कोप	न्यूनतम 1
31.	टेनोमीटर	न्यूनतम 1
32.	दंत उपकरण	न्यूनतम 1
33.	ईएनटी उपकरण	न्यूनतम 1
34.	शिशु आहार पोषण ट्यूब	न्यूनतम 1
35.	लेरिंगोस्कोप	न्यूनतम 1
36.	रिट्रैक्टर	न्यूनतम 5
37.	सिम स्पैकुलम	न्यूनतम 5

## परिशिष्ट - 9

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (11) के खंड (घ) के उप-खंड (i) को देखें)

स्त्री-रोग विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान विभाग में अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	अपेक्षित सं.
1.	सिम्स स्पेकुलम (वीक्षक यंत्र)	01
2.	कुसको स्पेकुलम	01
3.	एंटीनल वेजीनल वाल रिट्रैक्टर	01
4.	सर्वीकल डाइलेटर	01
5.	रबर की साधारण मूत्र नलिका	01

6.	यूटेरिन कुरैटी	01
7.	स्पंज होलिंग चिमटी	01
8.	ऐलिस टिसू चिमटी	01
9.	आर्टरी चिमटी	01
10.	डोएन्स रीट्रैक्टर	01
11.	बेबकॉक चिमटी	01
12.	नीडल होल्डर	01
13.	दंत संबंधी चिमटी	01
14.	दंत रहित चिमटी (सामान्य चिमटी)	01
15.	ऐपिसियोटोमी कैंची	01
16.	मायो कैंची	01
17.	तौलिया क्लिप	01
18.	वुलसैलम	01
19.	कोर्ड क्लैम्पस	01
20.	ओबस्टेट्रिक चिमटी	01
21.	फोलीज मूत्र नलिका	01

**परिशिष्ट -10**

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ख के उप-पैराग्राफ (13) के खंड (घ) को देखें)

स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग विभाग में अपेक्षित उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	वजन मापी मशीन	1
2.	ऊँचाई (लंबाई) चार्ट	1
3.	रक्त चाप उपकरण	1
4.	स्टेथोस्कोप (आला)	1
5.	टार्च	1
6.	हथौड़ा	1
7.	रोगी रिकार्ड रजिस्टर	1
8.	केस संबंधी प्रपत्र	अपेक्षानुसार
9.	खुराक चार्ट पैड	अपेक्षानुसार
10.	योग चटाई	35
11.	योगा स्ट्रेचिंग बेल्ट	10
12.	योगा एक्सरसाइज गेंद	05
13.	बेली टिवस्टर	02
14.	फिटनेस साइकिल	01
15.	पाम गेंद	05

## परिशिष्ट -11

(प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ-ग के उप-पैराग्राफ (2) को देखें)

## चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक में अपेक्षित उपकरणों की सूची

क्र.सं.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी एकक (एमईटीयू)	मात्रा
1.	स्मार्ट बोर्ड	1
2.	अद्यतन ढांचे सहित कंप्यूटर	2
3.	गोल मेज	2
4.	कुर्सियाँ	10
5.	प्रिंटर और स्कैनर	प्रत्येक 1
6.	ओवरहेड प्रोजेक्टर	1
7.	चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी पर पुस्तकें व पत्रिकाएँ -: भौतिक तथा सॉफ्ट कॉपी की ऑनलाइन खरीद	10 प्रतियाँ
8.	लेखन सामग्री	अपेक्षानुसार

## परिशिष्ट - 12

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (4) के खंड (क) को देखें)

## बाह्य-रोगी विभाग के लिए अपेक्षित फर्नीचर/जुड़नार/उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	डॉक्टर के लिए प्रकाश तथा रोशनदान वाला कक्ष जो एक कुर्सी तथा मेज से सुसज्जित हो	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
2.	एक्स-रे व्यूअर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
3.	रोगियों एवं तीमारदारों के लिए 2 कुर्सियाँ	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सैट	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सैट	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1 सैट
4.	प्राइवैसी स्क्रीन के साथ 6 फीट X 2.5 फीट की एक जांच मेज	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
5.	रक्तचाप उपस्कर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
6.	स्टैथेस्कोप (आला)	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
7.	टार्च	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
8.	थर्मामीटर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
9.	वजन मापने वाली मशीन	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
10.	अस्पताल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार

	दृष्टिगत रखते हुए रोगियों की जांच हेतु अपेक्षित अनिवार्य नैदानिक औजार			
11.	प्रकाश स्रोत जो सूर्य की रोशनी के समान प्रकाश रंग एवं तापमान देता हो, जांच बिंदु पर कम से कम 500 लक्स की प्रकाश सघनता	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
	परीक्षण के बिंदु			
12.	कंप्यूटर	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1
13.	दूरभाष उपकरण	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
14.	एयर कंडीशन	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
15.	ताले वाला पर्याप्त भंडारण स्थान	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
16.	फुट स्टूल	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1	प्रत्येक परामर्श कक्ष के लिए 1

### परिशिष्ट-13

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ख) के उप खंड (ii) को देखें)

अंतःरोगी विभाग के लिए फर्नीचर/जुड़नार की आवश्यकताएं

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	लोहे के बिस्तर (साधारण, शल्य चिकित्सा के लिए तथा शिशुओं के लिए)	30	50	100
2.	पर्याप्त दीवार अथवा स्पात के कपबोर्ड	4	8	15
3.	आर्म बोर्ड वयस्क	12	24	24
4.	बैकरैस्ट	4	8	20
5.	बेन मैरी ट्रॉली स्टेनलेस स्टील प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
6.	बिस्तर की तरफ केबिनेट	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक	प्रत्येक 5 रोगियों पर एक
7.	बिस्तर की तरफ स्क्रीन	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे	प्रत्येक वार्ड में 1 अथवा बिस्तर के मध्य पूरी लंबाई के पर्दे
8.	प्लास्टिक की बाल्टी	12	24	24
9.	छत के पंखे	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
10.	प्रत्येक वार्ड के लिए 1 घड़ी	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड	1 घड़ी प्रत्येक वार्ड
11.	रसोईघर के लिए डिब्बे	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

	(कंटेनर)			
12.	बाह्य रोगी और वार्ड के लिए डॉक्टर की कुर्सी	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
13.	डॉक्टर या कार्यालय मेज	3	10	20
14.	ड्रेसिंग ट्रॉली- प्रत्येक तल/वार्ड के लिए व्यवस्था पर निर्भर करते हुए 1	4	8	10
15.	प्रत्येक वार्ड और परामर्श कक्ष में कूड़ेदान	6	12	15
16.	नर्सों के लिए झूठी टेबल	8	20	30
17.	आपातकालीन पुनर्जीवन किट	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
18.	एनीमा सेट	4	4	8
19.	अग्नि शामक	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी	प्रति वार्ड अथवा व्यवस्था पर आधारित तल के लिए 1 एबीसी
20.	फुट स्टूल	16	25	25
21.	फ्रिज	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1	प्रत्येक क्षेत्र अथवा वार्ड के लिए 1
22.	हैवी झूठी टॉर्च लाइट	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
23.	अस्पताल कोट	100	300	500
24.	अस्पताल कोट शिशु चिकित्सा	10	30	50
25.	हॉट वाटर बैग प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
26.	आइस बैग	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
27.	हॉट वाटर गीजर	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
28.	आई-वी स्टैंड - प्रति 10 बिस्तर के लिए 2	20	50	100
29.	इंटरकॉम प्रणाली	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
30.	रसोईघर के बर्तन	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
31.	मसाज टेबल 7 x 2.5 फीट (लकड़ी अथवा फाइबर) यदि सेवा उपलब्ध कराई जाती है।	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक	प्रत्येक क्रियाविधि कक्ष के लिए एक
32.	औषण ट्राली	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
33.	कार्यालय कुर्सियां	8	20	20
34.	कार्यालय मेज	6	10	10
35.	रोगी बिस्तर साइड रेल सहित	कुल बिस्तर का 20%	कुल बिस्तर का 20%	कुल बिस्तर का 20%
36.	रोगी कॉल बेल प्रणाली	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1
37.	रोगी के लॉकर	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1

38.	रोगी जांच मेट - रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए - 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए - 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए - 1	रोगियों की प्रोफाईल एवं सुविधा की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा तल के लिए - 1
39.	रोगियों की ओर मेज	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1	प्रति बिस्तर 1
40.	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार रेलिंग के साथ बाल चिकित्सा हेतु कोट	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार	सेवाओं की गुंजाइश के अनुसार
41.	इस्पात अथवा लकड़ी के कपबोर्ड	16	20	25
42.	इस्पात के रैक	10	20	40
43.	स्टूल प्रति बिस्तर-1	8	15	25
44.	घूमने वाले स्टूल - प्रति वार्ड -1	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
45.	स्ट्रेचर अथवा रोगी ट्रॉली प्रति वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
46.	पुरुष एवं महिला मूत्रालय	20	50	100
47.	रोगियों के रिश्तेदारों के लिए प्रतीक्षा हेतु कुर्सियाँ अथवा बेंच	बिस्तर की क्षमता का 50%	बिस्तर की क्षमता का 50%	बिस्तर की क्षमता का 50%
48.	वजन मापने वाली मशीन	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
49.	व्हील चेयर	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2	प्रति 50 बिस्तर के लिए - 2
50.	एक्स-रे व्यूअर	प्रति वार्ड - एक	प्रति वार्ड - एक	प्रति वार्ड - एक

## परिशिष्ट 14

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ख) के उप खंड (iii) को देखें)

अंत: रोगी विभाग (आईपीडी) के लिए उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	अंबु बैग	6	6	6
2.	आर्म बोर्ड वयस्क	12	24	24
3.	आटोक्लेव ड्रम	6	9	12
4.	बैंक रैस्ट	4	8	20
5.	बैन मैरी ट्रॉली स्टेनलेस स्टील प्रत्येक तल पर 1	2	4	8
6.	बिस्तर पैन, प्रत्येक 5 रोगियों पर 1	6	10	20
7.	जैवचिकित्सा वेस्ट कलर कोडेड बिन	प्रत्येक तल के लिए एक सेट	प्रत्येक तल के लिए एक सेट	प्रत्येक तल के लिए एक सेट
8.	चीतल फोर्सेप्स वर्गीकृत आकार	8	16	25
9.	रसोई के लिए डिब्बे	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार

10.	ट्रेसिंग ट्रॉली-व्यवस्था पर निर्भर करते हुए प्रत्येक तल/वार्ड के लिए - 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
11.	प्रत्येक वार्ड और परामर्श कक्ष में कूड़ेदान	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
12.	आपातकालीन रिसुसाइटेशन किट	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1	प्रत्येक तल पर 1
13.	एनिमा सेट	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
14.	फ्रिज	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
15.	हेवी ज्यूटी टॉर्च लाइट प्रति वार्ड - 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
16.	हॉट वाटर बैग प्रति वार्ड-2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2	प्रति वार्ड 2
17.	आई वी स्टैंड - प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2	प्रत्येक 10 बिस्तर पर 2
18.	इन्फ्रा-रेडलैम्प	5	10	10
19.	उपकरण ट्रे- न्यूनतम 1 ट्रे प्रति वार्ड	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
20.	उपकरण ट्रॉली - न्यूनतम 1 ट्रॉली प्रति वार्ड	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
21.	इंटरकॉम प्रणाली	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार
22.	किडनी ट्रे- प्रत्येक 5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1	5 बिस्तर पर 1
23.	भेषज ट्रॉली	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1	न्यूनतम प्रत्येक वार्ड-1
24.	नीडल कटर - प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3	प्रति वार्ड 3
25.	गैर-पारे वाला नैदानिक थर्मामीटर - प्रति वार्ड 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
26.	02 सिलेंडर - स्पैनर सहित - प्रति वार्ड - 1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
27.	रोगी परीक्षण मेज- प्रति वार्ड/तल-1 रोगी की प्रोफाइल उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1
28.	स्विगमोमैनोमीटर- स्टैंड टाइप 1 और पोर्टेबल (एनेरॉइड या डिजिटल) टाइप - 1,	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1	प्रत्येक वार्ड-1

## परिशिष्ट - 15

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (ग) को देखें)

## आपातकालीन उपकरण का नाम

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	फर्स्ट एड और मूलभूत	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

	जीवन सहायता कौशल के लिए आपातकालीन उपकरण बॉक्स			
2.	क्रैश- कार्ड ट्राली:1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
3.	पोर्टेबल डिफाइब्रिलेटर:1	वैकल्पिक	वैकल्पिक	न्यूनतम1
4.	डिस्पोजेबल सीरिंग	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
5.	अंबु बैग:1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	लेरियंगोस्कोप – सेल सहित	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	सील्ड बैटरी सेल	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	एंडोट्रैचियल ट्यूब	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
9.	मोनीटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

## परिशिष्ट - 16

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (घ) के उप खंड (I) को देखें)

## एनेस्थेटिक्स भेषज

क्र.सं.	भेषज का नाम	परिमाण	न्यूनतम मात्रा
<b>1.1 सामान्य एनेथेसिया (केवल अर्हक ऐलोपैथी एनेथेटिस्ट द्वारा ही दिया जाए)</b>			
1.	ईथर,	--	अपेक्षानुसार
2.	हैलोथेन	--	अपेक्षानुसार
3.	आइसोफ्लुरेन*	--	अपेक्षानुसार
4.	केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन	10एमजी /एमल,50 एमजी /एमल	अपेक्षानुसार
5.	नाइट्रस ऑक्साइड	चिकित्सा ग्रेड	अपेक्षानुसार
6.	ऑक्सीजन	चिकित्सा ग्रेड	अपेक्षानुसार
7.	इंजेक्शन थियोपेनटोन सोडियम	0.5जी,1 जी पाउडर	अपेक्षानुसार
<b>1.2 लोकल एनेस्थिसिया</b>			
8.	इंजेक्शन बुपीवाकेन हाइड्रो ओक्लोराइड	0.25%,0.5%0.5%+7.5% ग्लूकोज	अपेक्षानुसार
9.	स्प्रे इथाइल क्लोराइड	1%	अपेक्षानुसार
10.	इंजेक्शन लिग्नोकेन	टोपीकल फार्म 2-5%	अपेक्षानुसार
11.	इंजेक्शन लिग्नोकेन	हाइड्रोक्लोराइड 1-2% स्पाइल 5% + 7.5% ग्लूकोज	अपेक्षानुसार
12.	इंजेक्शन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड + एड्रेनालाईन	1%, 2% +एड्रेनोलिन 1:200.000 शीशी में 1.3	अपेक्षानुसार
<b>1.3 अल्पकालिक पद्धतियों के लिए पूर्व-संचालित मेडिकेशन एवं सेडेशन</b>			
13.	इंजेक्शन एट्रोपाइन सल्फेट	0.6 एमजी /एमएल	अपेक्षानुसार



14.	इंजेक्शन डायजेपम	5 एमजी इंजेक्शन 5 एमजी/ एमएल	अपेक्षानुसार
15.	संबंधित एनेथिएस्ट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य कोई औषध		अपेक्षानुसार

## परिशिष्ट - 17

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (12) के खंड (घ) के उप-खंड (II) को देखें)

## आपातकालीन औषध

क्र.सं.	औषध का नाम	मात्रा	न्यूनतम मात्रा
1.	इंजेक्शन एड्रेनालाईन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
2.	इंजेक्शन एट्रोपाइन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
3.	इंजेक्शन कैल्शियम कार्बोनेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
4.	इंजेक्शन डोपामाइन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
5.	इंजेक्शन डोबुटांमिन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
6.	इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
7.	इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
8.	इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
9.	इनहेलर बेक्लोमीथासोन (250 माइक्रो/ डोज)	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
10.	इनहेलर सलबुटामोल (200 माइक्रोग्राम)	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
11.	इंजेक्शन फ्रूसेमाइड	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
12.	इंजेक्शन डायजेपम/मिडाज़ोलम	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
13.	इंजेक्शन डेरिफाइलिन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
14.	इंजेक्शन फेनीटोइन सोडियम	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
15.	इंजेक्शन एविल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
16.	इंजेक्शन ओनडेनसेट्रोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
17.	इंजेक्शन के.सी.एल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
18.	इंजेक्शन लिग्नोकेन 2%	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
19.	इंजेक्शन एमियाडेरोन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
20.	इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
21.	इंजेक्शन मेनिटोल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
22.	इंजेक्शन मॉर्फिन/इंजेक्शन पेथिडीन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
23.	इंजेक्शन नोराड्रेनालीन बिटिट्रेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
24.	इंजेक्शन फेंटेनाइल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
25.	इंजेक्शन के लिए जल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
26.	इंजेक्शन सोडियम वालपोरेट	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
27.	इंजेक्शन वोवेरन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
28.	इंजेक्शन पैरासिटामोल	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स

29.	मेटोप्रोलोल इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
30.	एन/2 सेलाइन इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
31.	ऑक्सीजन इनहेलेशन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स
32.	ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन	आईपी के अनुसार	न्यूनतम 10 ऐम्पल्स

### परिशिष्ट-18

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (13) के खंड (ग) को देखें)

#### प्रयोगशाला में उपकरणों की सूची:

टेस्ट ट्यूब, फनल, लिटमस व फिल्टर पेपर, ब्रेकर, त्रिपोट, बर्नर, वाल्यूमीट्रिक फ्लास्क, ड्रॉपर, थर्मामीटर, टंग्स, वजन मापने वाली मशीन, बरेटी, वाच ग्लास, कृसिबल, लेबबैलेंस, मिक्सर, शेकर्स, स्टिरर्स, पिपेटीज, अपेक्षानुसार।

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	अलार्म घड़ी	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1
2.	स्वचालित सेल काउंटर	वैकल्पिक	वैकल्पिक	न्यूनतम 1
3.	ऑटो एनालाइज़र या सेमी ऑटो एनालाइज़र	वैकल्पिक	वैकल्पिक	वैकल्पिक
4.	ऑटो क्लेव	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	जैव-रसायन एनालाइज़र	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	रसायन बैलेंसेज	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	काउंटिंग चैम्बर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
9.	इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	सेंट्रोफ्यूज मशीन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	ट्यूब के साथ ईएसआर स्टैंड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	फ्लेम फोटोमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
14.	ग्लूकोमीटर	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1	प्रति क्षेत्र/वार्ड के लिए 1
15.	हेमाटोलाजी एनालाइज़र अथवा सेल काउंटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
16.	हीमोग्लोबीनोमीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
17.	एचबीए1सी मशीन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
18.	हॉट एअर ओवन	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
19.	हॉट प्लेट्स	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
20.	लैब इनक्यूबेटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
21.	प्रयोगशाला ऑटोक्लेव	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
22.	माइक्रो पिपेट्टी - अलग 2 खंडों में	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

23.	पीएच मीटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
24.	रेफ्रिजरेटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
25.	रोटर अथवा शेकर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
26.	सिंपल बैलेंस	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
27.	स्पिरिट लैंप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
28.	टीसीडीसी काउंट उपकरण	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
29.	टेस्टट्यूब होल्डर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
30.	टेस्टट्यूब रैक	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
31.	टेस्टट्यूब स्टैंड	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
32.	टाइमर स्टॉप वॉच	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
33.	यूरीन एनालाइजर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
34.	वाटरबाथ	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

## परिशिष्ट-19

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (16) के खंड (क) को देखें)

आपरेशन थिएटर के लिए आवश्यक उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	एंटीरियर व्हेजीनल वाल रिट्रेक्टर	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
2.	आर्टरी फोर्सेप्स	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
3.	ऑटो क्लेव एचपी वर्टिकल (2 बिन)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
4.	स्टेरीलाइजेशन/स्टेरीलाइजर के लिए आटोक्लेव उपकरण	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	ब्लेडर साउंड (यूरेथ्रल डाइलेटर्स) विभिन्न आकारों में	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	कुस्कोज स्पेकुलम	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
7.	डायथर्मि मशीन (इलेक्ट्रिक कॉटरी)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
8.	डिस्पोजेबल सीरिंज (5-10 सीसी)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
9.	एनीमा पॉट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	फोकस लैंप साधारण	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	फोलीज कैथेटर	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
12.	फॉर्मेलिन डिस्पेंसर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	सामान्य सर्जिकल उपकरण सेट पाइल्स, फिस्टुला, फिशर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
14.	विभिन्न आकारों की उपकरण ट्रे	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
15.	उपकरण ट्रॉली	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
16.	आई.वी. स्टैंड	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
17.	किडनी ट्रे	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

18.	चाकू और कैंची 1-1	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
19.	एल.पी. ट्रे	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
20.	मैगिल फोर्सेप्स (दो आकार)	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
21.	मेटेलिक अथवा डिस्पोजेबल इनसोमिनेशन केनुला	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
22.	स्टैंड सहित ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक माइनर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
23.	ओटी स्पॉट लाइट (शेडो लैस सीलिंग फिटेड/स्टैंड माउंटेड)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
24.	ऑक्सीजन सिलिंडर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
25.	सर्किट के साथ ऑक्सीजन मास्क	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
26.	प्लास्टिक एप्रोन, दस्ताने तथा मास्क	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
27.	शेडो सहित लैंप सीलिंग टाइप बड़े अथवा छोटे	1	1	2
28.	शेडो सहित लैंप स्टैंड माडल	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
29.	लघु, मध्यम तथा बड़े आकार में सिम स्पैकुलम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
30.	स्फाइग मोमानो मीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
31.	स्टेराइल रुई	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
32.	स्टेराइल दस्ताने	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
33.	स्टेलाइजर लघु (उपकरण)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
34.	स्टेलाइजर बड़ा (उपकरण)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
35.	स्टेलाइजर मध्यम (उपकरण)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
36.	स्टैथोस्कोप (आला)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
37.	सक्शन एपारेट्स (विद्युत)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
38.	सटरिंग सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
39.	स्वाब होल्डर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
40.	थर्मामीटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
41.	टंग डिप्रेसर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
42.	दांतों की चिमटी	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
43.	दो लंबे (10 इंची) और दो लघु (6 इंची) आर्टरी चिमटी	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
44.	दो यूटेरिन साउंड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
45.	यूरेथ्रल डाइलेटर सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
46.	वेजिनल जांच सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
47.	वुलसेलम	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

## परिशिष्ट-20

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (16) के खंड (ख) को देखें)

एनेस्थीसिया के लिए आवश्यक उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	एयरवे महिला एवं पुरुष	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
2.	एनेस्थीसिया ट्रॉली/बाँयलेज उपकरण	न्यूनतम-1 यदि एनेस्थीसिया दिया जाना है	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
3.	एनेस्थीटिक - लैरींगोस्कोप मैजिल्स-चार ब्लेडों सहित	न्यूनतम 2	न्यूनतम 2	न्यूनतम 2
4.	सीओ2 सिलेंडर लेप्रोस्कोप के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	ईईटी के लिए छह का कनेक्टर सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	डिफाइब्रिलेटर अथवा स्वचालित बाह्य डिफाइब्रिलेटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	एंडोटैचियल ट्यूब सेट	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	मेजिल्स फोर्सेप्स (दो आकार)	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
9.	माउथप्रॉप	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
11.	एन2ओ सिलेंडर बाँयल्स के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	ओ2 सिलेंडर बाँयल्स के लिए	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
13.	टंग डिप्रेसर्स	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त
14.	ईटीटी के लिए ट्यूब कनेक्टिंग	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त

## परिशिष्ट-21

(द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ-क के उप-पैराग्राफ (18) को देखें)

इमेजिंग उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	30 बिस्तर के लिए	31 से 50 बिस्तर के लिए	51 से 100 बिस्तर के लिए
1.	300 एम.एम. एक्स-रे मशीन/ डिजिटल एक्स-रे मशीन	01	01	01
2.	अल्ट्रा सोनोग्राम (स्त्री रोग और प्रसूती रोग विभाग में अपनी स्वयं की एक अलग अल्ट्रा-साउंड मशीन होनी चाहिए)	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन	वैकल्पिक अथवा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन
3.	इकोकार्डियोग्राम	01	01	01
4.	एक्स-रे डेवलपिंग टैंक	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
5.	सेफ लाइट एक्स-रे डार्करूम	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
6.	कैसेट्स एक्स-रे	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
7.	लीड ऐप्रन	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
8.	इन्टेंसीफाइंग स्क्रीन एक्स-रे	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1 i
9.	थायराइड शील्ड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
10.	टीएलडी बैच	प्रति व्यक्ति एक	प्रति व्यक्ति एक	प्रति व्यक्ति एक
11.	गोनाडल गार्ड	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1
12.	एक्स-रे लॉबी सिंगल	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1	न्यूनतम 1

\*यदि महाविद्यालयों में डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध है तो एक्स-रे डेवलपिंग टैंक तथा एक्स-रे कैसेट्स को छोड़कर सभी उपकरण अपेक्षित हैं।

**NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2024

**F. No. 3-35/2021/NCH/HEB/MES.C.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 55 read with clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 26 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020) and in supersession of the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely: -

**1. Short Title And Commencement.** – (1) These Regulations May Be Called The National Commission For Homoeopathy (Minimum Essential Standards For Homoeopathic Colleges And Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – In These Regulations, Unless The Context Otherwise Requires;

- (a) “Act” means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);
- (b) “Appendix” means the Appendix annexed to these regulations;
- (c) “attached hospital” means a teaching homoeopathic collegiate hospital attached to the medical institution;
- (d) “director” means the Director of the medical institution;
- (e) “Head of Department” means a teacher of Department among senior faculties responsible for academic and administrative control of the Department;
- (f) “intern” means a medical student who is undergoing a period of training, “Compulsory Rotatory Internship” or “Internship” as provided under the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery Regulations, 2022);
- (g) “nodal officer” means an official who is responsible for a specific project or task within an Organisation or institution;
- (h) “Principal” means the Principal of the medical institution;
- (i) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (j) “teaching experience” means full time teaching experience gained in the subject concerned in which he is appointed in a medical institution recognised by the Central Government or National Commission for Homoeopathy or National Medical Commission;
- (k) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

**3. Objective.** – The Objective Of These Regulations Shall Be;

- (a) to specify minimum essential standards;
- (b) to ensure fully functional medical institution and its teaching hospital;
- (c) to provide for the requirement of staff (teaching and non-teaching); instruments; equipment in the different Departments of the college and attached hospital and infrastructure for approval of competent authority for assessment for the purpose of grant or maintenance of permission and subsequent rating of medical institution for recognised course.

**4. Departments .-** (1) Every medical institution shall have the following Departments, namely: -

- (a) Homoeopathic Materia Medica;
- (b) Organon of medicine, Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology;
- (c) Homoeopathic Pharmacy;
- (d) Homoeopathic Repertory and Case Taking;
- (e) Human Anatomy;
- (f) Human Physiology and Biochemistry;

- (g) Forensic Medicine and Toxicology;
  - (h) Pathology and Microbiology;
  - (i) Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics;
  - (j) Surgery;
  - (k) Gynecology and Obstetrics;
  - (l) Practice of medicine with Essentials of Pharmacology; and
  - (m) Yoga for health promotion.
- (2) The medical institution, apart from the Departments in sub-regulation (1), shall have a unit of medical education technology for the purpose of teaching and training in Homoeopathy medical education.
- (3) Every Department shall maintain the following registers or diary, namely: -
- (a) non consumable or dead stock register;
  - (b) perishable items stock register;
  - (c) consumable items register;
  - (d) teaching plan and compliance or teaching diary;
  - (e) indent register;
  - (f) departmental activity record;
  - (g) departmental library registers; and
  - (h) students attendance for lectures and non-lectures separately.

**5. Requirement of land.**— The land required for establishment of Homoeopathy medical institution including attached hospitals and adequate infrastructure shall be as specified in Establishment of New Homoeopathic medical institution (Opening of New or Higher Course of Study and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations-2024:

Provided that the said land requirement is not applicable for the Homoeopathy medical institute established prior to the notification of these regulations in Official Gazette.

- (a) The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land. A certificate from the Jila panchayat or local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the First Schedule and the Second Schedule which may be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Commission.
- (b) There may be a separate building or interconnected building for the college and hospital as per the requirements mentioned in the First Schedule and the Second Schedule. The land should be owned by the person or possessed on lease of not less than thirty years or maximum permissible period as per the regulations made by the state concerned. Renewal of permission shall be obtained one year prior to expiry of lease.
- (c) For new college establishments, the land in the name of person may be considered for grant of permission:

Provided that there may be a resolution of irrevocable authority for use of land only for homoeopathic medical institution and attached hospital.

- (d) The resolution passed shall have to be concurrently approved by the registering authority with which applicant is registered.
- (e) The property shall be exclusively demarcated for homoeopathy educational institution only.
- (f) Medical institutions established prior to the notification of these regulations shall fulfill the following conditions, namely:-
  - (i) for the requirement of the size and possession of the land, at the end of the current lease period, such medical institutions shall either own the land or get it on the lease for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per the rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration;
  - (ii) if the institution submit the application for increase in the existing number of seats or apply for

higher degree courses, they shall have to fulfill all the requirements of land and infrastructure as specified in the Establishment of New Homoeopathic medical institution (Opening of New or Higher Course of Study and Increase of Intake Capacity by a medical institution), Regulations-2024:

Provided that these provisions shall not be applicable to an existing post-graduate college willing to apply for the increase of seats in their existing post-graduate course or addition of new subjects for Doctor of Medicine (Homoeopathy) course;

- (iii) if an existing medical institution is situated in an urban area, they may have a hospital or college in a separate campus situated not more than five kilometers in distance or fifteen minutes of travel time to fulfill the necessary requirements of the constructed or built-up area.
- (g) The building plan with departmental measurements must be certified by the local authority after verifying facilities as specified in these regulations.
- (h) The buildings of the Homoeopathic medical institute and hospital shall conform to the prevailing building codes and local building bye-laws or norms. The hospitals should have fire-safety measures, including patient evacuation plans as per local bye laws and regulations. They shall comply with the requirements for providing access and facilities to those who are disabled. The buildings of the institute and hospital shall meet the requirements for the numbers of students to be admitted as specified by these regulations.

**6. Intake capacity.**— The application in homoeopathic degree course, namely, Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery shall be considered up to one hundred seats.

**7. Power to call for information and returns.**— (a) The National Commission for Homoeopathy and its autonomous boards shall have the power to call for such information and returns as it may deem fit. The University and medical institution shall furnish the said information as required by the National Commission for Homoeopathy:

Provided that if the medical institution fails to provide the information and return to Commission within time-limit as notified by the Commission from time to time, the Commission shall recommend for action against the medical institution under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act assuming that the medical institution is not complying with the provisions of regulation.

- (b) Every medical institution shall provide all necessary information, documents and records to the inspectors appointed by the Medical Assessment and Rating Board of Homoeopathy or Commission to discharge their functions demanded by them during the inspection or assessment.

**8. Failure to comply.**— If any medical institution and attached hospital fails to comply with minimum essential standards, the Commission shall recommend for action against such institutions or hospitals under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

**9. Requirement of medical institution and attached hospital.** — (a) Every medical institution shall have the required areas, infrastructure, staffs, equipment as given in the First Schedule and attached hospital shall have the required areas, infrastructure, staffs and equipment as specified in the Second Schedule and qualification of the staff given in the Third Schedule.

- (b) Every existing medical institution with intake capacity of one hundred seats, established prior to the date of notification of these regulations, shall fulfill the requirements of built up or constructed area, as laid down in these regulations within a period of five years from the date of notification of these regulations.

- (c) Every existing medical institution with intake capacity of one hundred seats, established prior to date of notification of these regulations, shall fulfill the Department wise requirements, as laid down in these regulations within a period of one year from the date of notification of these regulations.

#### THE FIRST SCHEDULE

[(See clauses (a) and (b) of regulation 5 and clause (a) of regulation 9)]

#### Requirements of the Homoeopathic medical institution. – A. General. –

- (1) (a) The medical institution shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the medical institution and the attached hospital), library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, and other provisions as specified in this Schedule.
- (b) Every medical institution shall have the attached hospital and hostel facility for the students and interns, with or without the residential area for faculty and other staff of medical institution or hospital.



- (2) College council. – (a) Every medical institution shall have a college council comprising of the head of all the Departments or faculty specified for medical education technology unit as members and Principal or Director as Chairperson.
- (b) The council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters and minutes of all the meetings shall be maintained properly.
- (c) The council shall also organize inter-departmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.
- (3) Biometric attendance. - (a) Every medical institution shall install aadhar enabled biometric attendance machine as directed by the Commission from time to time for regular capturing of the attendance of human resources in the manner as specified and shall be essentially accessible to the Central Government or State Government or Union territory Administration and Commission to ensure maintenance of the minimum essential standards of education.
- (b) The aadhar enabled biometric attendance shall be made available on the dashboard of medical institution website and to medical assessment and rating board in Homoeopathy on dedicated portal as directed by the Commission from time to time. The Commission shall seek such record of attendance from medical institution during or after assessment for compliance of minimum essential standards of education.
- (c) The installation, maintenance and continuous smooth functioning of aadhar enabled biometric attendance system shall be the responsibility of medical institutions and any technical problem in the functioning of biometric system should be immediately reported to the Commission through nodal officer in-charge designated for the biometric attendance system and shall be rectified within seven days.
- (d) At least one year attendance record by aadhar enabled biometric machine shall be made available in the Commission or assessment team and college shall maintain record for at least one year.
- (e) It shall be mandatory to have at least seventy five percent. attendance of the total working days (excluding vacations) for all the faculty and resident doctors. During vacation period, other than sick leave or leave availed due to emergency situations, the faculty on duty shall not avail any leave. Emergency leave shall be certified by the Head of the Department or Head of the Institution.
- (4) Closed circuit television.– (a) In order to enable the Commission to maintain constant vigil on the standards of medical education and training being imparted, every medical institution shall have closed circuit television system in the campus and shall provide live streaming video of classrooms and the attached hospital in the manner as specified by the Commission and shall be essentially accessible to the Central Government, State Government or the Union territory Administration and Commission to enable the Commission to maintain a constant vigil on the standard of medical education and training being imparted;
- (b) For monitoring the medical institutions, closed circuit television cameras shall be installed in the colleges, which shall maintain backup of one month recording for quick reference whenever asked during the inspections by the Commission or the Central Government. A nodal officer from the medical institution may be specially nominated to monitor the functioning or maintenance of the same;
- (c) The installation, maintenance and continued smooth functioning of closed circuit television system shall be the responsibility of medical institution and in case of any technical problem or break up faced by the institution, it must be immediately informed to the Commission through nodal officer and shall be rectified within seven working days;
- (d) Areas and number of cameras required for wider coverage are as per following Table, namely:-

TABLE

S No.	Area	No. of camera
1.	Classrooms (one in each)	05*
2.	Above all biometric machines	01
3.	Out-patient Department hall waiting area	01
4.	In-patient Department area	01
5.	Homoeopathic pharmacy/dispensary	01
6.	Patient registration including waiting area	01
7.	Hospital lab	01

\* Additional for Post-graduate Class rooms.

- (5) **Teaching rooms and internet facility.**— (a) Smart-boards shall be installed in the class rooms and lecture halls in a phased manner with at least two smart boards per year in the medical institutions, from the date of notification of these regulations. Demonstration rooms and clinical classrooms shall be provided with audio-visual facilities like liquid crystal display projectors and public address system;
- (b) Medical institutions shall essentially have a broadband connection with local area network or wireless facility set up having adequate speed to cover the academic block, hospital and library along with technology enabled teaching aid for smart classroom set ups;
- (c) A licensed homoeopathic software shall be available in all out-patient Departments and may be linked with hospital management software for management of various functions of patient care and back up shall be available for five years;
- (d) Adequate computer systems shall be made available with latest configuration compatible for smooth functioning of all the requirements including the maintenance of dashboard for patient attendance, to be available on the website of the medical institution.
- (6) **Website.**— Every medical institution shall have its own website containing the following details, which are to be updated in the first week of every month, namely: -
- (a) details of director or principal and medical superintendent of the medical institution including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with landline number, mobile numbers and e-mail ID;
- (b) details of the affiliating University, its Vice-Chancellor, Dean or Head of Faculty of Homoeopathy, Controller of Examinations and Registrar including their name, date of joining, complete address with landline number, mobile numbers and e-mail ID. The Link of University website should be available on the medical institution website;
- (c) details of the Principal Secretary or Secretary and Commissioner or Director of AYUSH or Homoeopathy, including their name, date of joining, complete address with contact numbers and e-mail ID. The link of Secretariat and Directorate of Ayush Homoeopathy website should be available on the medical institution website;
- (d) details of teaching staff and hospital staff along with the date of appointment and joining in the Department, their photograph, registration number, date of birth qualification, experience, Department, number of publications and such other required details, if any;
- (e) detailed status of recognition of all the courses;
- (f) details of the sanctioned intake capacity of courses of study in homoeopathy; as approved by National Commission for Homoeopathy;
- (g) list of students admitted, merit-wise, category-wise in courses for the current and previous academic sessions along with their National Eligibility cum Entrance Test or All India Ayush Post Graduate Entrance Test scores;
- (h) all research publications during last five years in peer or non-peer reviewed journals and any other publication;
- (i) details of continuous medical education programmes, research course, conferences or any other academic activities conducted by the institution;
- (j) details of any awards and achievement received by the students or faculty or by the college or medical institution;
- (k) results of all the examinations of last one year;
- (l) details of fees for courses and other costs;
- (m) statistics of out-patient Department or in-patient Department of last five years;
- (n) recording of registration of out-patient Department patients and dispensing area of hospital shall be updated on website;
- (o) information on the activities of Ministry of Ayush and for accessing the same, link (<https://main.ayush.gov.in>) must be made available on the website;
- (p) link for all related bodies of the Central Government, State Government and Union territory Administration;

- (q) a nodal officer from the medical institute shall be designated to monitor the functioning or maintenance of the website;
- (r) contact details of Nodal Officer shall be made available on the website directory; and
- (s) any other information as may be sought by the Commission from time to time.
- (7) **Small group teaching facilities.**— The common resource pool of teaching rooms, student practical laboratories, museums and lecture halls and any other available area that may be utilised for teaching purposes as specified in these regulations shall be utilised for small group (upto thirty students) teaching and shared by the teaching Departments. All the above-mentioned teaching areas shall have audio-visual and internet facilities.
- (8) **Student amenities.**— Adequate amenities shall be provided to the students which shall include facilities for separate common rooms for boys and girls with toilets, cafeteria, periodic cultural activities, indoor and outdoor games and student counseling services. There shall be playground for outdoor or indoor games and track events in the college. Medical institutions may also have memorandum of understanding with some sport complex for conduct of outdoor games and track events, if such facilities are not available in their own campus.
- (9) **Biomedical waste management.**— The Homoeopathic medical institution must ensure compliance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as notified from time to time. They shall have a robust institutional policy on biomedical waste management of human origin, with a well- defined arrangement for segregation and discarding of biomedical waste. Registration from the pollution control board shall be maintained by the hospital.
- (10) Facilities for twenty four-hour potable and non-potable water availability under certification of Government water authority shall be available and periodic drinking water check-up and its report from any authorised water testing agency at least once in three months to be mandatory.
- (11) Every Medical institution shall have separate male and female toilets on each floor with proper cleanliness and hygiene. There shall be adequate sewage drainage system or sewage treatment plant in every medical institution.
- (12) Medical institution shall have sufficient parking facility for staff, patient, and student.
- (13) All the required statutory provisions for the Central Government, State Government, Union territory Administration and local authorities related to employees state insurance, public provident fund, Labour rules, constructions and maintenance and other related things shall be complied with.

**B. Department wise specific requirements are as follows, namely. –**

**(1) Department of Homoeopathic Materia Medica**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, museum, and Departmental library: seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

**TABLE**

Sl. No.	Designation	Number required
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate professor	01
3.	Assistant professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi-Tasking Staff	01

- (d) **Requirements in museum.**— (i) There shall be charts or digital display or standees or photo panels (picture-wise presentation) on topics covered for each year. The charts need to be changed after every four months. In case of establishment of new college, the number of charts in the museum shall be proportionate to their level (during first to final Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course) and five charts shall be

added annually. Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheets also. The charts may be on following subjects, namely:-

- (a) Plant kingdom (10)
  - (b) Animal kingdom (10)
  - (c) Mineral kingdom (10)
  - (d) Ophidia groups (05)
  - (e) Spider family (02)
  - (f) Nosodes (01)
  - (g) Sarcodes (01)
  - (h) Imponderabilia (01)
- (ii) Other creative charts (One each) shall be on following subjects, namely:-
- (a) Characteristics of acute remedies;
  - (b) Characteristics of deep acting constitutional remedies;
  - (c) Characteristics of rare medicine;
- (iii) Specimens: twenty-five different dry and wet specimens from all the kingdoms shall be kept in the Department.
- (e) Photograph of the following founder and contributors in the field of homoeopathy Materia Medica mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely:-

**TABLE**

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. Constantine Hering
4.	Dr. T.F.Allen
5.	Dr. H.C.Allen
6.	Dr. Richard Hughes
7.	Dr. J.H.Clark
8.	Dr. M.L. Tyler
9.	Dr. William Boericke
10.	Dr. C. Dunham
11.	Dr. E.A.Farrington
12.	Dr. E.B.Nash
13.	Dr. B.K.Bose
14.	Local or regional homeopaths of reputation

**(2) Department of Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, museum and Departmental library: seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely:-

TABLE

S.No.	Designation	Number required
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate professor	01
3.	Assistant professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi-Tasking Staff	01

*A separate visiting faculty of the minimum cadre of Assistant professor with qualifications as specified in Third Schedule shall be engaged for teaching of fundamentals of psychology.*

- (d) Requirements in museum.— (i) Specimens or photos;
- (ii) Teaching material: Catalogues containing acute and chronic cases (twenty acute and ten chronic cases): two copies each.
- (iii) E-material software or videos or presentation or charts;
- (iv) Charts or digital display or standees or photo panel: Out of all the charts mentioned below, five charts shall be displayed in museum and shall be changed after every four months. Charts shall be prepared by the students only and record to be maintained in A4 size sheets also: -
- (a) History of medicine- 5 charts;
  - (b) History of Homoeopathy- 5 charts (World, India, State);
  - (c) Organon of medicine- 15 charts;
  - (d) Philosophy- 10 charts;
  - (e) Psychology- 5 charts.
- (v) Topics for charts or digital display or standees or photo panel are as follows, namely:-
- (a) What is Homoeopathy;
  - (b) Contents of Organon of Medicine;
  - (c) Various editions of Organon;
  - (d) Physician (mission, ideals of cure, qualification);
  - (e) Therapeutic law of nature;
  - (f) Modus operandi of homoeopathic cure;
  - (g) Comparison of different systems of medicine;
  - (h) Classification of diseases;
  - (i) Guidelines for case taking;
  - (j) Drug proving mentioning the methods, prover, guidelines;
  - (k) Drug Dynamization mentioning the methods, scales;
  - (l) Comparison of chronic miasm;
  - (m) One sided disease;
  - (n) Mental diseases;
  - (o) Intermittent diseases;
  - (p) Auxiliary measures;

- (q) Fundamental principles of homoeopathy;
  - (r) Classification of symptoms;
  - (s) Logic- Inductive and Deductive;
  - (t) Susceptibility;
  - (u) Constitution (temperament, diathesis);
  - (v) Prognosis (observations after action of medicine);
  - (w) Prescriptions (first and subsequent);
  - (x) Comparison of concepts (J T Kent, H A Roberts, S.Close);
  - (y) Analysis or evaluation of symptom;
  - (z) Posology;
  - (za) Psychology (types);
  - (zb) Personality (types);
  - (zc) Emotions;
  - (zd) Behaviors and reactions;
  - (ze) Memory and intellect.
- (vi) Other requirements in museum:-
- (a) Photograph of the following founder and contributors in the field of Organon and Homoeopathic Philosophy mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely:-

**TABLE**

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. Stuart Close
4.	Dr. Herbert A Roberts
5.	Dr. J.H.Allen
6.	Dr. R.E.Dudgeon
7.	Dr.Mahendralal Sarkar
8.	Dr.Babu Rajendra Lal Dutta
9.	Dr. B.K. Sarkar
10.	Dr.Diwan Harish chand
11.	Dr.K.G.Saxena
12.	Dr.Mahendra Singh
13.	Local or regional Homeopaths of reputation

**(3) Department of Homoeopathic Pharmacy**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Designation	Number required
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor or Associate Professor	01
2.	Assistant Professor	01
<b>Non-teaching staff</b>		
3.	Lab Attendant	01
4.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

(i) Pharmacopeias (All volumes)

- (a) Homoeopathic pharmacopeia of India -01 set.
- (b) German homoeopathic pharmacopeia -01 set.
- (c) Homoeopathic pharmacopoeia of United States-01 set.
- (d) British homoeopathic pharmacopoeia -01 set.

(ii) Catalogue stating pharmacological action, general characteristics and clinical indications of the specimen: 2 copies.

(iii) Journals on practical or clinical record or herbarium shall be maintained.

(iv) Copy of the alcohol or spirit license or permission and utilization register, duly attested by Head of Department shall be maintained.

(v) Visit of students to Homoeopathic pharmacopoeia laboratory or a large-scale manufacturing unit of homoeopathic medicines having Good Manufacturing Practices compliance and approved by the Government authority. Record and attendance shall be maintained of such visit along with certificate of visit.

(e) List of equipment for pharmacy Department shall be as per Appendix-1.

(f) Following charts or digital display or standee or photo panel are required in the Department and charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also:-

- (i) Homoeopathic pharmacopoeia (all volumes);
- (ii) Sources of drugs;
- (iii) Homoeopathic Pharmaceutical Codex;
- (iv) Standardisation of drugs – organoleptic evaluation;
- (v) Standardisation of drugs – microscopic evaluation;
- (vi) Standardisation of drugs – physical evaluation;
- (vii) Standardisation of drugs – chemical evaluation;
- (viii) Standardisation of drugs – biological evaluation;
- (ix) Preservation of drugs and potencies;
- (x) Vehicle – solid vehicle;
- (xi) Vehicle – liquid vehicle;
- (xii) Vehicle – semi solid vehicle;
- (xiii) Preparation of homoeopathic drugs – Hahnemannian method;
- (xiv) Preparation of homoeopathic drugs – new method;

- (xv) Scales of potentisation;
  - (xvi) Methods of potentisation;
  - (xvii) Principles of posology;
  - (xviii) Prescription writing;
  - (xix) Pharmaconomy;
  - (xx) Various types of external applications;
  - (xxi) Hahnemannian drug proving;
  - (xxii) Homoeopathic pathogenetic trial;
  - (xxiii) Phytoconstituents;
  - (xxiv) Homoeopathic pharmacy Acts and rules;
  - (xxv) Various types of drug actions;
  - (xxvi) Indian medicines and their local names.
- (g) Herbarium: 20.
- (h) Laminated photos of drug sources should be as per detail given below: -
- (i) Vegetable kingdom;
  - (ii) Animal kingdom;
  - (iii) Mineral kingdom;
  - (iv) Nosodes;
  - (v) Sarcodes;
  - (vi) Imponderabilia;
  - (vii) Synthetic sources.
- (i) Models in Department should be as follows: -
- (i) Potentiser;
  - (ii) Triturator;
  - (iii) Globule making pan.
- (j) Total number of specimens required are as follows:-
- (i) Vegetable: a ) dry specimen-50;  
b) Fresh or wet specimen-20;
  - (ii) Animal - 10;
  - (iii) Chemical – 20.
- (k) Herbal garden should have following:-
- (i) No. of species planted-30;
  - (ii) Plants on pots -30;
  - (iii) Adequate irrigation facility and training.

#### (4) Department of Repertory and Case Taking

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: Seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -



TABLE

Sl.No	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi-tasking staff	01

(d) Requirements in Museum:- (i) The Department shall be equipped with ten computers which shall be upgraded to latest configuration from time to time with necessary accessories along with five different homoeopathic software packages consisting of different repertories like Kent, Boger Boenninghausen, Boericke, Phatak, Synthesis, Murphy and Complete Repertory.

(ii) Fifteen charts or digital display or standees or photo panel on repertory shall be provided on following topics. Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also:-

- (a) Evolution of repertories;
- (b) Definition of repertory, its need and uses;
- (c) Classification of repertories;
- (d) Process of cross repertorization;
- (e) Boenninghausen evaluation order of symptoms or approach;
- (f) Kent's evaluation order of symptoms or approach;
- (g) Boger's evaluation order of symptoms or approach;
- (h) Kent's repertory editions;
- (i) Card repertories;
- (j) Repertorial syndrome and potential differential field;
- (k) Conceptual image;
- (l) Regional repertories;
- (m) Repertory software;
- (n) Analysis and evaluation of symptoms;
- (o) Case taking and repertory.

(e) Photograph of the following founder and contributors in the field of homoeopathy repertory mentioning the date of birth or death and brief sketch shall be displayed as per the following Table, namely: -

TABLE

S.No.	Name of Stalwart
1.	Dr. Samuel Hahnemann
2.	Dr. J.T.Kent
3.	Dr. C.V. Boenninghausen
4.	Dr. C.M.Boger
5.	Dr.G.H.Jahr
6.	Dr.S.R.Phatak
7.	Dr.Jugal Kishore

8.	Dr.Ramanlal P Patel
9.	Dr. Frederik Schroyens
10.	Dr. Roger van Zandvoort
11.	Dr. Robin Murphy
12.	Dr.D.P.Rastogi
13.	Local or regional homoeopaths of reputation

**(5) Department of Human Anatomy**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, dissection hall, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters;
- (b) License shall be as per the Extant provisions of the applicable laws;
- (c) Staff qualification shall be as per the Third Schedule;
- (d) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

**TABLE**

Sl. No.	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Laboratory Attendant	01
5.	Cadaver Assistant	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

- (e) There shall be well ventilated dissection hall with wash basin and storage for cadaver in every medical institution.
- (f) Requirements in museum: Department shall have models, specimens, bone set, articulated skeletons, histology and embryology models or slide for demonstration -
- (i) No. of models- 20;
  - (ii) No. of charts or Digital display or standees or photopanel-30 (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also);
  - (iii) Histology slides- 50;
  - (iv) Soft part of all viscera- system wise- 25;
  - (v) Bones -
    - (a) Complete bone set – 06 ( 3 male and 3 female);
    - (b) Articulated & dis-articulated skeletons – 02;
  - (vi) Sample of x—ray films, Computed Tomography scan, Magnetic Resonance Imaging, Ultrasonography reports for applied anatomy – 25;
  - (vii) Journal: (a) Histology journal- details of all histology slides and organ slides;
  - (b) Gross anatomy journal.
- (g) List of equipment required for anatomy lab shall be as per Appendix – 2

**(6) Department of Human Physiology and Biochemistry**

- (a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.

- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

**TABLE**

Sl. No.	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Laboratory Attendant	01
5.	Laboratory Technician	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

- (d) List of equipment required for physiology lab shall be as per Appendix -3.
- (e) List of equipment required for biochemistry lab shall be as per Appendix -4.

**(7) Department of Forensic Medicine and Toxicology**

- (a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library : Seventy five square meters
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

**TABLE**

Sl.No	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor or Associate Professor	01
2.	Assistant Professor	01
<b>Non-teaching staff</b>		
3.	Multi- Tasking Staff	01

- (d) Requirements in museum:-

- (i) Models of the following, namely:-
- Vertical section of tooth;
  - Hair root;
  - Patterns of fingerprints;
  - Cadaveric spasm;
  - Marbling sign;
  - Patterned abrasion;
  - Color changes in bruise;

- (h) Laceration;
  - (i) Incised wound;
  - (j) Chop wound;
  - (k) Stab wound;
  - (l) Wound of entry and wound of exit;
  - (m) Coup and countercoup injuries;
  - (n) Intracranial haemorrhage;
  - (o) Fix knot and slip knot;
- (ii) Charts or Digital display or standee or photo panel and certificate formats (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A 4 size sheet also) of the following, namely:-
- (a) Purpose or objects of autopsy;
  - (b) Rules of autopsy;
  - (c) Autopsy report format;
  - (d) Signs of death- immediate, early, late;
  - (e) Rigor mortis- onset and duration;
  - (f) Medical certificate and reports intimation to police;
  - (g) Accident register format;
  - (h) Wound certificate;
  - (i) Age estimation format;
  - (j) Age certificate;
  - (k) Examination of rape victim;
  - (l) Examination of accused of rape or sodomy;
  - (m) Performa for examination of potency or impotency of male;
  - (n) Certificate of potency or impotency of female;
  - (o) Duties of medical practitioner in medico-legal cases.
- (e) Toxicological specimens: 35 (as per syllabus)
  - (f) Weapons (blunt, sharp and pointed) : 20
  - (g) The sufficient copies of the relevant Acts and regulations to be kept in every medical institutions.
  - (h) List of equipment for forensic medicine and toxicology lab shall be as per Appendix -5.
  - (i) Records of students visit to district courts and hospitals to observe court proceedings and postmortem.

**(8) Department of Pathology and Microbiology**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely:

**TABLE**

Sl.No	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01

<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Lab technician	01
5.	Lab attendant	01
6.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

- (i) Histopathology slides – 25;
- (ii) Models – 20.

(e) List of equipment for pathology and microbiology lab shall be as per Appendix-6.

**(9) Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: One hundred square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

**TABLE**

Sl.No	Post	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
<b>Non – teaching staff</b>		
4.	Statistical Assistant	01
5.	Multi- Tasking staff	01

(d) Requirements in museum:- (i) Models of the following, namely:-

- (a) Slow sand model;
- (b) Rapid sand model;
- (c) Sanitary well model;
- (d) Insanitary well model;
- (e) Research cum action latrine model;
- (f) Septic tank latrine model;
- (g) Life cycle of 4 types of mosquito model;
- (h) Life cycle of malaria parasite model;
- (i) Life cycle of filaria model;
- (j) Smokeless chullah;
- (k) Life cycle of important Helminthes;
- (l) Ideal well model.

(ii) Chart or Digital display or standee or photo panel and diagrams (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheetalso) of the following, namely:-

- (a) Concept of health and disease;
- (b) Epidemiology of communicable diseases;

- (c) Immunization and immunization schedule;
- (d) Homoeoprophylaxis;
- (e) Demography and family planning;
- (f) Health information and biostatistics;
- (g) Non-communicable disease;
- (h) Information, education, communication and counselling;
- (i) Diet, nutrition and nutritional problems and programme;
- (j) National health programmes;
- (k) International health agencies;
- (l) Noise, light, radiation and meteorology;
- (m) Environmental sanitation, latrine;
- (n) Water and sewage treatment;
- (o) Bio-medical waste management;
- (p) Wand washing, standard precaution, personal protective equipment;
- (q) Medical entomology;
- (r) Occupational health;
- (s) Smoking, alcoholism & drug addiction;
- (t) Health administration and health care delivery system;
- (u) Energy requirement and energy utilization;
- (v) Important days and weeks of public health;
- (w) Screening of diseases;
- (x) Other material concerning communicable diseases, diet, prophylactics, National health programmes.
- (y) Research Methodology and Biostatistics charts or Digital display or standees or photo panel of the following, namely:-
  - (i) Care guidelines check list;
  - (ii) International standards for clinical trial registries;
  - (iii) Clinical study reports;
  - (iv) Good clinical practices;
  - (v) Pharmacovigilance.

(iii) Statistical software.

(iv) The following visit required for homoeopathic undergraduate students and proper record of each visit shall be maintained, namely:-

- (a) Water treatment plant;
- (b) Milk pasteurisation plant;
- (c) Primary health center;
- (d) Sub-center or anganwadi center;
- (e) Old age home;
- (f) Industrial units;
- (g) Infectious disease Hospital;
- (h) Health mela or health check-up camp;
- (i) Rehab center for physical and mental disabilities;
- (j) Mental health facility including remand home, asylum, child care centers.

- (e) List of equipment in Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics shall be as per Appendix-7.

**(10) Department of Surgery**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library: Seventy five square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

**TABLE NO**

<b>Sl. No</b>	<b>Designation</b>	<b>Number required</b>
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi- Tasking Staff	01

- (d) Requirements in museum:- (i) Charts or Digital display or standees or photo panel (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also) of the following, namely:-
- (a) Differential diagnosis of swelling or examination of swelling;
  - (b) Types of ulcer or classification of ulcer;
  - (c) Tumor classification;
  - (d) Hernia classification;
  - (e) Types of injury;
  - (f) Sinus and fistula;
  - (g) Classification of burns and Rule of Nine in burns;
  - (h) Types of hemorrhage;
  - (i) Varicose vein;
  - (j) Types of shock;
  - (k) Peptic ulcer;
  - (l) Acute appendicitis;
  - (m) Acute pancreatitis;
  - (n) Acute intestinal obstruction;
  - (o) Acute cholecystitis with cholelithiasis;
  - (p) Differential diagnosis of acute abdomen;
  - (q) Causes of abdominal pain according to the region of abdomen;
  - (r) Renal stone types;
  - (s) Remedies of renal stone;
  - (t) Inguinoscrotal swelling types;
  - (u) Types of fracture;
  - (v) Remedies of injuries;
  - (w) Glasgow's coma scale;

- (x) Types of neck swelling;
- (y) Instruments in surgery.
- (ii) The following list of specimen, namely:-
  - (a) Lipoma;
  - (b) Cyst;
  - (c) Corn;
  - (d) Transurethral resection of the prostate;
  - (e) Cholecystectomy;
  - (f) Appendix;
  - (g) Ganglion;
  - (h) Renal stones treated by homoeopathy;
  - (i) Bladder stone;
  - (j) X-ray of fracture;
  - (k) X-ray of Intestinal Obstruction, Sinusitis, Osteoarthritis Knee, Spondylosis and Spondylolisthesis;
  - (l) X-ray of pneumonia, Emphysema and Bronchiectasis.

(e) List of instruments for the demonstration to students in Department of Surgery shall be as per Appendix -8.

**(11) Department of Gynecology and Obstetrics**

- (a) Space for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and Departmental library = Seventy five square meters.
- (b) Staff qualification as per Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following table, namely: -

**TABLE**

Sl.No	Designation	Number required
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	01
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi- Tasking Staff	01

(d) Requirements in museum:-

- (i) List of instruments required in Department of Gynecology and Obstetrics shall be as per Appendix-9.
- (ii) Specimen required in the department are as detailed below, namely: -

**TABLE**

S.No.	Specimen	No. required
1.	Normal uterus with cervix	01
2.	Placenta with foetal membranes	01
3.	Uterine fibroid	01
4.	Simple ovarian cyst	01



5.	Chocolate cyst	01
6.	Abortus	01

(iii) Models required in the department are as detailed below, namely:-

**TABLE**

S.No.	Model	No. required
1.	Dummy pelvis	01
2.	Dummy baby	01
3.	Labor maneuver	01
4.	Foetal skull	01

**(12) Department of Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology**

- (a) Space required for teachers and supporting staff, demonstration room, laboratories, museum and departmental library : Seventy five square meters  
 (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.  
 (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

**TABLE**

Sl. No	Designation	Numberrequired
<b>Teaching staff</b>		
1.	Professor	01
2.	Associate Professor	01
3.	Assistant Professor	02
<b>Non-teaching staff</b>		
4.	Multi- Tasking Staff	01

*A separate visiting faculty with a minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in Schedule III shall be engaged for teaching of essentials of pharmacology.*

- (d) **Requirements in museum :-** (i) Charts or digital display or standees or photo panels (Charts shall be prepared by the students and record to be maintained in A4 size sheet also) of the following, namely:-
- Causes of breathlessness;
  - Types of murmur and associated clinical conditions;
  - Non-abdominal elements of Gastro intestinal examination;
  - Abnormal auscultation sounds in Gastro intestinal examination;
  - Glasgow coma scale;
  - Types of gait;
  - The cardiovascular system examination;
  - The respiratory system examination;
  - The abdominal examination;
  - The genitourinary system examination;
  - The nervous system examination;
  - Clinical examination in blood disorders;
  - Endocrine system examination;

- (n) Normal hematological and biochemical values;
  - (o) Pulmonary function test study chart.
- (ii) Models of the following, namely:-
- (a) Lung volumes;
  - (b) Nail diseases;
  - (c) Edema – types;
  - (d) Cardiac valves – and murmurs;
  - (e) Respiratory pathologies – differentiation;
  - (f) Breath sounds –normal and abnormal;
  - (g) Added sounds – pathologies;
  - (h) Trachea – shifting, causes and differentiation;
  - (i) Circle of Willis – pathologic association with cerebral blood vessels and differentiation;
  - (j) Nephrotic and nephritic syndrome – clinical differentiation;
  - (k) Right heart failure v/s left heart failure.
- (iii) X-ray films of the following, namely:-
- (a) Chest
    - (i) Normal chest;
    - (ii) Interstitial lung disease;
    - (iii) Atelectasis of lung;
    - (iv) Segmental and lobar opacities of lung;
    - (v) Multifocal ill-defined opacities;
    - (vi) Diffuse fine nodular opacities;
    - (vii) Nodules and masses in lung;
    - (viii) Solitary or multiple lucent lesions of lung;
    - (ix) Pneumothorax;
    - (x) Pleural effusion or hemothorax or empyema;
    - (xi) Emphysema;
    - (xii) Cardiomegaly.
  - (b) Abdomen
    - (i) Intraperitoneal air;
    - (ii) Bowel obstruction;
    - (iii) Stones;
    - (iv) Pancreatic calcifications.
  - (c) Intravenous pyelogram
  - (d) Cervical spine and lumbar spine
  - (e) Knee and ankle
- (iv) Computed Tomography scan of the head:-
- (a) Haemorrhage – intra-parenchymal, subarachnoid, subdural, epidural;
  - (b) Trauma;
  - (c) Stroke – ischemic, haemorrhage;
  - (d) Mass effect;
  - (e) Hydrocephalus.
- (v) Computed Tomography scan of chest and thorax
- (vi) Reports:-

- (a) Endoscopy report;
- (b) Colonoscopy report.
- (vii) Instruments:-
  - (a) Forceps or adson;
  - (b) Forceps or brain tissue or forceps or debakey or sponge;
  - (c) Clamp or bulldog or crafoord or hemostat or Kelly;
  - (d) Tracheostomy tube;
  - (e) Ryles tube;
  - (f) Bone marrow biopsy needle;
  - (g) Liver biopsy needle;
  - (h) Red rubber catheter;
  - (i) Spirometer – hand held;
  - (j) Electrocardiogram machine.

### (13) Yoga for Health Promotion

A well-planned yoga Department shall be available in all the medical institution. This Department may be situated in college or hospital building.

- (a) Space for yoga instructor, supporting staff and equipment: forty square meters.
- (b) Staff qualification shall be as per the Third Schedule.
- (c) Teaching and non-teaching staff for the Department shall be required as per the following Table, namely: -

**TABLE**

Sl.No.	Designation	Required number
1.	Yoga instructor	02 (One male and one female)
2.	Multi-Tasking Staff	01

- (d) List of equipment required in Department of yoga for Health promotion shall be as per Appendix-10.

### C. Units. –

#### Medical Education Technology Unit

- (1) Space required for teachers and supporting staff : forty square meters.-

There shall be a medical education technology unit for faculty development and for providing teaching or learning resource material. The requirements of this unit shall be as specified in these regulations and by notification from time to time by the National Commission for Homoeopathy. Periodical training on technology used in teaching shall be imparted to the faculty by the medical institution or University. The certificate of participation of each faculty shall be documented in the unit for verification during inspection. Principal or director shall be the in-charge of the medical education technology unit. One of the professors, who has attended medical education technology workshop conducted by University or National Commission for Homoeopathy shall be appointed as coordinator. Principal shall co-opt one faculty from pre or para clinical Department, one from clinical Department and one from homoeopathic Department for a period of three years on rotation basis. Functions of the Department shall, inter alia, be as follows, namely:-

- (a) Curriculum planning and implementation of Competency Based Dynamic Curriculum as directed by the Commission;
- (b) Evaluation of teaching and training programme;
- (c) Conduct workshop for faculty in areas of medical education technology;
- (d) Conducting research in Medical Education.

- (2) List of equipment required in Medical Education Technology Unit shall be as per Appendix 11.

**D. Infrastructure requirements of the medical institutions: –****TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Built up area (In square meters)</b>
<i>(Applicable for students' intake up to one hundred and for students' intake from one hundred and one to one hundred and twenty five having ten percent reservation for economically weaker section seats)</i>		
1.	<b>Administrative area</b> This shall include principal room, reception, visitor's room, committee room, administration and account section, record room, server room for computer network, separate toilet for male and female on each floor of building.	<b>200</b>
2.	<b>Lecture halls–05</b> There shall be five lecture halls with facilities of electricity, fans and cooler or air conditioner (except colleges in the hilly areas) each having the area of not less than one hundred and twenty five square meter, with provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning.	<b>625</b>
3.	<b>Seminar or examination hall</b> A large hall with sitting capacity for minimum of three hundred students shall be made available within the college premises for conducting meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling and other allied activities. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system with internet facilities and air-conditioning.	<b>250</b>
4.	<b>Central library</b> (a) Library shall be air conditioned (except colleges in the hilly areas) with good lighting and adequate space for stocking the books and journals. (b) There shall be the provision for reading rooms with sitting capacity for at least eighty to one hundred students, reading room for faculty, separate reading room for post-graduate students, room for librarian and other staff, room for stocking old books, journals and other materials related to the library. (c) There shall be at least three thousand books on specified subjects with addition of two hundred books each year. The library shall have newspapers [one national (English) and one vernacular language] or newsletters and printed journal (specifically for the subjects to be taught) (d) A computer room with computer nodes for at least ten percent of the annual intake of students along with internet facilities. (e) There shall be facility of e-library or digital repository with book and periodicals and access to e-journal. (f) There shall be evidence for full annual subscription of minimum five journals including e-journal. (g) Library should be equipped with photocopy machine, printers and scanners. There must be regular posting of one librarian and one assistant librarian as per the qualifications mentioned in Third Schedule.	<b>200</b>
5.	<b>Teaching Department</b> There shall be thirteen teaching Department for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course and area wise requirement is as detailed below, namely:-	
<b>Name of the Department</b>		<b>Space required (In square meters.)</b>
(a)	Homoeopathic Materia Medica (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75

(b)	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy and Fundamentals of Psychology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(c)	Homoeopathic Pharmacy (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Laboratory with museum cum demonstration room	175
(d)	Homoeopathic Repertory and Case Taking (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Computer laboratory and demonstration room	75
(e)	Human Anatomy (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Well ventilated dissection hall with wash basin and storage for cadaver (iii) Museum with facility of histology demonstration	175
(f)	Human Physiology and Biochemistry (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Separate laboratories for hematology and biochemistry, (iii) Museum and demonstration room for clinical physiology	175
(g)	Forensic Medicine and Toxicology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(h)	Pathology and Microbiology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Laboratory with museum cum demonstration room	175
(i)	Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	100
(j)	Surgery (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(k)	Gynecology and Obstetrics (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(l)	Practice of Medicine with Essentials of Pharmacology (i) Room for teaching and supporting staff (ii) Museum cum demonstration room	75
(m)	Yoga for health promotion (i.) Room for yoga instructor and support staff	40
6.	Medical education technology unit	40
7.	Common rooms for boys and girls with adequate sitting arrangements and locker	60
8.	Canteen facility in the college premises	200
	<b>Total area</b>	<b>2940</b>

**Note:-** The space requirement in square meters shall not be made applicable for the colleges with sixty seats established prior to the date of notification of this regulation except the serial number 5(i), (m) and 6. However, all space requirements as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges with one hundred seats within the period of five years from the date of notification of this regulation except serial number 5 (i), (m) and 6 which should be fulfilled from the date of notification of this regulation along with all other facilities as mentioned above in table.

**E. Staff of the medical institution.** –(1) The Requirement of the Principal or Director or Dean shall be as follows namely:-

S.No.	Designation	Up to 100 admissions
1.	Principal or Director or Dean or Head of institution	01

**(2) Teaching staff:-**

(a) There shall be minimum teaching staff for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree course as specified in the Table below:-

**TABLE**

S.No.	Name of the Department	Up to 100 admissions		
		Professor	Associate professor	Assistant professor
1.	Homoeopathic Materia Medica	1	1	2
2.	Organon medicine Homoeopathic Philosophy Fundamentals	1	1	2
3.	Homoeopathic Pharmacy	1 Or 1		1
4.	Homoeopathic Repertory and Case Taking	1	1	2
5.	Human Anatomy	1	1	2
6.	Human Physiology and Biochemistry	1	1	2
7.	Forensic Medicine & Toxicology	1	Or 1	1
8.	Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics	1	1	1
9.	Pathology and Microbiology	1	1	1
10.	Surgery	1	1	1
11.	Gynecology and Obstetrics	1	1	1
12.	Practice Medicines of Essentials with Pharmacology of	1	1	2
<b>Total</b>		<b>40</b>		

**Note:** -The requirement of minimum teaching staff as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges within the period of one year from the date of notification of this regulation.

(3) The Teaching Staff of all Departments or subjects shall be full-time only and the following provisions shall be considered namely:-

- (a) Additional higher cadre faculty available in a Department shall be considered for the vacant lower cadre in the same Department;
- (b) Contract appointment on temporary basis shall be done against the vacant positions of teaching faculties due to deputation or lien, for the equivalent period of deputation or lien within a period of three months from the date of relieving of teaching or non-teaching staff on deputation or lien;
- (c) The responsibility of the Head of the Department shall be delegated essentially in rotational manner for a period not exceeding three years among the senior faculty of the concerned department but not below the level of Associate Professor;
- (d) A separate visiting faculty with a minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in the Third Schedule shall be engaged for teaching essentials of modern pharmacology;
- (e) A separate visiting faculty of the minimum designation of Assistant professor having qualifications as specified in Third Schedule shall be engaged for teaching of fundamentals of psychology;
- (f) For teaching yoga in context to Homoeopathy, a male and female yoga instructor shall be appointed on regular basis with qualifications as specified in these regulations in the Third Schedule;
- (g) One statistical assistant for the statistical work of the college and attached hospital shall be appointed to assist the teachers in the Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics with qualification as specified in these regulations;
- (h) Time bound career progression scheme with financial upgradation and designation for the full-time teaching and non-teaching staff who are stagnant for eight years or more in the same designation, shall be made available by the concerned authority and uploaded on the website of the Institution. The financial and designation upgradation shall be as per the table under (5) of clause (E) of the First Schedule of these regulations.
- (i) The appointment and promotion order shall contain the details of post, name of the Department, date of promotion, mode of appointment like full time or part time or visiting faculty and type of employment (regular or contractual) along with the term of appointment;
- (j) Faculty or staff shall be posted on contract or probation only for a period of one year or as per the extent State Government or Central Government rules. No teacher shall be eligible for regular posting unless he has satisfactorily completed his probation in the category in which he was appointed.

**Note.** - Staff Required For The Medical Institution And Hospital Must Be Notified To The Commission Every Year. In Case Of Resignation Or Removal Of Any Staff From The Institution, The Same Must Be Notified And Intimated Along With Proper Documents To The Commission. New Appointment Made Thereafter By The Institution Shall Be Informed To The Commission Within A Period Of Three Weeks From The Date Of Appointment.

**(4) Practicing consultant of Modern medicine or Homoeopathy:-**

- (a) To ensure the exposure of students to experienced professional, it is essential to provide adequate number of practicing consultants as visiting faculty from modern medicine and Homoeopathy. This will be in-addition to the staff required for the hospital and college;
- (b) This visiting faculty, however, shall not be counted for the faculty requirement laid down in these regulations;
- (c) Specialists from modern medicine and Homoeopathy for experience sharing and discussion, diagnosis and management of doubtful and difficult cases, shall be appointed in the medical institution;
- (d) Documentary evidences such as attendance and feedback from the students shall be kept in Department of practice of medicine;
- (e) The medical institution shall appoint practicing consultant with proven clinical repute from modern medicine having post-graduate medical qualification or Diplomate of National Board or Diploma in Child Health or Diploma in Dermatology, Venereology and Leprosy as recognised by National Medical Commission in the subject concerned along with the professional experience of not less than twenty years. While for Homoeopathy, professional experience of not less than fifteen years for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery degree holder and not less than ten years for M.D.

(Hom.) degree holder as recognised by the National Commission for Homoeopathy;

- (f) The practicing consultant shall be from Homoeopathy and specialties such as cardiology, pediatrics, psychiatry, radiology, ophthalmology, rheumatology, pain palliative care, geriatrics, dermatology, nephrology, general medicine, neurology, gynecology, obstetrics, emergency medicine and critical care, surgery, dentistry, physiotherapy:

Provided that arrangements shall be made for minimum of four different types of lectures or interactive sessions from the above-mentioned subjects every month. A record of such interactions and students' participation is to be maintained.

**(5) Salary of teaching and non-teaching staffs:-**

- (a) For the teaching and non-teaching staff of Government or Government aided institution or Government autonomous institution or Government University or self-financing medical institution including Central, Private, deemed University or State Private, deemed to be University, salary and allowances including non-practicing allowance shall be paid as specified in tables below respectively and there shall not be any discrepancy of salary structure between medical systems. Teachers and non-teaching medical officers who are paid non-practicing allowance shall not do clinical practice during non – college hours.

**TABLE (For teaching staff)**

S.No.	Post	Pay scale
1.	Assistant Professor	level-10 in pay matrix (56,100-1,77,500).
2.	Associate Professor	level-12 in pay matrix (78,800-2,09,200).
3.	Professor	level-13 in pay matrix (1,23,100-2,15,900).
4.	Principal or Head of the institution	level-13A in pay matrix (1,31,100-2,16,600).

- (i) Note : The Librarian shall be considered under the teaching faculty cadre as defined by the University Grant Commission. It is essential for every self-financing medical institution including Central, Private, deemed University or State Private, deemed to be University to provide at least basic pay mentioned in the above cited table for the respective teaching cadre. This shall be the minimum specified salary and not be restrictive for higher salary structure if already being paid. However, all applicable allowances may be paid as per respective employer's policy and annual increment with respect to the year of experience to the concerned cadre or post.

**TABLE (For Non-Teaching Staff)**

Post	Pay Scale
Lab Attendant, Lab Technician, Library Assistant, Office superintendent, Accountant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Data Entry Operator, Pharmacist, X-ray technician and attendant, Nursing staff, Storekeeper, Receptionist, Dresser, Office assistant /Multi- Tasking Staff and Ward boys or Aya	Salary of non-teaching staff of medical institution and hospital shall not be less than minimum wages as specified by the respective State or Central Government for skilled and non-skilled manpower.

- (b) Corresponding pay structure as applicable be adopted as and when the Central Pay Commission revise pay scales.
- (c) Salary of Resident medical officer in collegiate hospital shall not be less than Rs.55000/- per month and that of senior medical officer shall not be less than the Rs.65000/- per month.
- (d) The salary shall be credited to the salary account through bank transfer from the dedicated account of the medical institution to the teachers and all other staff. Necessary facilities such as provident fund or employees state insurance, gratuity, encashment of leaves and such others shall be provided by the medical institution and income tax deduction certificate such as form 16 or 16A shall be issued by the college to the teacher as per the prevailing norms.

**Note:** Principal shall be the signing authority or one of the signing authorities for the operation of bank account of medical institution.



- (6) **Age Of Superannuation Of Teaching And Non-Teaching Staff .** – (A) The Age of Superannuation of Teaching and Non-Teaching Staff Shall Be As Per The order of The Central Government or State Government or Union Territory Administration. Retired Teachers, Fulfilling The Eligibility Norms of Teachers May Be Re-Employed Upto the age of Sixty-Five Year As Full Time Teacher. However, Such Re-Employed Teachers Shall Not Be Given Any Administrative Charge.
- (b) From The Age of Sixty-Five Year And Till The age of Sixty-Seven Year, Teachers Can Be Re-Employed For The Post-Graduate Teaching. They However, Should Full-Fill The qualifications Required as per the Designation Mentioned In Third Schedule.
- (7) **Unique Teacher's Code.** – (a) A Unique Teacher's Code For All Eligible Teachers Shall Be Allotted By The Commission After Their Appointment In The College Through An Online Faculty Management System On Application Within Fifteen Working Days. This Shall Be Continuously Monitored Through The Online Faculty Management System;
- (b) Concerned faculty shall update profile in the online teacher management system from time to time with respect to change in their status and qualification, designation, posting and superannuation and such other details;
- (c) The commission shall have the power to withdraw or suspend or withhold or cancel teacher's code on ethical and disciplinary grounds or if the teacher discontinued the teaching or not joined to any institution for any reason or on superannuation or on demise or on such other similar or other related events. If discontinued, he may rejoin the teaching profession with the same teacher's code after making fresh application to the National Commission for Homoeopathy.
- (8) **Technical, Administrative And Supporting Staff:** (1) The Technical And Other Staff In Various Departments And Units Of The Medical Institutions Shall Be As Per The Following Table, Namely:-

TABLE

Sl. No.	Department	Staff (Technical and Non-technical)	No. Required
1.	Anatomy	Laboratory attendant	1
		Cadaver assistant	1
2.	Physiology including biochemistry	Laboratory technician	1
		laboratory attendant	1
3.	Homoeopathic Pharmacy	Laboratory attendant	1
4.	Pathology and microbiology	Laboratory technician	1
		Lab attendant	1
5.	Library	Librarian	1
		Library assistant	1
6.	Administrative staff	Office superintendent	1
		Accountant	1
		Upper Division Clerk	1
		Lower Division Clerk	1
		Data entry operator	1
		Multi- Tasking Staff in admin section	02
7.	Multi- Tasking Staff	In all the departments	13

2. The medical institution shall provide adequate supportive staff in each of the Department, laboratory, library, museum and administrative section. The watch and ward duty, transport and sanitation shall be provided by the medical institution from outsourcing or by appointment, as the case may be.

**THE SECOND SCHEDULE**

[(See clauses (a) and (b) of regulation 5 and clause (a) of regulation 9)]

**Requirement of Homoeopathic Collegiate Hospital****A. General**

- (1) At the time of submission of application to the medical assessment and rating board under the National Commission for Homoeopathy for grant of permission for establishment of medical institution for course not below the graduate degree or Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course, there shall be a fully functional hospital having valid registration with state health authority, existing for at least one year with all necessary infrastructure like out-patient Department, indoor wards, operation theaters, laboratories etc. as specified under these regulations. Registration certificate from pollution control board shall be obtained.
- (2) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or Local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission or clearance to the National Commission for Homoeopathy. The concerned State Government or Union territory Administration shall verify the availability of such permission or clearance with one year validity before issuing the no objection certificate to such applicant medical institution.
- (3) All Teaching Homoeopathic Hospital Shall Have To Apply For National Accreditation Board For Hospitals Accreditation Within A Period of one Year of Notification of These Regulations In Official Gazette. The Hospital Shall obtain Entry Level Certificate Within A Period of one Year of Registration And Full Accreditation Within Two Years After obtaining Entry Level Certification.
- (4) Out-Patient Department Shall Have Adequate Reception And Patient Waiting Area, Consultation Or Examination Room. A First-Aid Kit Also Be Kept In Outdoor Department.
  - (a) Furniture or Fixture or Equipment Requirements: - For out-patient Department, furniture or equipment shall be as per Appendix- 12
  - (b) Peripheral out-patient Department:-
    - (i) Teaching hospitals may establish maximum of ten peripheral Out-patient Departments within the range of ten to twenty-five kilometers from main hospital to provide effective affordable health care services to the peripheral population, clinical exposure to the students and to function as a secondary level referral center for the teaching hospital.
    - (ii) Information on daily Central out-patient Department and number of referrals from peripheral out-patient Department shall be recorded in register and case records are to be maintained and clubbed with record of out-patient Departments in the collegiate hospital.
    - (iii) Other requirements and staff from the collegiate hospital shall be utilised for the functioning of peripheral out-patient Department. Agreement with respect to space allotted for peripheral out-patient Departments, own or leased must be made available. Record showing functionality of minimum one year shall be maintained. Documents related to possession of building and out-patient Department or in-patient Department data shall be maintained.
- (5) The Hospital Shall Be Suitably Spacious To Accommodate Out-Patient Department And In-Patient Department In Addition To Reception, Patients, Waiting Area, Dispensing Room, Dressing Room, Clinical Laboratory, Radiology Section, Medical Record-Room, Operation Theatre, Labor Room, Store Room, Separate Wards For Male And Female, Duty Rooms For Doctors, Nurses, Other Staffs And Clinical Teaching Room Required For A Functional Hospital And The Specification Of Built-Up Area In The Attached Hospital Shall Be As Specified In These Regulations.
- (6) The Medical Institution And Hospital Shall Maintain Computerised Central Registration System For Maintaining The Records Of Patients In Out-Patient Department And In-Patient Department, And Shall Also Maintain The Department Wise Out-Patient Department And In-Patient Department Records, Case Papers Of Out-Patient Department And In-Patient Department Patients, Laboratory And Radiological Investigation Reports, Medicine Dispensing Register, Diet Register For In-Patient Department Patients, Duty Roster Of Hospital Staff, Birth And Death Certificates, And Other Such Related Documents To Substantiate The Claim Of Genuine Functional Homoeopathic Teaching Hospital Fulfilling The Norms As Specified In These Regulations.
- (7) Medical Record Management And Disposal.- (A) Mandatory Information To Be Recorded And Maintained As Per The Extant Rules Or Regulations Or Law Of The State Government Or Central Government Or The Union Territory Administration, As Applicable.

- (b) Medical Records Of Indoor Patients May Be Stored In Digitised Form For At Least Past Ten Years Or As Per Availability. For Future, All Medical Records Of Indoor Patients Should Be Digitised On Regular And Continuous Basis And Kept Indefinitely For Future References Since It Contains Valuable Data Which May Be Required For Research And Policy Planning Purposes.
- (c) The Hospital May Store Medical Records In Hard Copy Form As Mentioned Below, Namely:-
- (i) In- patient's medical records, (that is, Case sheets etc.) - five years;
  - (ii) Out-patient Department records (OPD registers and duplicate OPD record if any) - five years;
  - (iii) Medico legal registers and case sheets - ten years or till the disposal of ongoing cases in any of the court related to these records.
- (8) (A) In Case An Attached Hospital Of A Colleges Does Not Have The Facilities To Handle Critical Cases In The Operation Theatre, For The Purpose Of Exposure Of The Students In The Clinical Field And To Understand The Depth Of Operative Surgery And Operative Gynecology And Obstetrics As Well As Management In Critical And Surgical Cases, A College Shall Have A Memorandum Of Understanding, Signed Between Medical Superintendent Of Both The Hospitals, With A Reputed Nearby Located Multi-Specialty Hospital Of Modern Medicine Having All Required Facilities Namely:-
- (i) Operation Theatre, Labor Room, Intensive Care Unit And Other Required Facilities For The Management Of Emergency Cases And Critical Patients;
  - (ii) All Radiological (Including Computed Tomography Scan, Magnetic Resonance Imaging, Ultrasonography) And Advanced Laboratory Investigation Facilities;
  - (iii) Hospital With Whom Memorandum Of Understanding Is Signed Shall Be Accredited National Accreditation Board Of Hospitals.
- (B) Students of medical institution shall be deputed under the strict supervision of concerned teaching faculty of the college for the required exposure in the said field to the attached multi-specialty hospital. Proper attendance record of visit of students shall be maintained.
- (9) In-Patient Department: -
- (A) Wards and rooms for in-patient Department:-
- (i) general Medicine (Male And Female Ward Separately);
  - (ii) Pediatrics;
  - (iii) Surgery (Male And Female Ward Separately);
  - (iv) Obstetrics And Gynecology;
  - (v) Toilets And Bathroom (Separate For Male And Female);
  - (vi) Doctors' Duty Room;
  - (vii) Nursing Stations Or Duty Room For Nurses;
  - (viii) Pharmacy With Essential Medicines;
  - (ix) Record Room.
- (B) (i) First-aid kit shall be available in In-patient Department. The In-patient Department (IPD) of the hospital shall have separate male and female wards, and distribution of beds shall be as specified in the Table below, namely :-

TABLE

Wards	Distribution of beds in In-patient department
General medicine	50% (Acute 10% and chronic 40%)
Surgery	20%
Obstetrics and Gynecology	20%
Pediatrics	10%

- (ii) Furniture or fixture requirements for In-patient Department shall be as per Appendix – 13
- (iii) Equipment or instruments for In-patient Department (IPD) shall be as per Appendix-14
- (10) (A) The Requirement Of Number Of Beds, And Minimum Out-Patient Department Attendance Shall Be As Mentioned In The Table Below For Bachelor Of Homoeopathic Medicine And Surgery Course, Namely:-

TABLE

Intake capacity per year	Minimum number of beds in in- patient Department	Minimum per day average number of patients in out- patient Department during last one calendar year (300days)
Up to 60 students	30	180
61-100 students	50	300

- (B) Bed occupancy rate in In-patient Department during last one calendar year shall not be less than fifty per cent.

**NOTE:** -Relaxation of out-patient Department and In-patient Department up to ten per cent. for medical institution in hilly areas and notified tribal areas shall be provided.

- (11) (A) THE HOMOEOPATHIC TEACHING HOSPITAL SHALL HAVE WELL-FURNISHED SEPARATE DISPENSARIES FOR ITS OUT-DOOR AND IN-DOOR DEPARTMENTS CONTAINING SUFFICIENT STOCK OF MEDICINE.

- (B) The location of central pharmacy should be adjacent to out-patient Department on the groundfloor of collegiate hospital. There should be sufficient space for patients to sit and should contain educative posters on health, hygiene and offer literature for reading.

- (C) Minimum staff requirement shall be as mentioned below:-

- (i) Pharmacist: 01;
- (ii) Dispenser: 02.

Qualification of above staff shall be as per Third Schedule.

- (D) Infrastructure requirements and equipment:-

- (i) suitable space for medicating and dispensing medicines;
- (ii) provisions for water supply;
- (iii) suitable space for washing bottles;
- (iv) counter for dispensary;
- (v) facilities required for store and dispensaries;
- (vi) waste receptacle.

- (E) Standard operating procedure for quality assurance shall be maintained.

- (12) (A) Collegiate hospital shall have dedicated emergency room with adequate man power. It should preferably have a distinct entry independent of out-patient Department main entry so that a minimum time is lost in giving immediate treatment to casualties arriving in the hospital. There should be an easy ambulance approach with adequate space for free passage of vehicles and covered area for alighting of patients. Signage of emergency must be displayed at the entry of the hospital. Separate emergency beds must be provided.

Emergency unit to have all basic instruments required for examination of patient which shall include torch, thermometer, tongue depressor, knee hammer, B.P. apparatus, nebulizer glucometer, pulse oxymeter, needles, syringe, suturing material, scalpel, ryles tube, I.V. set, oxygen cylinder, mask with kit for inhalation and suction machine.

- (B) Emergency unit shall be managed under the supervision of General Physician having qualification as specified in the Third Schedule. Duty roaster for doctors and nurses shall be displayed and maintained.

- (C) Emergency Equipment shall be as per Appendix-15.

- (D) Drugs segment includes the minimum essential drug which needs to be maintained in the facility.

- (i) Anesthetics drugs shall be as per Appendix-16.
- (ii) Emergency drugs shall be as per Appendix-17.

## (13) Central Laboratories:-

(A) There shall be well equipped and updated central laboratory with proper infrastructure and as specified in these regulations for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigation on the patients referred from outdoor and indoor Department of the hospital. This laboratory in the collegiate hospital shall be accredited with National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hospital shall essentially have X-ray, E.C.G. facility. Hospital should also have facility of scanning and sonography equipment either in its own hospital or under Memorandum of Understanding with National Accreditation Board for Laboratories accredited Superspeciality hospital located in nearby area.

(B) Records of patients shall be maintained.

(C) List of equipment in lab shall be as per Appendix 18.

(14) Clinical Teaching Room.- The collegiate hospital shall have teaching room for each of the clinical departments for clinical cases discussions or demonstrations. The purpose of the clinical room is to provide practical experience for the students so that students acclimatise to clinical environments, develop professionally, interact with patients with more confidence, develop self- reflection and appraisal skills.

## (15) Skill Laboratory -

(A) Every homoeopathic teaching hospital shall have a skill laboratory where students can practice and improve skills pre-specified in the curriculum. The purpose of skill laboratory is to provide a safe and non-threatening environment for students to learn, practice and be observed performing skills thus mitigating the risks involved in direct patient exposure without adequate preparation and supervision. The skill laboratory attempts to recreate the clinical environment and tasks which future health care workers have to perform.

(B) Skill Laboratory shall have: -

(i) room for demonstration of skills to small groups;

(ii) room for faculty coordinator and supporting staff;

(iii) adequate space for storage of dummy or other equipment or instruments like suturing material, needle, syringe, intravenous sets, plastering moulds, various types of catheters, enema, ryles tube and such others;

(iv) facility for video recording and review of the interaction for teaching communication skills;

(v) general physician attached to collegiate hospital or staff having completed course in emergency medicine and adequate supporting staff;

(vi) the teaching areas of the skill lab shall have provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning;

(vii) Trainer simulator or models or dummy for:-

(a) First aid, Bandaging, splinting;

(b) Basic Life Support, Cardio Pulmonary Resuscitation;

(c) Various type of injections- Subcutaneous, Intra-muscular, Intra-venous;

(d) Urine Catheter insertion;

(e) Skin and Fascia suturing;

(f) Breast examination model;

(g) Gynecological examination model including Intra Uterine Contraceptive Device Training model.

(16) A Well-Equipped And Functioning Operation Theatre And Labor Room Shall Be Provided For Day ToDay Working.

(A) Equipment Requirements for Operation theater shall be as per Appendix-19

(B) Equipment Requirements for Anesthesia shall be as per Appendix-20

(17) (A) Hospital Shall Have A Separate Unit For Rehabilitation Including Physiotherapy And Yoga In The Hospital Premises. Twenty-Five Yoga Mats Shall Be Kept In The Collegiate Hospital. Posters And Charts On Yoga *Asanas* Need To Be Displayed In The Hospital. Register Of Yoga Sessions Conducted For Students And Patients Shall Be Maintained. Same Shall Be Periodically Verified By The Superintendent Of The Hospital. Students Shall Be Given Minimum One Hour Training (Year Wise) In Yoga Once In A Week.

(B) Equipment or instruments for physiotherapy unit shall be as specified below:-

- (i) Diathermy machine -01;
  - (ii) Traction(cervical and lumbar)-01;
  - (iii) Physiotherapy cycle-01;
  - (iv) Ultrasound equipment-01;
  - (v) Interferential therapy machine-01;
  - (vi) Transcutaneous Electrical nerve Stimulaion-01;
  - (vii) Treatment Table- 01.
- (18) Imaging Equipment Shall Be As Per Appendix-21
- (19) Ambulance Shall Be Provided Essentially As A Part And Parcel Of Hospital Facilities. Basic Life Support Ambulance For Management Of Emergency Cases Shall Be Available With The Hospital To Transfer The Patients To The Referral Hospitals.
- (20) All the hospitals with multi story building should have a stretcher lift located on appropriate place.
- (21) Ramp shall be available for patients with disability.
- (22) Wheel chair and stretchers shall be available in the porch or visiting area.
- (23) The following registers are to be maintained in the hospital Department and laboratory (Central laboratory, SkillLab, Pharmacy, Clinical teaching room), namely:-
- (a) dead stock register;
  - (b) equipment or instruments register;
  - (c) indent register;
  - (d) chemicals or solutions register;
  - (e) breakage register;
  - (f) medicines store register;
  - (g) medicine dispensing register;
  - (h) attendance register.

## B. INFRASTRUCTURE REQUIREMENT

The hospital shall have built up area and infrastructure as given in Table below:-

**TABLE**

S.No.	Particulars	Built up area (in sq.mt.)
		Up to 100 (from 101 to 125*) students intake
1.	<b>Hospital administration block</b>	100
	(a) rooms for :	
	(i) Superintendent (ii) Public relation officer (iii) Deputy medical superintendent (iv) Staff nurse	
	(b) reception and registration	
2.	<b>Out-patient department</b>	220

(a)	(i) General Medicine (ii) Gynecology and obstetrics (iii) Surgery (iv) Pediatrics and child health	
(b)	(i) Dressing room (ii) Pharmacy store (iii) Waiting area for patient	
3.	<b>Clinical teaching room:</b> 04(thirty square meter area for each room)	120
4.	<b>Skill Laboratory</b>	100
5.	<b>In-patient department</b> (i) General medicine (male and female ward/ bed separately) (ii) Pediatrics (iii) Surgery (male and female ward separately) (iv) Obstetrics and Gynecology (v) Toilets and bathroom (separate for male and female) (vi) Doctors duty room (vii) Nursing stations or duty room for nurses (viii) Pharmacy (ix) Record room	450
6.	<b>Operation theatre unit</b> (i) Operation theatre (ii) Preparation room (iii) Post operative recovery room (iv) Space for sterilized linen (v) Labor room (vi) Room for surgeon or obstetrician or assistants (vii) Nursing staff room	100
7.	<b>Rehabilitation unit</b> (i) Physio-therapy (ii) Yoga clinic and hall (iii) Dietician	100
8.	<b>Central clinical laboratory</b> (i) Pathology and microbiology (ii) Bio-chemistry	30
9.	<b>Radiology and Sonography section</b> X-ray room, dark room, provisions for storing films and Chemicals	40

10.	<b>Pharmacy</b>	25
11.	<b>Emergency unit</b>	25
12.	<b>Hospital kitchen</b>	30
13.	<b>Stores</b>	30
	<b>Total</b>	1370

\*College having ten percent. EWS seats.

**Note:-** The said space requirement in square meters shall not be applicable up to five years for the medical institutions established prior to the date of notification of this regulation, except serial number 3,4, and 11. All facilities as mentioned above in the table shall be fulfilled by all the existing colleges.

### C. Hospital Staff-

- (1) The minimum staff required for the attached hospital shall be as specified in the table below and it shall be liable to increase proportionately in accordance with the increase in required bed strength. Qualification of the hospital staff shall be as per the Third Schedule.

**TABLE**

S. No	Name of the post	For 30 beds	For 31 to 50 beds	For 51-100 beds
(A)	Medical superintendent	1	1	1
(B)	Deputy medical superintendent*	1	1	1
(C)	General Physician **(Emergency medicine and critical care)	1	1	1
(D)	Surgeon (general surgery) **	1	1	1
(E)	Obstetrician and Gynecologist**	1	1	1
(F)	Radiologist	On call	On call	On call
(G)	Pathologist or biochemist**	1	1	1
(H)	Medical officer	2	3	4
(I)	Resident medical officer	1	2	2
(J)	Anesthetist	On call	On call	On call
(K)	House physician(resident) ***	2	5	8
(L)	Public relation Officer or multipurpose social officer	1	1	1
(M)	Pharmacist	2	3	3
(N)	Laboratory technician	1	1	2
(O)	X-ray technician or radiographer	On call	1	1
(P)	Dresser	1	1	2
(Q)	X-ray attendant	On call	1	1
(R)	Nursing staff in-charge	1	1	1
(S)	Nursing staff ****	5	6-8	9-16
(T)	Operation theatre nurse	1	1	1
(U)	Operation theatre assistant	1	1	1
(V)	Ward boys or Ayas	4	7	9
(W)	Storekeeper	1	1	1



(X)	Registration clerk or receptionist	1	2	2
(Y)	Yoga instructor or physician	1	1	1
(Z)	Physiotherapist	On call	1	1
(ZA)	Dietician	1	1	1

- (2) Every homoeopathic hospital shall engage adequate qualified staff for running the hospital smoothly.
- (3) Auxiliary staff like lab attendant, dark room attendant shall be as per requirement.
- (4) The college and hospital authorities shall make arrangements either by adequate staff of its own or through a contractor for looking after the jobslike cleanliness, gardening, watch and ward duties in the premises of the hospital. Copy of vendor contract with the agency with details of services shall be maintained.
- (5) The teaching hospital shall have provision for laundry and dietetic services. Staff for these services shall be appointed or arranged through a contractor for providing adequate staff. Documents such as contract signed between the service provider and the superintendent of the hospital shall be maintained in the hospital. Minimum validity of Memorandum of Understanding with the service provider shall be at least for one year.
- (6) Hospital reception, out-patient Department registration, in-patient Department registration, account section shall be properly manned and preferably computerized.

**Note-** \* The principal shall be the medical superintendent of the attached Homoeopathic collegiate hospital under normal circumstances. However, if principal is unable to hold the post then the charge shall be given to deputy medical superintendent.

\*\* teachers having required qualification in modern medicine in the Departments of practice of medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pathology and biochemistry working in college can be deputed as general physician, surgeon, obstetrician or gynecologist, pathologist and biochemist respectively amongst hospital staff.

\*\*\* for post-graduate level colleges, Doctor of Medicine (Hom.) students shall work as house physician in hospital attached to their college

\*\*\*\* Nursing staff to be recruited as per the Indian Nursing Council norms for the available bed strength.

### **THE THIRD SCHEDULE**

[(See clause (a) of regulation 9)]

#### **QUALIFICATIONS FOR TEACHING, NON-TEACHING AND HOSPITAL STAFF OF MEDICAL INSTITUTION AND ATTACHED HOSPITAL**

##### **A. GENERAL**

- (1) The Principal or Director, Medical Superintendent, Professors, Associate Professor and Assistant Professor, staff of college and hospital shall have the qualification and experience as specified in these regulations.
- (2) All teaching staff appointed under these regulations should possess recognised post-graduate degree and their post-graduate degree should have been completed before the age of forty-five years:  
Provided that this age criteria of forty-five years shall not be applicable to existing teaching staff appointed prior to these regulations.
- (3) First recruitment as a teacher on various cadres shall be through National Teachers Eligibility Test and as per the provisions of National Commission for Homoeopathy (National Examination in Homoeopathy) Regulations, 2023.
- (4) Teaching experience counted shall be of recognised homoeopathic medical institution or academic institution.
- (5) Number of teachers appointed with post-graduate degree in anatomy, physiology, biochemistry, forensic medicine and public health from any University or institution recognised by the University Grant Commission in the respective Departments shall not be more than one in specific Departments. They shall not be promoted as Head of Department.
- (6) Promotion or transfer of existing teacher from one institution to another shall be as per the regulation effective at the time of his appointment:

Provided that, if there is any break in the continuity of teaching service of any teacher for a period of more than six months, fresh appointment shall be made as per the regulation in force.

## **B. QUALIFICATIONS FOR TEACHING STAFF OF HOMOEOPATHIC MEDICAL INSTITUTION**

### **(1) Principal or Director**

#### **(i) Essential qualification:**

- (A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy, and
- (B) Holding a post of not less than the teaching cadre of professor in a degree level recognised homoeopathic medical institution for a period of not less than two years; or  
an Associate professor with recognised post-graduate degree and teaching experience for a period of not less than seven years in the cadre of Associate professor.
- (C) Must possess experience in administration for a period of not less than three years as head of Department or medical superintendent or deputy medical superintendent or any other administrative experience.
- (D) Must have published at least three original publications as principal or co- author in an indexed or peer reviewed journals.

#### **(ii) Desirable Qualification:**

- (A) Degree or diploma in administration or health administration from any recognised institution; and
- (B) Five years of experience as supervisor or guide for post-graduate programme in homoeopathy; and
- (C) Research experience as investigator in the project(s) registered with Clinical Trial Registry -India.

### **(2) Professor**

- (a) In Homoeopathic subjects namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon of Medicine and Homeopathic Philosophy, Homoeopathic Pharmacy, Homoeopathic Repertory and Case taking-

#### **(i) Essential qualifications:**

- (A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and
- (B) Not less than five years of teaching experience in the subject concerned as an associate professor; or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution.
- (C) Must have published two original publications as Principal author or Co-author in indexed or peer reviewed journal.

#### **(ii) Desirable qualifications:**

- (A) Experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in Homoeopathy; and
  - (B) Administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital.
  - (C) Research experience in a research institution recognised by the concerned University and or the State Government or Central Government or the Union territory administration, in a project registered with Clinical Trial Registry -India.
- (a) In allied subjects, namely, Human Anatomy, Human Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics, Practice of Medicine With Essentials of Pharmacology, Pathology and Microbiology, Surgery, Gynecology and Obstetrics-

#### **(i) Essential Qualification:**

- (A) Post-graduate degree in homoeopathy with not less than five years of teaching experience as an Associate Professor in the subject concerned or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution; or
- (B) Post-graduate medical degree in the concerned subject recognised by the National Medical Commission with five years of teaching experience as an Associate Professor in the subject concerned or not less than ten years of regular teaching experience in the subject concerned in a

homoeopathic medical institution or in a medical college permitted by the Central Government; or

- (C) Recognised under graduate degree in homoeopathy along with post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with twelve years of regular teaching experience in the subject concerned in a homoeopathic medical institution; or
- (D) Recognised post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for Forensic Medicine and Toxicology or in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than twelve years of regular teaching experience in the subject concerned in a homoeopathic medical institution; and
- (E) Must have published at least two original publications as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal.

**(ii) Desirable Qualification:**

- (A) Experience of not less than five years as supervisor or guide for post-graduate programme in Homoeopathy; and
- (B) Administrative experience of not less than three years in a homoeopathic medical college or hospital; and
- (C) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government or Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

**(3) Associate Professor**

(A) In Homoeopathic Subjects Namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon Of Medicine And Homoeopathic Philosophy, Homoeopathic Pharmacy, Homoeopathic Repertory And Case Taking, Practice Of Medicine With Essentials Of Pharmacology-

**(i) Essential Qualifications:**

- (A) Recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution;
- (B) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or
- (C) Recognised post-graduate qualification in Homoeopathy in subject concerned with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or in Research Council of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or
- (D) Must have not less than five years of experience in regular service, after acquiring post-graduate degree in subject concerned in the Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service after acquiring post-graduate degree in the concerned subject in recognised Homoeopathy Medical Institute and having qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

**(ii) Desirable qualifications:**

- (A) Experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in homoeopathy; and
- (B) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government, Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

(b) In allied subjects, namely, Human Anatomy, Human Physiology and Biochemistry, Forensic Medicine and Toxicology, Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics, Pathology and Microbiology, Surgery, Gynecology and Obstetrics

**(i) Essential qualification:**

- (A) Recognised post-graduate qualification in homoeopathy with not less than five years of experience in regular service of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution;
- (B) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or
- (C) Post-graduate medical degree in the subject concerned recognised by the National Medical Commission with not less than five years of experience in regular service of teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution or in a medical college permitted by the Central Government;
- (D) Must have published at least one publication as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or
- (E) Recognised under graduate qualification in homoeopathy and post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than seven years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution and;
- (F) Must have published one article as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or
- (G) Recognised post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for forensic Medicine and toxicology or in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission with not less than seven years of regular teaching experience in the subject concerned in a recognised homoeopathic medical institution; and
- (H) Must have published at least one article as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal; or
- (I) Recognised post-graduate qualification in Homoeopathy with not less than five years of full time research experience in Teaching Institution or Research Council of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutions with at least three publication in indexed or peer reviewed journal and qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; and
- (J) at least three publications as principal or co-author in indexed or peer reviewed journal and qualified National teachers eligibility test conducted by the Commission; or
- (K) Must have five years of experience in regular service after acquiring post-graduate degree in the concerned subject in the Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or full time five years of experience as medical officer in regular service after possessing Post-graduate degree in the subject concerned in recognised Homoeopathy Medical College and having qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

**(ii) Desirable qualification:**

- (A) Experience of not less than three years as supervisor or co-supervisor or guide or co-guide for post-graduate course in Homoeopathy; and
- (B) Research experience in a research institution recognised by the concerned University or the State Government or Central Government or Union territory Administration or in a project registered with Clinical Trials Registry-India.

**(4) Assistant Professor**

- (a) In the subjects namely, Homoeopathic Materia Medica, Organon of Medicine, Homoeopathic Pharmacy, Repertory, and Practice of Medicines.-

**Essential Qualification:**

- (A) Recognised post-graduate degree in Homoeopathy in the subject concerned; and
- (B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission. Preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission.

- (b) In the subjects, namely, Anatomy, Physiology, Pathology, Forensic Medicine and Toxicology, Surgery, Gynecology and Obstetrics.-

**Essential Qualification:**

- (A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and
- (B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or
- (C) Post-graduate medical degree in subject concerned recognised by the National Medical Commission; and
- (D) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who holds experience of working as resident medical officer or house physicians in a hospital attached to a medical college permitted by the Central Government; or
- (E) Recognised under graduate degree in homoeopathy and post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or in medical physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine (forensic medicine) for forensic Medicine and toxicology from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and
- (F) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or
- (G) Post-graduate degree in medical anatomy for anatomy or Physiology or biochemistry for physiology or in legal medicine or forensic medicine for forensic medicine and toxicology from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and
- (H) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.
- (c) In the subject, namely, community medicine and research methodology and biostatistics.-

**Essential Qualifications:**

- (A) Recognised post-graduate degree in homoeopathy; and
- (B) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission;
- (C) Must have published at least two original publications as principal or co-author in peer reviewed journals; or
- (D) Recognised under graduate degree in homoeopathy and post-graduate degree in public health for community medicine from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and
- (E) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; or
- (F) Post-graduate degree in public health for community medicine along with Ph.D from recognised University or medical institution as recognised by the National Medical Commission; and
- (G) Qualified National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

**(d) Visiting Assistant Professor In Fundamentals Of Psychology-**

**Essential Qualifications:**

- (A) Recognised post-graduate degree in Homoeopathy and Masters degree in any branch of psychology and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or
- (B) Recognised post-graduate degree in homoeopathy in psychiatry and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house physicians in a homoeopathic hospital attached to a homoeopathic medical institution permitted by the Central Government or Commission; or
- (C) Post-graduate medical degree in psychiatry recognised by the National Medical Commission and preference shall be given to those candidates who hold experience of working as resident medical officer or house

physicians in a hospital attached to a medical college permitted by the Central Government or Commission.

**(e) Visiting Assistant Professor In Modern Pharmacology.-**

(A) Post-graduate degree in Pharmacology by a recognised Commission; or

(B) Master's degree in Pharmacy recognised by the Pharmacy council of India.

**(5) Yoga Instructor**

**(i) Essential Qualification:**

(a) qualified degree holder namely, bachelor of naturopathy and yogic sciences- a five and half years regular medical course in yoga and naturopathy; or

(b) diploma in naturopathy and yogic sciences. having the registration to practice these systems of health care from the State or Central authorities.

**(ii) Desirable Qualification:**

Preference shall be given to persons with homoeopathic medical qualifications along with degree of Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences.

**(6) Librarian**

**Essential Qualification:**

Degree in library sciences from a recognised institution with knowledge of working on computers and internet with three years of experience.

**(7) Assistant Librarian**

**Essential Qualification:**

Degree In Library Sciences From A Recognised Institution With Knowledge Of Working On Computers And Internet.

**C Qualification For Hospital Staff**

**(1) Medical Superintendent-**

(a) **Essential Qualification:** Recognised post-graduate degree qualification in homoeopathy and shall be of Professor Cadre.

(b) **Desirable Qualification:** Having degree or diploma in hospital administration of not less than one year duration from institution recognised by the Central Government.

**(2) Deputy Medical Superintendent**

**Essential Qualification:**

Recognised post-graduate degree in homoeopathy and shall be minimum of associate professor cadre for two years.

**(3) Residential Medical Officer**

**Essential Qualification:**

Recognised degree qualification in homoeopathy with experience as house physician for a period of not less than two years in a recognised homoeopathic hospital after obtaining regular registration from a State Board of homoeopathy.

**(4) Medical Officer**

**Essential Qualification:**

Recognised Degree Qualification In Homoeopathy With Experience For A Period Of Not Less Than One Year As A House Physician In A Recognised Homoeopathic Hospital.

**(5) Surgeon (General Surgery), General Physician, Anesthetist, Obstetrician Or Gynecologist, Radiologist And Pathologist And Biochemist-**

**Essential Qualification:** Post-Graduate Medical Degree In Concerned Subject Recognised By The National Medical Commission. General Physician To Have Specialisation In Emergency Medicines.

**(6) House Physician-**

**Essential Qualification:** Recognised Degree Qualification In Homoeopathy And Having Regular Registration From A State Board Of Homoeopathy With Professional Experience For A Period Of Not Less Than Two Years;

Provided that the post of house physician (resident) in permitted post-graduate college shall not be separately required as post-graduate students in first of Doctor of Medicine (Homoeopathy) course shall be doing house job compulsorily.

**(7) Laboratory Technician-**

Recognised Bachelor of Science degree along with Medical laboratory technology from a recognised University or institutions.

**(8) Dispenser-**

Must have passed senior secondary from a recognised board with any of the following qualifications, namely: -

- (a) a diploma in homoeopathic pharmacy recognised by the concerned State board; or
- (b) two years' experience of dispensing homoeopathic medicine in homoeopathic dispensary or pharmacy.

**(9) X-Ray Technician or Radiographer-**

Must have a diploma in radiology from a recognised University or institutions.

**(10) X-Ray Attendant or Dark Room Attendant-**

Must have passed senior secondary from a recognised board with experience of working in x-ray department for two years.

**(11) Yoga Physician-****(A) Essential Qualification:**

Qualified degree holder (bachelor of Naturopathy and yogic sciences – a five and half years regular medical course in yoga and naturopathy or diploma in naturopathy and yogic science) having the registration to practice these systems of health care from the State or Central authorities.

**(B) Desirable Qualification:**

Preference shall be given to persons with homoeopathic medical qualifications along with above qualifications.

**(12) Physiotherapist-**

A degree in physiotherapy recognised by the State Government concerned.

**(13) Dietician-**

A degree in diet and nutrition recognised by the State Government concerned.

**(14) Dresser-**

Must have passed senior secondary from a recognised board.

**(15) Nursing Staff In-Charge-**

Must possess a Bachelor of Science degree or General Nursing and Midwifery in nursing and registered under Nursing Council of the State concerned with two years of experience.

**(16) Nurse-****(a) Essential Qualification:**

Must possess a Bachelor of Science degree or General Nursing and Midwifery or Auxiliary Nurse and Midwifery in nursing registered under nursing council of State concerned.

**(b) Desirable Qualification:**

One year experience of working in homoeopathic hospital.

**(17) Store Keeper-**

Must have passed senior secondary from a recognised Board with knowledge of computer.

**(18) Registration Clerk or Receptionist:****(a) Essential Qualification:**

- (i) Must have passed senior secondary from a recognised Board;
- (ii) Must have knowledge of regional language, English and proficiency in computer operation.

**(b) Desirable Qualification:** Must Have A Diploma In Computer Application.

**(19) Pharmacist-**

Graduate in any stream along with experience of three years of working in homoeopathic pharmacy and preference shall be given to the candidates having Diploma in pharmacy.

**(20) Secretarial And Accounts Staff.- (A) Office Superintendent** –Post-Graduate Or Undergraduate With Five Years Of Administrative Experience.

- (b) **Upper Division Clerk-** Graduate with three years' experience of office work.
- (c) **Lower Division Clerk** – Graduate with one year experience of office work.
- (d) **Office Assistant-** Graduate with one year experience of office work.
- (e) **Accountant** – Bachelor of Commerce with five years' experience of accounts, book keeping, knowledge of banking, Knowledge about Employee's provident fund and Public provident fund and all Government and University related works.
- (f) **Data Entry Operator-** Must have passed senior secondary with basic computer course and typing speed of thirty or above.
- (g) **Multi-Tasking Staff-** Must have passed matriculation from a recognised secondary board.

**(21) Ward Boy Or Aya.- (a) Essential:** Must Have Passed Matriculation From A Recognised Secondary Board.

(b) **Desirable:** One year experience In-patient care services.

**(22) Chowkidar or Peon.-** 8<sup>th</sup> Standard Pass.

**D. QUALIFICATION FOR NON - TEACHING STAFF OF MEDICAL INSTITUTION**

- (1) **Laboratory Technician.-** Bachelor of Science, Medical Laboratory Technology from a recognised University or institutions or diploma in Medical Laboratory Technology with five years' experience.
- (2) **Laboratory Attendant.-** Must have passed matriculation from recognised Secondary Board.
- (3) **Cadaver Assistant.-** Must have passed matriculation from recognised secondary Board and knowledge of local language.
- (4) **Library Assistant.-** Must have passed matriculation from recognised secondary Board.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President

[ADVT.-III/4/Exty./823/2023-24]

**APPENDIX– 1**

[(See clause (e) of sub-paragraph (3) of paragraph-B of the First Schedule)]

**List of equipment for pharmacy department**

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Pill tiles	30
2.	Porcelain dishes	30
3.	Crucibles with tongs	30
4.	Silica crucibles	02
5.	Pestles and mortars (iron, glass, porcelain)	1+1+30
6.	Water bath. (metal or electric)	30
7.	Microscope (student type)	05
8.	Thin layer chromatography apparatus including UV chamber	1
9.	Ph meter	2
10.	Stop watch	25



11.	Hydrometer	5
12.	Alcoholometer	5
13.	Pycnometer	10
14.	Water still (distilled water plant)	1
15.	Percolator	5
16.	Macerator	5
17.	Botanical slides	10
18.	Colorimeter	01
19.	Spectro scope	01
20.	Manual/Mechanical/Electric potentiometer	2/01/01
21.	Electric triturator	2
22.	Dissecting microscope	02
23.	Distillation apparatus (glass)	1 set
24.	Hot air oven	01
25.	Electronic balance	10
26.	Physical balance	01
27.	Measuring glasses (a) Glass beaker (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml) (b) Volumetric flask (250 ml, 500 ml, 1000 ml) (c) Measuring cylinder (10 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml) (d) Test tubes (8 ml, 10 ml, 12 ml) with holder (e) Watch glass (f) Graduated pipette (1 ml, 10 ml)	05 each  05 each 30 each  30 eachAs required
28.	Glass retort	02
29.	Bunsen burner with gas connection	05
30.	Miscellaneous (A) Chemicals (i) Ammonium chloride (ii) Ammonium oxalate (iii) Barium chloride (iv) Calcium carbide (v) Calcium carbonate (vi) Copper sulphate (vii) Hydrochloric acid (viii) Iodine (ix) Nessler's reagent (x) Nitric acid (xi) Potassium ferro cyanide (xii) Salicylic acid (xiii) Silver nitrite	As required



39.	Chopping knife	25
40.	Spatula (horn, stainless steel)	25
41.	Burette	5
42.	Press	2
43.	Sieve (no. 10,22,44,60, 85,120)	2 each
44.	Thermometer	2
45.	Graduated conical glass(10,50,100ml)	15
46.	Wire gauze	5
47.	Tripod stand	5
48.	Porcelain bowl	25
49.	Lactometer	10

**APPENDIX – 2**

[(See clause (g) of sub-paragraph (5) of paragraph-B of the First Schedule)]

**List of equipment required for anatomy lab**

Sl. No	Item	No.
1.	Dissection tables with marble tops or stainless steel (6'x'1'x2'x3')	4
2.	Stretcher- steel top (6'x'2'x3')	1
3.	Dissection set complete	2
4.	Tray (steel)-for instruments or demonstration of specimen	2
5.	Saw for sectioning body and limbs	1
6.	Storage tanks to hold cadavers (a) Plastic or metal or concrete (b) Containers (glass) for viscera and dissected parts-for demonstration	2 2
7.	Embalming materials (a) Cannula (b) IV tubes (c) Formalin holding tub (d) Syringe needles (e) Nylon thread	02 02 02 02 02
8.	Microscope (medical)	35
9.	Revolving stools –metal or wood	35
10.	X-ray viewing box	01
11.	Chemicals (embalming and soft part preservation) (a) Formalin (b) Glycerin (c) Sodium chloride	As required
12.	Cadaver: (Cadaver and dissected body part shall be applicable after Letter of Intent given to the medical institution)	02

**APPENDIX – 3**

[(See clause (d) of sub-paragraph (6) of paragraph -B of the First Schedule)]

**List of equipment required for physiology lab**

<b>S.No.</b>	<b>Name of the article</b>	<b>Quantity</b>
1.	Medical microscope with oil immersion	25
2.	Equipment for Erythrocyte sedimentation rate estimation or westergren's pipette for Erythrocyte sedimentation rate on stand	25 (with sparepipettes)
3.	Haematocrit tubes	35
4.	Sahli's haemoglobinometer	35
5.	Haemocytometer	25
6.	Sphygmomanometer	25
7.	Stethoscope	25
8.	Clinical thermometer (digital or mercury)	25
9.	Knee hammer	25
10.	Tuning forks to test hearing (32-10000hzs)	1 set
11.	Electrocardiograph (ECG machine)	1
12.	Electronic stop watches 1/10 sec.	04
13.	Glass distillation (double) apparatus	01
14.	Centrifuge	01
15.	Colorimeter (photo electric)	02
16.	Ph meter electric	02
17.	Color perception lantern (edridge green)	01
18.	Educational compact disc, digital video disc, films, slides, models with audio visual aids	As required
19.	Perimeter	01
20.	Spirometer	01
21.	Tonometer	01
22.	Handgrip dynamometer	01
23.	Bicycle ergometer	01

**APPENDIX – 4**

[(See clause (e) of sub paragraph (6) of paragraph-B of the First Schedule)]

**Requirements for biochemistry**

<b>S. No</b>	<b>Name of the article</b>	<b>Quantity</b>
1.	Electronic or monopan balance	01
2.	Centrifuge	01
3.	Balance, chemical or ordinary	01

4.	Water baths	01
5.	Urinometer	25
6.	Chemicals: (a) Iodine (b) Ammonium oxalate (c) Barium chloride (d) Silver nitrate (e) Sodium hydroxide (f) Mercuric sulphate (g) Salicylic acid	As required
7.	Hydrometer (0.700 to 1.00)	02
8.	Albuminometers	10
9.	Glucometer	10
10.	Thermometer	10
11.	Colorimeter	01
12.	Hot air oven 14"x14"x14" (electric)	01
13.	Glass ware like pipette, beakers, burettes, wire gouge with asbestos, center hot plate, stove, syringes, burners, rubber tubing stands clamps, flash etc.	As required
14.	Ph (Potential of hydrogen) meter	1
15.	Binocular research microscope	02
16.	Stethoscope: demonstration with multiple pieces	02
17.	Ophthalmoscope	01
18.	Otorhinolaryngoscope	01
19.	Revolving stools, metal	45

**APPENDIX – 5**

[[See clause (h) of sub-paragraph (7) of paragraph-B of the First Schedule ]]

**List of equipment for forensic medicine and toxicology lab**

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Weighing machine dial type human	01
2.	Equipment for measuring height	01
3.	Vernier caliper scale	01
4.	X-ray view box one in four	01
5.	Catalogue stating characteristics and Clinical applications of the toxicological and other specimen.	02 copies
6.	Catalogue of poisons and their antidote, Catalogue or list of household antidote	25
7.	(a) Bones; (b) Skull; (c) Pelvis (complete with sacrum, coccyx).	01 each of male and female

8.	(a) Bullets; (b) Pistol bullet; (c) Revolver bullet; (d) Rifle bullet.	01 of each
9.	Shotgun cartridge	01
10.	Sample of fixed knot or loop, slip knot, loop	01 each
11.	Stomach tube	01
12.	Hand lens (study of fingerprint purpose)	02
13.	Comparison microscope for finger print	01
14.	X-ray films depicting ossification center (appearance and fusion) of different bones to access age and sex of the person.	05
15.	Audio- visual presentation of post mortem educational compact discs or digital video discs.	02

**APPENDIX-6**

[(See clause (e) of sub-paragraph (8) of paragraph-B of the First Schedule)]

**List of equipment for pathology and microbiology lab**

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Hot air oven (50°c) for special standing	1
2.	Centrifuge machine electric roto fix	2
3.	Water bath (electric)	4
4.	Glass ware	As required
5.	Beaker 100 ml	30 pcs
6.	Glass cylinder 100 ml	30 pcs
7.	Test tubes ( 6" × ½ ")	100 pcs
8.	Test tubes ( 4" × ½ ")	100 pcs
9.	Glass rods (1 feet )	30 pcs
10.	Glass slides (microscopy)	200 pcs
11.	Glass cover slip	300 pcs
12.	Glass dropper	30 pcs
13.	Conical flask	15 pcs
14.	(a) Stains:- (i) Leishman stain (ii) Buffer solution (iii) Deionized water (b) Gram stain:- (i) Crystal violet (ii) Gram's iodine (iii) Acetone (iv) Safranin (c) Ziehl-nelsen stain:- (i) Carbol -fuchsin (ii) Concentrated sulphuric acid (iii) Methylene blue	As required



	(v) Cover glass slip : 22× 22mm /18×18mm (b) Slide box (c) Dropping bottle (d) Diamond pencil (e) L mould (f) Cassette (g) Haematoxylin& eosin stain (h and e): powder (h) Hcl 35% : 500ml (i) Nitric acid : 500ml (j) Slides (k) Small forceps (tooth and without tooth) :2 (l) Steel scale (m) Scissors (n) Glass jar	
19.	Incubator	2
20.	Haemocytometer with RBC and WBC pipettes	25
21.	Sahli's haemoglobinometer	25
22.	Autoclave	2
23.	Anaerobic apparatus	2
24.	Stopwatch ½ sec	2
25.	Ph meter	1
26.	Microscopes with oil immersion lens, movable stage and condenser	45
27.	High power centrifuge for serological/ haematological work	1
28.	Westergren's pipette for Erythrocyte sedimentation rate estimation	10
29.	Wintrobe haematocrit tube for Erythrocyte sedimentation rate and packed cell volume	10
30.	Colony counter	1
31.	Coplin jars	02
32.	Computer with accessories	01
33.	Colorimeter and auto analyzer	01
34.	Elisa reader for serological test	01
35.	Pathological specimens	25
36.	Urinometer (other than mercury)	02

**APPENDIX – 7**

[(See clause (e) of sub-paragraph (9) of paragraph-B of the First Schedule)]

**List of equipment in Department of Community Medicine, Research Methodology and Biostatistics**

S. No.	Name of the article	Quantity
1.	Barometer (fortin)	1
2.	Lactometer	1
3.	Alcoholmeter	1
4.	Water purifier (having ro, uv, tds regulator)	1



5.	Total dissolved solids (tds) meter	2
6.	Glucometer	2
7.	Air quality monitor	2
8.	Mid upper arm circumference measuring tape	5
9.	Display: Immunization, community programme health, other family welfare programmes, bio- statistics and research methodology models, sociology related information on display.	As required
10.	Refrigerator	02
11.	Hydrometer spirit-	02
12.	Hydrometer milk	02
13.	Weighing machine adult	03
14.	Salter's baby weighing machine	02
15.	Harpden skinfold caliper	02
16.	Height measuring stand	02
17.	Catalogue on methods of various experiments conducted in practical, field visits, and synopsis on other related topics.	02
18.	Horrock's apparatus (for estimating bleaching powder need for water disinfection)	02
19.	Chloroscope (for checking the residual chlorine in drinking water)	02

**APPENDIX – 8**

[(See clause (e) of sub-paragraph (10) of paragraph -B of the First Schedule)]

**List of instruments for the demonstration to students in Department of Surgery**

S.No.	Name of article	Quantity
1.	Allis tissue forceps	Minimum 2
2.	Curved allis	Minimum 2
3.	Mosquito forceps	Minimum 1
4.	Tooth forceps	Minimum 4
5.	Chittal forceps	Minimum 1
6.	Needle holder	Minimum 1
7.	Sponge holding forceps	Minimum 1
8.	Allis	Minimum 1
9.	Simple forceps	Minimum 2
10.	Rubber catheter	Minimum 2
11.	Folley's catheter	Minimum 2
12.	Cannula	Minimum 4
13.	Tracheal tube	Minimum 2
14.	Straight scissor	Minimum 4
15.	Artery forceps	Minimum 4
16.	Scissors	Minimum 4
17.	Proctoscope	Minimum 4

18.	Suture material	As required
19.	Dressing material	As required
20.	Ryle's tube	Minimum 4
21.	Catheter	Minimum 4
22.	Dressing tray	Minimum 1
23.	Kidney tray	Minimum 4
24.	Tray	Minimum 4
25.	Dressing drum	Minimum 1
26.	Auroscope	Minimum 3
27.	Stethoscope	Minimum 4
28.	Measuring tape	Minimum 4
29.	Hammer	Minimum 4
30.	Ophthalmoscope	Minimum 1
31.	Tenometer	Minimum 1
32.	Dental instruments	Minimum 1
33.	ENT instruments	Minimum 1
34.	Infant feeding tube	Minimum 1
35.	Laryngoscope	Minimum 1
36.	Retractor	Minimum 5
37.	Sim's speculum	Minimum 5

#### APPENDIX - 9

[(See sub-clause (i) of clause (d) of sub-paragraph (11) of paragraph -B of the First Schedule)]

#### List of instruments required in Department of Gynecology and Obstetrics

S. No	Name of instrument	No. Required
1.	Sim's speculum	01
2.	Cusco's speculum	01
3.	Anterior vaginal wall retractor	01
4.	Cervical dilators	01
5.	Simple rubber catheter	01
6.	Uterine curette	01
7.	Sponge holding forceps	01
8.	Allis tissue forceps	01
9.	Artery forceps	01
10.	Doyen's retractor	01
11.	Babcock's forceps	01
12.	Needle holder	01
13.	Toothed forceps	01

14.	Non toothed forceps (plane forceps)	01
15.	Episiotomy scissors	01
16.	Mayo's scissors	01
17.	Towel clip	01
18.	Vulsellum	01
19.	Cord clamps	01
20.	Obstetric forceps	01
21.	Foley's catheter	01

**APPENDIX -10**

[(See clause (d) of sub-paragraph (13) paragraph -B of the First Schedule)]

**Equipment required in Department of Yoga for Health Promotion**

S.No.	Name of instrument	Quantity
1.	Weighing machine	1
2.	Height chart	1
3.	Blood pressure instrument	1
4.	Stethoscope	1
5.	Torch	1
6.	Hammer	1
7.	Patient record register	1
8.	Case taking Performa	as required
9.	Diet chart pad	as required
10.	Yoga mat	35
11.	Yoga stretching belt	10
12.	Yoga exercise ball	05
13.	Belly twister	02
14.	Fitness cycle	01
15.	Palm ball	05

**APPENDIX -11**

[(See sub-paragraph (2) of paragraph - C of the First Schedule)]

**List of equipment required in Medical Education Technology Unit**

S.No.	Medical Education Technology Unit (METU)	Quantity
1.	Smart board	1
2.	Computer with latest configuration	2
3.	Round tables	2

4.	Chairs	10
5.	Printer and scanner	1 each
6.	Overhead projectors	1
7.	Books and journals on Medical Education Technology - :Physical and soft copy procured online	10 copies
8.	Stationary	As required

#### APPENDIX – 12

[(See clause (A) of sub-paragraph (4) of paragraph -A of the Second Schedule)]

#### Furniture/Fixture/Equipments Requirements for OPD

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30beds	31to 50beds	51to100 beds
1.	Room with well- lighted and ventilated and equipped with a chair and a table for doctor	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
2.	X-ray viewer	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
3.	Two chairs forpatients and attendants	1set per consultation room	1set per consultation room	1set per consultation room
4.	An examination table of 6 ft. X 2.5ft. With privacy screen	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
5.	Blood pressure apparatus	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
6.	Stethoscope	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
7.	Torch	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
8.	Thermometer	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
9.	Weighing machine.	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
10.	Essential diagnostic tools required for examination of patients as per the scope of services offered by the hospital.	As per requirement	As per requirement	As per requirement
11.	Light source which gives light colour and temperature similar to solar light, Light intensity of atleast 500 lux at the point of examination	As per requirement	As per requirement	As per requirement
12.	Computers	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
13.	Telephone equipment	As per requirement	As per requirement	As per requirement
14.	Airconditioning	As per requirement	As per requirement	As per requirement
15.	Adequate lockable storage space	As per requirement	As per requirement	As per requirement

16.	Foot stools	1per consultation room	1per consultation room	1per consultation room
-----	-------------	------------------------	------------------------	------------------------

**APPENDIX-13**

[(See sub-clause (ii) of clause (B) of sub-paragraph (9) of paragraph -A of the Second Schedule)]

**Furniture/Fixture Requirements for IPD**

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 beds	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	Iron beds (simple, surgical & pediatrics)	30	50	100
2.	Adequate wall or steel C upboards	4	8	15
3.	Arm Board Adult	12	24	24
4.	Backrest	4	8	20
5.	Bain marie trolley stainless steel	1 per floor	1 per floor	1 per floor
6.	Bed side cabinets	1 per 5 patients	1 per 5 patients	1 per 5 patients
7.	Bed side Screen	1 per ward or full length curtains between the beds	1 per ward or full length curtains between the beds	1 per ward or full length curtains between the beds
8.	Bucket Plastic	12	24	24
9.	Ceiling Fans	As per requirement	As per requirement	As per requirement
10.	Clock	1 per ward	1 per ward	1 per ward
11.	Containers for kitchen	As needed	As needed	As needed
12.	Doctor's chair for OP and ward,	As needed	As needed	As needed
13.	Doctor's or Office table	3	10	20
14.	Dressing trolley-per floor/ ward depending on layout	4	8	10
15.	Dustbins in each ward and consultation room	6	12	15
16.	Duty table for nurses	8	20	30
17.	Emergency resuscitation kit	1 per floor	1 per floor	1 per floor
18.	Enema Set	4	4	8
19.	Fire extinguisher –	ABC 1 per ward or floor based on layout	ABC 1 per ward or floor based on layout	ABC 1 per ward or floor based on layout
20.	Foot stools	16	25	25
21.	Fridge	1 Per Area or Ward	1 Per Area or Ward	1 Per Area or Ward
22.	Heavy duty Torchlight	1 per ward	1 per ward	1 per ward
23.	Hospital Cots	100	300	500
24.	Hospital Cots Pediatric	10	30	50
25.	Hot Water Bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
26.	Ice bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
27.	Hot Water geyser	2 per ward	2 per ward	2 per ward

28.	I V Stands - 2 per 10beds	20	50	100
29.	Intercom System	2 per ward	2 per ward	2 per ward
30.	Kitchen utensils,	Adequate	Adequate	Adequate
31.	Massage table of 7ft.x 2.5ft (wood or fiber) if service is provided	One per procedure room	One per procedure room	One per procedure room
32.	Medicine trolley	1 per ward	1 per ward	1 per ward
33.	Office chairs	8	20	20
34.	Office Table	6	10	10
35.	patient Beds with siderails	20% of totalbeds	20% of totalbeds	20% of total beds
36.	Patient call BellSystem	1 per bed	1 per bed	1 per bed
37.	Patient locker	1 per bed	1 per bed	1 per bed
38.	Patients examinationtable	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility	– 1 per ward or floor as per the profile of patients and layout of facility
39.	Patients side table	1 per bed	1 per bed	1 per bed
40.	Pediatric cots with railings	as per scope ofservices	as per scope ofservices	as per scope ofservices
41.	Steel or Wooden cupboard	16	20	25
42.	Steel rack	10	20	40
43.	Stool	8	15	25
44.	Stools revolving	2 per ward	2 per ward	2 per ward
45.	Stretcher or Patient trolley	1 per ward	1 per ward	1 per ward
46.	Urinal (Male andFemale)	20	50	100
47.	waiting chairs or benches for patientsrelatives	50% of the bed strengths	50% of the bed strengths	50% of the bed strengths
48.	Weighing Machine	1 per ward	1 per ward	1 per ward
49.	Wheel chair	2 per 50 beds	2 per 50 beds	2 per 50 beds
50.	X-ray viewer	one per ward	one per ward	one per ward

**APPENDIX 14**

[(See sub-clause (iii) clause (B) of sub paragraph 9 of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Equipments/instruments for In-patient department (IPD)**

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 beds	31to50 beds	51to100bed
1.	Ambu bags	6	6	6
2.	Arm Board Adult	12	24	24
3.	Autoclave Drums	6	9	12
4.	Back rest	4	8	20
5.	Bain marie trolley stainless steel 1 per floor	2	4	8

6.	Bed pans, 1 per 5patients	6	10	20
7.	Biomedical wastecolour coded bins	One set each per floor	One set each per floor	One set each per floor
8.	Cheatle forceps assorted sizes	8	16	25
9.	Containers for kitchen	As required	As required	As required
10.	Dressing trolley-1per floor/ ward depending on layout	1 per ward	1 per ward	1 per ward
11.	Dustbins in eachward And consultation room	1 per ward	1 per ward	1 per ward
12.	Emergency Resuscitation kit	1 per floor	1 per floor	1 per floor
13.	Enema Set	As required	As required	As required
14.	Fridge	As required	As required	As required
15.	Heavy duty Torch light	1 per ward	1 per ward	1 per ward
16.	Hot Water Bags	2 per ward	2 per ward	2 per ward
17.	I V Stands	2 per 10 beds	2 per 10 beds	2 per 10 beds
18.	Infra-Redlamp	5	10	10
19.	Instrument tray	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
20.	Instrument trolley	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
21.	Intercom System	As required	As required	As required
22.	Kidney Trays	1 per 5 beds	1 per 5beds	1 per 5 beds
23.	Medicine trolley	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward	minimum 1 per ward
24.	Needle cutter	3 per ward	3 per ward	3 per ward
25.	Non mercury Thermometer clinical	1 per ward	1 per ward	1 per ward
26.	O2cylinderwithspanner	1 per ward	1 per ward	1 per ward
27.	Patients examination table- 1 per ward/ floor as per the profile of patient and layout of facility	1 per ward	1 per ward	1 per ward
28.	Sphygmomanometers - Stand Type1 and Portable (aneroid or Digital) Type 1	1 per ward	1 per ward	1 per ward

**APPENDIX – 15**

[(See clause (c) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Emergency Equipments**

Sr.No.	Name of the Equipment	For 30bed	31 to50bed	51to100 bed
1.	Emergency equipment box For first aid and Basic Life Support Skill	Minimum1	Minimum1	Minimum1
2.	Crash- Cardtrolley	Minimum1	Minimum1	Minimum1
3.	Portable defibrillator	Optional	Optional	Minimum1
4.	Disposable syringes	As needed	As needed	As needed
5.	Ambu Bag	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Laryngoscope with cell	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Sealed battery cell	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Endotracheal tubes	As needed	As needed	As needed
9.	Monitor	As needed	As needed	As needed

**APPENDIX - 16**

[(See sub-clause (i) of clause (D) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Anesthetics drugs**

Sr.no.	Name of the Drug	Strength	MinimumQuantity
<b>1.1 General Anesthesia (to be given only by a qualified allopathy anesthetist)</b>			
1.	Ether,	--	As per requirement
2.	Halothane	--	As per requirement
3.	Isoflurane*	--	As per requirement
4.	Ketamine Hydrochloride Injection	10mg /ml,50 mg /ml	As per requirement
5.	Nitrous Oxide	Medical grade	As per requirement
6.	Oxygen	Medical grade	As per requirement
7.	Injection Thiopentone Sodium	0.5g,1 g powder	As per requirement
<b>1.2 Local Anesthesia</b>			
8.	Injection Bupivacaine Hydrochloride	0.25%,0.5%0.5%+7.5% Glucose	As per requirement
9.	Spray Ethyl Chloride	1%	As per requirement
10.	Injection Lignocaine	Topical Forms 2-5%	As per requirement
11.	Injection Lignocaine	Hydrochloride 1-2% Spinal 5% + 7.5% Glucose	As per requirement
12.	Injection Lignocaine Hydrochloride + Adrenaline	1%, 2% +Adrenaline 1:200.000 In vial 1.3	As per requirement
<b>1.3 Preoperative Medication and Sedation for Short Term Procedures</b>			
13.	Injection Atropine Sulphate	0.6mg /ml	As per requirement



14.	Injection Diazepam	5mgInjection 5mg/ ml	As per requirement
15.	any other medication as decided by the concerned anesthetist		As per requirement

**APPENDIX – 17**

[(See sub-clause (ii) of clause (d) of sub-paragraph (12) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Emergency Drugs**

Sr.no.	Name of the Drug	Strength	Minimum Quantity
1.	Inj.Adrenaline	As per I.P	Minimum 10 Ampules
2.	Inj.Atropine	As per I.P	Minimum 10 Ampules
3.	Inj.Calcium Carbonate	As per I.P	Minimum 10 Ampules
4.	Inj.Dopamine	As per I.P	Minimum 10 Ampules
5.	Inj.Dobutamine	As per I.P	Minimum 10 Ampules
6.	Inj.Nitroglycerine	As per I.P	Minimum 10 Ampules
7.	Inj.Sodium Bicarbonate	As per I.P	Minimum 10 Ampules
8.	Inj.Hydrocortisone	As per I.P	Minimum 10 Ampules
9.	Inhaler Beclomethasone(250micro/dose)	As per I.P	Minimum 10 Ampules
10.	Inhaler Salbutamol(200micrograms)	As per I.P	Minimum 10 Ampules
11.	Inj.Frusemide	As per I.P	Minimum 10 Ampules
12.	Inj.Diazepam/Midazolam	As per I.P	Minimum 10 Ampules
13.	Inj.Deriphyllin	As per I.P	Minimum 10 Ampules
14.	Inj.Phenytoin sodium	As per I.P	Minimum 10 Ampules
15.	Inj.Avil	As per I.P	Minimum 10 Ampules
16.	Inj.Ondansetrone	As per I.P	Minimum 10 Ampules
17.	Inj.KCl	As per I.P	Minimum 10 Ampules
18.	Inj.Lignocaine 2%	As per I.P	Minimum 10 Ampules
19.	Inj.Amiadaron	As per I.P	Minimum 10 Ampules
20.	Inj.Magnesium sulphate	As per I.P	Minimum 10 Ampules
21.	Inj.Mannitol	As per I.P	Minimum 10 Ampules
22.	Inj.Morphine/Inj.Pethidine	As per I.P	Minimum 10 Ampules
23.	Inj.Noradrenaline bitrate	As per I.P	Minimum 10 Ampules
24.	Inj.Fentanyl	As per I.P	Minimum 10 Ampules
25.	Water for Injection	As per I.P	Minimum 10 Ampules
26.	Inj.Sodium Valporate	As per I.P	Minimum 10 Ampules
27.	Inj.Voveran	As per I.P	Minimum 10 Ampules
28.	Inj.Paracetamol	As per I.P	Minimum 10 Ampules
29.	Metoprolol Injection	As per I.P	Minimum 10 Ampules
30.	N/2 saline Injection	As per I.P	Minimum 10 Ampules

31.	Oxygen Inhalation	As per I.P	Minimum 10 Ampules
32.	Oxytocin Injection	As per I.P	Minimum 10 Ampules

**APPENDIX-18**

[(See clause (C) of sub-paragraph (13) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**List of Equipments In Laboratory**

Test Tube, Funnel, Litmus and Filter Paper, Beaker, Tripod, Burner, Volumetric Flask, Dropper, Thermometer, Tongs, Weighing Machine, Burette, Watch Glass, Crucible, Labbalance, mixers, shakers, stirrers, pipettes as required.

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	Alarm clock	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward
2.	Automatic cell counter	Optional	Optional	Minimum 1
3.	Auto analyzer or Semi auto analyzer	Optional	Optional	Optional
4.	Autoclave	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Binocular Microscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Biochemistry analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Chemical Balances	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Counting chamber	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Electric Colorimeter	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Centrifuge Machine	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	Electrolyte analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	ESR stand with tubes	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	Flame photometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
14.	Glucometer	1 Per Area/Ward	1 Per Area/Ward	1 Per Area /Ward
15.	Hematology Analyser or Cell Counter	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
16.	Haemoglobinometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
17.	HbA1c machine	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
18.	Hot air oven	As needed	As needed	As needed
19.	Hot plates	As needed	As needed	As needed
20.	Lab Incubator	As needed	As needed	As needed
21.	Laboratory Auto claves	As needed	As needed	As needed
22.	Micro pipette of different volumes	As needed	As needed	As needed
23.	PH meter	As needed	As needed	As needed
24.	Refrigerator	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
25.	Rotor or Shaker	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
26.	Simple balances	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
27.	Spirit lamp	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
28.	TCDC count apparatus	As needed	As needed	As needed
29.	Test tube holders	As needed	As needed	As needed

30.	Test tube rack	As needed	As needed	As needed
31.	Test tube stands	As needed	As needed	As needed
32.	Timer stopwatch	As needed	As needed	As needed
33.	Urine analyser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
34.	Waterbath	As needed	As needed	As needed

**APPENDIX-19**

[(See clause (a) of sub-paragraph (16) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Equipment Requirements for Operation Theater**

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	Anterior vaginal Wall retractor	Adequate	Adequate	Adequate
2.	Artery forceps	Adequate	Adequate	Adequate
3.	Auto Clave HP Vertical (2bin)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
4.	Autoclave equipment for sterilization/Sterilizer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Bladder sound (Urethral dilators)of different sizes	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Cusco's Speculum	As needed	As needed	As needed
7.	Diathermy Machine (Electric Cautery)	As needed	As needed	As needed
8.	Disposable syringes (5-10cc)	As needed	As needed	As needed
9.	Enema Pot	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Focus lamp Ordinary	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	Foley's Catheter	As needed	As needed	As needed
12.	Formaline dispenser	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	General Surgical Instrument Set Piles, Fistula, Fissure	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
14.	Instrument Trays of Various Sizes	Adequate	Adequate	Adequate
15.	Instrument Trolley	As needed	As needed	As needed
16.	IV stands	As needed	As needed	As needed
17.	Kidney tray	As needed	As needed	As needed
18.	Knife and scissor	As needed	As needed	As needed
19.	L.P. Tray	Adequate	Adequate	Adequate
20.	Magill's forceps (two sizes)	Adequate	Adequate	Adequate
21.	Metallic or disposable insemination cannula	Adequate	Adequate	Adequate
22.	Operation table Hydraulic Minor with stand	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
23.	OT Spot light (Shadowless	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

	ceiling fitted/stand mounted)			
24.	Oxygen Cylinder	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
25.	Oxygen Mask with Circuit	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
26.	Plastic aprons, gloves and mask	Adequate	Adequate	Adequate
27.	Shadow less lamp ceiling type major or minor	1	1	2
28.	Shadow less Lamp Stand model	Minimum1	Minimum1	Minimum1
29.	Sims speculum in small, medium and large size	Adequate	Adequate	Adequate
30.	Sphygmomanometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
31.	Sterile cotton	As needed	As needed	As needed
32.	Sterile gloves	As needed	As needed	As needed
33.	Sterilizer Small (Instruments)	As needed	As needed	As needed
34.	Sterilizer big(Instrument)	As needed	As needed	As needed
35.	Sterilizer Medium (Instrument)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
36.	Stethoscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
37.	Suction Apparatus - Electrical	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
38.	Suturing Set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
39.	Swab holders	Minimum 1	Minimum 1	Minimum1
40.	Thermometer	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
41.	Tongue depressors	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
42.	Toothed forceps	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
43.	Two long(8inch) and two short (6inch) Artery forceps	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
44.	Two Uterine sound	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
45.	Urethral Dilator Set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
46.	Vaginal Examination set	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
47.	Vulsellum	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

**APPENDIX-20**

[(See clause (B) of sub-paragraph (16) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Equipment Requirements for Anesthesia**

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50bed	51to 100 bed
1.	Airway female and male	Adequate	Adequate	Adequate
2.	Anesthesia Trolley /Boyle's Apparatus	Minimum 1 if anesthetics given	Minimum 1	Minimum 1
3.	Anesthetic- laryngoscope Magill's	Minimum 2	Minimum 2	Minimum 2

	with Four blades			
4.	CO2 cylinder for laparoscope	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Connector set of six for ETT	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Defibrillator or Automated external defibrillator	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Endotracheal tube sets	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Magill's forceps (two sizes)	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Mouthprop	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	Multi-parameter Monitor	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
11.	N2O Cylinder for Boyles	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	O2 cylinder for Boyles	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
13.	Tongue depressors	Adequate	Adequate	Adequate
14.	Tubes connecting for ETT	Adequate	Adequate	Adequate

**APPENDIX-21**

[(See sub-paragraph (18) of paragraph – A of the Second Schedule)]

**Imaging Equipment**

Sr. No.	Name of the Equipment	For 30 bed	31 to 50 bed	51 to 100 bed
1.	300 M.A. X-ray machine/ Digital X-Ray machine	01	01	01
2.	Ultra Sonogram (Obstetrics and gynecology department should be having a separate ultra- sound machine of its own)	Either in the hospital or under Memorandum of understanding with super specialty hospital	Either in the hospital or under Memorandum of understanding with super specialty hospital	Either in the hospital or under Memorandum of understanding with super specialty hospital
3.	Echocardiogram	01	01	01
4.	X-ray developing tank	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
5.	Safe light X-ray darkroom	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
6.	Cassettes X-ray	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
7.	Lead apron	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
8.	Intensifying screen X-ray	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
9.	Thyroid shield	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
10.	TLD batches	One per person	One per person	One per person
11.	Gonadal guard	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1
12.	X-ray lobby single	Minimum 1	Minimum 1	Minimum 1

\*In Colleges with digital X- Ray machine, all equipment are required except X-Ray developing tank and X-Ray developing tank and X-ray cassettes.